प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-6

फरवरी 2024 से दिसम्बर 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

(फरवरी-मार्च 2026 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-6

फरवरी 2024 से दिसम्बर 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

भोपाल (म.प्र.)
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2026

निर्देशन :	**श्री अरविन्द शर्मा**	--	**प्रमुख सचिव**
संपादन :	**श्री मयंक वर्मा**	--	**अपर सचिव**
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	**अवर सचिव**
	श्री माधव दफ्तरी	--	**अवर सचिव**
	श्री साकेत त्रिपाठी	--	**अनुभाग अधिकारी**
संकलनकर्ता :	**श्री संजीव सराठे**	--	**सहायक ग्रेड-1**
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	**उप सहायक मार्शल**
	श्री मनीष बनोदे	--	**सहायक ग्रेड-3**
	श्री संदीप सपकाल	--	**सहायक ग्रेड-3**
	श्री ताजवर सिद्दीकी	--	**कम्प्यूटर ऑपरेटर**

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **फरवरी 2024 से दिसम्बर 2025 सत्र** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथकत: वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 06 फरवरी, 2026

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2024 सत्र	--	--	1-5
2.	जुलाई, 2024 सत्र	--	--	6-21
3.	दिसम्बर, 2024 सत्र	--	--	22-29
4.	मार्च, 2025 सत्र	--	--	30-60
5.	जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र	--	--	61-108
6.	दिसम्बर, 2025 सत्र	--	--	109-119

फरवरी, 2024

दिनांक 8 फरवरी, 2024

भेद-भावपूर्ण कार्यवाही करना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.42 (क्र. 255) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कृषि उत्पादन के जिंसवार विवरण दें। उक्त जिंसवार उत्पादन अनुसार मण्डियों में कितनी आवक हुई? पृथक-पृथक वर्षवार जिंसवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार मंडी में आवक नहीं होने के कारण किसी मंडी के प्रभारी सचिव को आरोप-पत्र जारी किया गया है और शेष को छोड़ दिया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) यदि हाँ तो, इस तरह के भेद-भावपूर्ण कार्यवाही क्यों की गई? क्या आरोप निरस्त किया जाएगा या सभी को आरोप-पत्र जारी करेंगे? **(घ)** प्रभारी मंडी सचिव (मूल पद मंडी निरीक्षक) हनुमना द्वारा दिनांक 01/01/2023 से प्रश्न दिनांक तक जिन विषयों को लेकर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में जो भी कार्यवाही की गई हो, पत्रवार पृथक-पृथक कार्यवाहीवार विवरण दें तथा नोट की प्रतियां भी उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *रेखांकित भाग की जानकारी के संदर्भ में प्रदेश की कृषि मंडियों में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में जिन्सवार आवक का वर्षवार* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।*** *उत्पादन की* ***जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)*** *मंडी प्रबंधन के ध्यान में जहां गड़बड़ी पाई गई, उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है।* ***(ग)*** *प्रश्नांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ)*** *जी हाँ। प्राप्त पत्र एवं कार्यवाही विवरण की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।*** **] (क)** रेखांकित भाग की जानकारी के संदर्भ में प्रदेश की कृषि मंडियों में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में जिन्सवार उत्पादन एवं आवक का वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** जी नहीं। शेष जानकारी गृह विभाग से संबंधित होने के कारण गृह विभाग द्वारा पत्र दिनांक 04.06.2025 से उपलब्ध कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

विभाग द्वारा आवंटित बजट एवं निर्माण कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.85 (क्र. 441) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2020-2021 से प्रश्नांकित अवधि तक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में

विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों में, किन-किन विकास/निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु आवंटित/स्वीकृत की गई है? मदवार विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा आवंटित राशि में से कितनी राशि किन-किन मदों में भुगतान की गई तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान शेष है तथा शेष भुगतान कब तक किया जावेगा? मदवार, विकासखण्डवार, जिलावार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न मदों में विकासखण्डवार की गई आवंटित राशि में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने लंबित हैं? कितने अप्रारंभ हैं? लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? उन पर क्या कार्यवाही की गई? लंबित एवं अप्रारंभ कार्य कब-तक पूर्णकर लिये जावेंगे? कार्यवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या विदिशा जिले में निर्माण/विकास एवं अन्य कार्यों, गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी? शिकायत पर कब-कब जांचे की गई? जांच उपरांत क्या परिणाम आये? कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी तथा कितनी जांचे अभी प्रारंभ नहीं की गई है? बतावें तथा कब-तक जांच प्रारंभ की जाकर उनका निराकरण कब-तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। **(घ)** क्या विदिशा जिले में कृषक मित्रों की नियुक्ति हुई है? यदि हां,तो सूची भेजे। यदि नियुक्ति नहीं हुई? तो इसके क्या कारण हैं? नियुक्ति में देरी के लिए कौन उत्तरदायी है? नियुक्ति कब तक की जावेगी? **(ड.)** विदिशा जिले में मुद्रा परीक्षण केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं? बतावें तथा इन केन्द्रों को कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है एवं कितने कृषकों के खेतों का मृदा परीक्षण किया गया? नाम सहित मुद्रा परीक्षण केन्द्रवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें एवं मुद्रा परीक्षण केन्द्र सिरोंज का क्या मुद्र परीक्षण हेतु उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्या मुद्रा परीक्षण केन्द्र का उपयोग गोडाउन के रूप में किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में विकास/निर्माण स्वीकृत, भुगतान एवं शेष की विकासखंडवार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *विभाग द्वारा विभिन्न मदों में आवंटित राशि में से विकासखण्डवार किये गये निर्माण कार्य पूर्ण, लंबित एवं अप्रारंभ की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *विदिशा जिले में निर्माण/विकास एवं अन्य कार्यों में गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ)*** *विदिशा जिले में वर्तमान में कृषक मित्रों की नियुक्ति नहीं हुई है। कृषक मित्रों की नियुक्ति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।* ***(ड.)*** *विदिशा जिले के विकासखंड विदिशा एवं कुरवाई में मृदा परीक्षण केन्द्र संचालित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विदिशा में रूपयें 7.99 लाख एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कुरवाई को रूपयें 5.47 लाख राशि आवंटित की गई। जिले में 5868 कृषकों के खेतों का मृदा परीक्षण किया गया। परीक्षण केन्द्र सिंरोज में वर्तमान में मृदा परीक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। मृदा परीक्षण केन्द्र सिंरोज का उपयोग गोडाउन के रूप में नहीं किया गया है।* **] (क)** वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक भोपाल, नर्मदापुरम एवं ग्वालियर संभाग में विभिन्न मदों में विकास/निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु

आवंटित/स्वीकृत, भुगतान एवं शेष राशि की विकासखंडवार/जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा विभिन्न मदों में विकासखण्डवार की गई आवंटित राशि से निर्माण कार्य पूर्ण, लंबित और अप्रारंभ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।**

दिनांक 13 फरवरी, 2024

जिला रतलाम एवं भोपाल नगर निगम की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

3. परि.अता.प्र.सं. 139 (क्र. 1567) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम एवं भोपाल नगर निगम के अंतर्गत भवन अनुज्ञा शाखा में वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं? उनके नाम, पदनाम सहित संपूर्ण सूची देवें एवं उन्हें विभागीय रूप से आवंटित कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं उनका विभागीय उत्तरदायित्व जो विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, उसकी जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कुल कितनी अवैध निर्माण की शिकायतें संबंधित आयुक्त एवं विभागीय प्रमुख सचिव को विभिन्न संस्थाओं पत्रकारों से एवं आम नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है? प्रत्येक शिकायत पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई संपूर्ण जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर निगमों में दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जो अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, उक्त अवैध कॉलोनियों के नाम, खसरा क्रमांक, अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति का नाम, पता सहित सक्षम अधिकारी द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध विभागीय रूप से जो संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसकी पृथक-पृथक प्रथम सूचना रिपोर्टवार जानकारी उपलब्ध करावें। कितने अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना शेष है, उनकी भी संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या यह सत्य है कि दिनांक 15.01.2024 को प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को दो पृथक-पृथक पत्र नगर निगम भोपाल में प्रचलित अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत की गई थी? यदि हाँ तो उक्त प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही सदन में उत्तर देने के दिनांक तक की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) की जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** नगर निगम रतलाम एवं नगर निगम भोपाल की प्रश्न अवधि की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** नगर निगम, रतलाम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार प्रश्नांकित अवधि में विभिन्न माध्यमों से अवैध निर्माण की 124 शिकायतें प्राप्त हुई एवं नगर निगम, भोपाल में प्रश्नांकित शिकायतों का एकजाई संधारण नहीं किया गया है। नगर निगम, रतलाम में प्राप्त 124 शिकायत एवं प्रत्येक शिकायत पर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** नगर निगम रतलाम एवं नगर निगम

भोपाल की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। माननीय विधायक द्वारा पत्र क्रमांक 039 दिनांक 12/01/2024 एवं पत्र क्रमांक 040 दिनांक 12/01/2024 के द्वारा नगर निगम, भोपाल में प्रचलित अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल को निर्देशित किया गया है।

दिनांक 16 फरवरी, 2024

मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]

4. अता.प्र.सं.59 (क्र. 1998) श्री भैरो सिंह बापू : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कितनी घोषणा की गई सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी घोषणा नगरीय क्षेत्र एवं कितनी ग्रामीण क्षेत्र में की गई अलग-अलग संख्या बताए? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी घोषणा पूरी की गई एवं कितनी अधूरी है? सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** अनुसार उक्त घोषणा कब तक पूरी होगी? समय-सीमा बतावें।

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ख)** एवं **(ग)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** विभागों में निहित प्रावधानों/नियमों के तहत घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत् प्रकिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 2202) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक शहडोल संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बताएं? अनुकंपा नियुक्ति की कुल कितनी शिकायत किस-किस विभाग की लंबित हैं? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 1 जनवरी 2017 के पश्चात कब-कब विभिन्न विभागों को क्या-क्या निर्देश परिपत्र जारी किए? **(ग)** अनूपपुर जिले में विभिन्न विभागों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं कारण सहित जानकारी देवें। **(घ)** अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का कितने समय में निराकरण का नियम है? अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक*

29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को हल करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।**

दिनांक 19 फरवरी, 2024

बेतवा नदी पर मकोड़िया बांध का निर्माण

[जल संसाधन]

6. अता.प्र.सं.132 (क्र. 2247) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बेतवा केंद्र परियोजना अंतर्गत तहसील गौहरगंज जिला रायसेन बेतवा नदी पर मकोड़िया बांध निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक प्रस्तावित परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मकोड़िया बांध निर्माण के लिए शासन/विभाग द्वारा कोई डी.पी.आर. तैयार किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में तहसील गौहरगंज जिला रायसेन में मकोड़िया बांध निर्माण के संबंध में शासन द्वारा कब-कब तथा क्या-क्या प्रस्ताव पारित किए गए एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) से (ग)** जी नहीं। योजना असाध्य है। अत: शेष प्रश्न लागू नहीं होता।

जुलाई, 2024

दिनांक 2 जुलाई, 2024

पुलिस लाईन टीकमगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण
[गृह]

1. अता.प्र.सं.3 (क्र. 26) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला टीकमगढ़ में पुलिस लाईन टीकमगढ़ के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खसरा नं. रकबा सहित बतायें? **(ख)** वर्ष 1990 के पूर्व कुल कितनी भूमि एवं खसरा नंबर पुलिस लाईन नाम से दर्ज थे? वर्तमान में कितने हैं? **(ग)** क्या पुलिस लाईन की अति कीमती जमीनें भी अतिक्रमण की चपेट में है यदि हाँ, तो कब से अतिक्रमण कराने के लिए अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका है नाम व पद सहित बतायें? **(ग)** कब तक प्रश्नांश (ग) में वर्णित भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोषियों पर कार्यवाही होगी?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जिला टीकमगढ़ के राजस्व रिकार्ड अनुसार टीकमगढ़ खसरा हल्का नम्बर 08 में खसरा नम्बर 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 545, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 592/2, 593/2, 2044/563, 2056/532, 2057/539, 2058/538, 2059/556, 2060/558 भूमि पुलिस लाईन टीकमगढ़ के नाम दर्ज है, जिसका कुल रकबा 23.369 हेक्टेयर भूमि है।* ***(ख)*** *वर्ष 1990 के पूर्व टीकमगढ़ खसरा हल्का नम्बर 08 में खसरा नम्बर 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 545, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 592/2, 593/2, 2044/563, 2056/532, 2057/539, 2058/538, 2059/556, 2060/558 कुल भूमि 23.369 हेक्टेयर भूमि पुलिस लाईन टीकमगढ़ के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में भी खसरा नम्बर 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 545, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 592/2, 593/2, 2044/563, 2056/532, 2057/539, 2058/538, 2059/556, 2060/558 कुल भूमि 23.369 हेक्टेयर भूमि पुलिस लाईन टीकमगढ़ के नाम दर्ज है।* ***(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** पुलिस लाईन टीकमगढ़ में पीछे की ओर पुलिसकर्मियों एवं स्थानीय जनता की सुविधा को दृष्टीगत रखते हुए लगभग 728 फुट लम्बा तथा 18 फुट चौड़ा रास्ता निर्मित है, जिसका उपयोग पुलिस कर्मचारी/अधिकारियों एवं आम जनता द्वारा किया जा रहा है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 8 जुलाई, 2024

महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न मदों व कार्यों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]

2. अता.प्र.सं.2 (क्र. 44) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बंडा विधानसभा के शा. महाविद्यालय बंडा में जनभागीदारी मद से 2015 से अब तक प्रत्येक वर्ष की अवधि में नियुक्त रहे कर्मियों में से प्रत्येक के नियुक्ति प्रस्ताव की प्रति, नियुक्ति दिनांक, पृथक करने का दिनांक, वेतनमान संबंधी बैंक खाते की जानकारी, कार्य का दायित्व, संबंधी वर्षवार ब्यौरा प्रदान करवाने की कृपा करें। **(ख)** बंडा विधानसभा के महाविद्यालयों में वर्ष 2019 से अब तक जन भागीदारी मद से किये गये प्रत्येक क्रय की सूची प्रदान करवाने का कष्ट करें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) से संबंधित प्रत्येक क्रय की बिड, एल-1 शीट, बिल एवं भुगतान पत्रक की प्रति उपलब्ध करवाये जाए। **(घ)** बंडा व शाहगढ़ महाविद्यालय के जनभागीदारी, पीडी व एएस व अन्य मद के बैंक खाते की 1 जनवरी 2019 से वर्तमान तक स्टैटमेन्ट उपलब्ध करवाने की कृपा करें। **(ड.)** 1 जनवरी 2019 से वर्तमान तक बंडा व शाहगढ़ महाविद्यालय के जनभागीदारी मद की कैशबुक की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें। **(च)** बंडा एवं शाहगढ़ महाविद्यालय में छात्रवृति वितरण के संबंध में महाविद्यालयों के स्तर पर की गई जांच के प्रतिवदेन एवं सहपत्रों की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** शासकीय महाविद्यालय बण्डा में जनभागीदारी मद में कोई कार्मिक उल्लेखित अवधि में नियुक्त नहीं रहा। कार्य की मांग अनुसार कर्मियों को आमंत्रित किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "01" (पृ.क्र. 01 से 09 तक) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "02" (पृ.क्र. 01 से 291 तक) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "03" (पृ.क्र. 292 से 571 तक) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "04" (पृ.क्र. 372 से 467 तक) अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "05" (पृ.क्र. 01 से 169 तक) अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "06" (पृ.क्र. 01 से 14 तक) अनुसार है।**

सुरक्षा गार्डों के ई.पी.एफ. राशि की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं.26 (क्र. 674) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुबंधित सुरक्षा गार्ड एजेंसियों के द्वारा रखे गये गार्डों के वेतन से कटौती की गई राशि उनके ई.पी.एफ. खाते में नियमित रूप से जमा की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो विगत वर्षों में कटौती की गई एवं जमा की गई ई.पी.एफ. राशि की जानकारी एजेंसीवार, वर्षवार देवें? **(ग)** क्या टेण्डर अवधि समाप्त होने पर निवर्तमान एजेंसी द्वारा अपने टेण्डर अवधि की संपूर्ण ई.पी.एफ.

कटौती की राशि जमा की गई है या नहीं? **(घ)** क्या विगत समाप्त हुये ठेकों में नियुक्त सुरक्षा गार्डों ने अपनी ई.पी.एफ. की राशि निकाली हैं? यदि हाँ, सूची देवें?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी से निष्पादित अनुबंध अनुसार ई.पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की समस्त जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की है। ई.पी.एफ. कटौती की राशि आउट सोर्स एजेंसी द्वारा जमा नहीं करने की कोई भी शिकायत वर्तमान दिनांक तक मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।* ***(ख)*** *जानकारी मंडी समितियों द्वारा संधारित नहीं की जाती है। जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित करने में समय लगेगा।* ***जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराई जायेगी****। (ग) ई.पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की समस्त जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होने से मंडी समितियों द्वारा उक्त जानकारी संधारित नहीं की जाती है।* ***(घ)*** *सुरक्षा गार्डों द्वारा ई.पी.एफ. राशि आहरण में मंडी समितियों का हस्तक्षेप नहीं होने तथा जानकारी व्यक्तिगत होने से मंडी समितियों द्वारा उक्त का संधारण नहीं किया जाता है।* **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>दिनांक 9 जुलाई, 2024</u>

शासन एवं प्रशासन को लिखे गए पत्रों के प्रति उत्तर
[सामान्य प्रशासन]

4. अता.प्र.सं.1 (क्र. 37) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, सहित जिला कलेक्टर गुना, जिला पुलिस अधीक्षक गुना, जिला पंचायत सी.ई.ओ. गुना, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचौड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी गुना को कितने पत्र लिखे? क्या इन पत्रों पर कोई कार्यवाही हुई? यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? पत्रों की सूची निम्न है:-
क्रमांक जावक क्रमांक दिनांक जिनको भेजे गए 1 62/2024 10-01-2024 माननीय मुख्यमंत्री जी 2 354/2024 20-05-2024 जिलाधीश, जिला-गुना 3 353/2024 20-05-2024 माननीय उच्च शिक्षामंत्री जी 4 242/2024 06-03-2024 माननीय वनमंत्री जी 5 438/2024 22-06-2024 माननीय मुख्यमंत्री जी 6 437/2024 22-06-2024 जिलाधीश, जिला-गुना 7 380/2024 06-06-2024 माननीय पंचायत मंत्री 8 381/2024 06-06-2024 माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी 9 355/2024 21-05-2024 माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी 10 356/2024 21-05-2024 माननीय पंचायत मंत्री।

मुख्यमंत्री : [***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

दिनांक 10 जुलाई, 2024

स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण तथा अन्य व्यवस्थाएं
[स्कूल शिक्षा]

5. अता.प्र.सं.68 (क्र. 2160) श्री प्रदीप पटेल : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग में किन-किन प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की भूमियों, खेल के मैदानों में अतिक्रमण होने/अवैध उत्खनन होने/अवैध पक्का निर्माण होने की जानकारी/शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित एस.डी.एम./तहसीलदार/कलेक्टर/जिला सी.ई.ओ. कार्यालयों को दिनांक 01-04-2019 से प्रश्न तिथि के दौरान प्राप्त हुई? क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार/जिलेवार/वर्षवार/माहवार/स्कूलवार/कार्यालयोंवार/जारी आदेश क्रमांकवार दें? कलेक्टरों द्वारा कहां के अतिक्रमणों को प्रश्न तिथि तक नहीं हटवा पाये हैं? प्रकरणवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं स्कूलों में प्रश्नतिथि तक बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय नहीं है? स्कूलवार/जिलेवार सूची दें। किन-किन स्कूलों में पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं है? स्कूलवार/जिलेवार सूची दें। शासन शौचालय एवं पानी की व्यवस्था के लिये क्या कार्य योजना बना रहा है? योजना की एक प्रति उपलब्ध करायें।

परिवहन मंत्री : [***(क)*** *रीवा संभाग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खेल के मैदानों में अतिक्रमण नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नाधीन संभाग अंतर्गत जिला रीवा एवं सतना के हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *जिला सीधी एवं सिंगरौली के विद्यालयों की जानकारी निरंक है।* ***(ख)*** *प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'अ' एवं 'ब' अनुसार****। हाई/हायर सेकेण्डरी के समस्त स्कूलों में बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय एवं पानी की व्यवस्था है। अत: शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता।* **] (क)** रीवा संभाग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खेल मैदानों में अतिक्रमण नहीं है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल मैदानों में अतिक्रमण, अवैध खनन, अवैध पक्का निर्माण जैसे प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा संधारित आर.सी.एम.एस पोर्टल पर प्रविष्टि किये जाने के निर्देश संचालनालय के पत्र दिनांक 14.07.2025 द्वारा सभी संबंधित विभागीय अधिकारीगण को दिये जा चुके है, यह कार्यवाही निरन्तर स्वरूप की है। जिला सीधी एवं सिंगरौली के विद्यालयों की जानकारी निरंक है।

छात्रवृत्ति अनियमितता की जॉच
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

6. अता.प्र.सं.169 (क्र. 2887) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2023 - 24 तक शासकीय एवं निजी पैरामेडिकल कॉलेज की संख्या उनमें सीट, क्षमता तथा प्रवेशित की संख्या देवें तथा बतावें कि इसमें से कितने-कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** क्या यह

सही है कि मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर लंबित पिटीशन में जवाब नहीं देने पर राज्य शासन पर 25 हजार की कॉस्ट लगाई गई, यदि हाँ, तो बतावें कि जवाब दे दिया गया या नहीं। **(ग)** प्रश्नाधीन पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाले पर कितने कॉलेज पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज हुआ तथा किस-किस कॉलेज से छात्रवृत्ति घोटाले की कितनी राशि वसूली हेतु मा. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि वसूल हो चुकी है तथा कितनी शेष है। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेज में से कितने- कितनों का औचक निरीक्षण वर्ष 2019-20 से 2023 24 तक किया गया तथा उसमें क्या पाया गया। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेज को मान्यता म.प्र. सह चिकित्सा नियमानुसार मापदण्ड अनुसार दी गई है या उनकी जांच प्रक्रियाधीन है क्या सारे कॉलेज म.प्र सह चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापना नियम 2021 के यथावर्णित प्रावधानों के अनुरूप है? **(ड.)** प्रश्नाधीन छात्रवृत्ति घोटाले में सन्निहित राशि कितनी है तथा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *प्रदेश में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक शासकीय एवं निजी पैरामेडिकलों की संख्या उनमें सीट, क्षमता की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार*** *तथा प्रवेशित की संख्या* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।*** *शेष प्रश्न विभाग से संबंधित नहीं है,* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *एवं* ***(ग)*** *विभाग से संबंधित नहीं है* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेजों/स्कूलों को तत्समय प्रचलित म.प्र. सह चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापना नियम अनुसार मान्यता प्रदान की गई।* ***(ड.)*** *विभाग से संबंधित नहीं है* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नांश (क) के शेष भाग छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख)** जी हाँ। कार्यालय, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 06/04/2023 को वादोत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है। **(ग)** छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त पैरामेडिकल कॉलेजों एवं उनसे वसूली राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** उत्तरांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेजों का वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक औचक निरीक्षण नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।**

<u>दिनांक 11 जुलाई, 2024</u>

कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधा

[नगरीय विकास एवं आवास]

7. अता.प्र.सं.11 (क्र. 979) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगरीय निकायों/पालिकाओं/निगमों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा (एल.एस.जी.डी.) कोर्स किये जाने पर अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता है? **(ख)** यदि हाँ, तो किन पदों पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को

इस प्रकार की वेतन वृद्धि की पात्रता है? **(ग)** यदि हाँ तो ऐसे कितने तकनीकी कर्मचारियों को विगत 03 वर्ष में इस प्रकार की वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है नाम, पद व निकाय के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** विगत 03 वर्षों में कितने तृतीय श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा एल.एस.जी.डी. कोर्स की अनुमति हेतु आवेदन किये गए है कितने आवेदनों पर अनुमति जारी की गई है कृपया निकायवार अवगत करावें? **(ड.)** कितने प्रकरण अनुमति हेतु निकायों में लंबित है, किस स्तर पर किस अधिकारी के पास लंबित है और क्यों कृपया निकायवार अवगत करावें?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-4/88/2002/18-1 दिनांक 14.05.2002 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 4-111/2012/18-1 दिनांक 04.09.2012 अनुसार उपयंत्री/स्वच्छता निरीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पात्रता है।* ***(ग) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(ग)** से **(ड.)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वेतन वृद्धि के लंबित प्रकरण

[नगरीय विकास एवं आवास]

8. अता.प्र.सं.12 (क्र. 980) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 03 वर्षों में कितने तृतीय श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा एल.एस.जी.डी. कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात अग्रिम वेतन वृद्धियों हेतु आवेदन निकायों में प्रस्तुत किये है जिन पर कार्यवाही लंबित है? लंबित रहने का कारण लंबित रखने वाले अधिकारी का नाम पद व निकाय की जानकारी से कृपया अवगत करावें? **(ख)** जिन कर्मचारियों के हित प्रकरण लंबित रहने के कारण प्रभावित हो रहे है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं तो क्यों, इनको संरक्षण कौन दे रहा है ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? जिन कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए सरकार की क्या योजना है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** *अपितु संचालनालय के टीप क्रमांक 12826 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अखिल भारतीय स्थानीय शासन द्वारा सभी एल.एस.जी.डी. डिप्लोमाधारी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाकर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत उचित कार्यवाही की जावेगी।* **]** **(क)** विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4-111/2012/18-1 दिनांक 04.09.2012 अनुसार उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों के प्रस्ताव अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल को संचालित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाये, जो कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो। अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान द्वारा संचालित लोकल सेल्फ गर्वनमेंट डिप्लोमा पाठ्यक्रम LSGD के संबंध में गठित समिति की मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार पाठ्यक्रम में सीएमओ/सीएमओ के रूप में भविष्य में प्रोन्नत होने वाले संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा हेतु नामांकित किये जाने की अनुशंसा

की गयी है। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा LSGD कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात अग्रिम वेतन वृद्धियों की पात्रता नहीं है। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 12 जुलाई, 2024

अनुसूचित जाति योजनांतर्गत विकास कार्य हेतु राशि का आवंटन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

9. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 3107) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला अलीराजपुर में अनुसूचित जाति योजना अन्तर्गत वर्ष 2018 से वर्तमान तक विकास कार्य हेतु कितना आवंटन उपलब्ध करवाया गया है? वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** जिले में प्राप्त आवंटन से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत कार्य, विकासखण्ड, ग्रामवार कार्य का नाम एवं लागत व्यय राशि की जानकारी देवें। क्या योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य राज्य शासन से ही ग्रामवार स्वीकृति प्राप्त होती है? यदि हाँ, तो शासन स्वीकृति की प्रति देवें। **(ग)** वर्ष 2023-24 में लोकसभा निर्वाचन के पूर्व अलीराजपुर विधानसभा के अन्तर्गत कई ग्रामों में सामुदायिक भवन की राशि स्वीकृत की गई किन्तु जोबट विधानसभा में राशि स्वीकृत नहीं की गई, कारण बतावें कब तक राशि स्वीकृत की जाएगी? अवधि बतावें।

वन मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** वर्ष हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि की स्वीकृति शासन द्वारा दी जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।** योजना प्रावधान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** विधानसभावार स्वीकृति का प्रावधान न होने से शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

सामग्री क्रय में अनियमितता

[अनुसूचित जाति कल्याण]

10. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 3218) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्रावासों के उपयोग हेतु किन-किन सामग्रियों का क्रय किया गया है एवं कार्यालय व्यय में कितनी राशि आवंटित की गई है तथा किसके आदेश अनुसार उक्त आवंटन किया गया, किन-किन एजेंसियों द्वारा आवंटित राशि से विभिन्न सामग्री की सप्लाई की गई है? एजेंसियों के नाम व आवंटित राशि एवं सप्लायर एजेंसियों का व्यय टर्न-ओवर प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम से अंतिम कार्यवाही छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** अनुसूचित जाति विभाग भिण्ड में विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, उनकी पदस्थापना की तिथि, वर्तमान में उक्त कर्मचारियों किन-किन पदों पर

कार्यरत हैं, उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या विभाग द्वारा नियमानुसार सप्लाई एजेंसियों को कार्य दिया गया है? यदि नहीं तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें।

वन मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग)** जी हाँ शेष प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

दिनांक 15 जुलाई, 2024

सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानकारी
[उच्च शिक्षा]

11. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 2846) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सत्र 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि प्रश्न दिनांक तक भी समाप्त नहीं की गई है। यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सत्र में नियुक्त किस-किस के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं? उनके नाम, पद व जिला सहित प्रमाणित जानकारी देवें। आदेश कब तक जारी किए जाएंगे? **(ख)** उक्त सत्र में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को परिवीक्षा समाप्ति के अधिकांश आदेशों में 2 वर्ष की नियत तिथि में परिवीक्षा समाप्त की गई है लेकिन आदेश क्रमांक एफ 1-181/2011/38-1 भोपाल दिनांक 28-01-2019 एवं आदेश क्रमांक एफ 1-43/2019/38-1 भोपाल दिनांक 30-01-2021 में 27+12 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित करने की तिथि से एक दिन बाद की स्थिति में समाप्त की गई है जबकि विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-181/2011/38-1 भोपाल दिनांक 27-01-2017 के अनुसार नेट/स्लेट/पी.एच.डी. की योग्यता अर्जित करने की तिथि 2009 से 2017 की गई थी। क्या आदेशों में इस तरह की विसंगति हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** क्या प्रदेश में पूर्व में तदर्थ से नियुक्त समस्त सहायक प्राध्यापकों को बिना नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित किये सहानुभूतिपूर्वक परिवीक्षा समाप्ति से लेकर समस्त लाभ दिये गये हैं और उनमें से अधिकांश ने सेवानिवृत्ति तक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं की लेकिन लोकसेवा आयोग से नियुक्त होने और निर्धारित योग्यता पूर्ण करने के बाद भी अनु. जाति/जनजाति वर्ग के लगभग 70 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा नियुक्ति से 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाप्त नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार इस अवधि में इनको होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** उक्त सत्र में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के भेदभावपूर्ण आदेशों में सुधार के साथ लंबित परिवीक्षा समाप्ति/वेतनमान के आदेश सरकार कब तक जारी करेगी? यदि हाँ, तो कृपया समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *जी हाँ। वर्ष 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों में अर्हता*

नेट/स्लेट/पीएच.डी. होना अनिवार्य थी। निर्धारित योग्यता अर्जित करने की अवधि वर्ष 2017 तक बढ़ाई गई थी। अत: कुछ सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति से दो वर्ष बाद समाप्त की गई है एवं कुछ सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि निर्धारित योग्यता अर्जित करने की दिनांक से समाप्त की गई है। इस विसंगति को दूर करने की कार्यवाही प्रचलन में है। ***(ग)*** *आपाती/तदर्थ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नियमितीकरण एवं परिवीक्षा समाप्ति की कार्यवाही यू.जी.सी. स्कीम 1986 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। जी हाँ, वर्ष 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सहायक प्राध्यापकों में से ऐसे सहायक प्राध्यापक जिन्होंने नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं की है उनकी परिवीक्षा समाप्त नहीं हो सकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(घ)*** *प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।* **] (क)** जी हॉ। सत्र 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। महाविद्यालयों से संकलिक जानकारी के अनुसार उक्त सत्र में नियुक्त 93 सहायक प्राध्यापकों द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति समय-सीमा में नहीं की जाने के कारण, परिवीक्षा समाप्त नहीं की जा सकी है। उक्त सहायक प्राध्यापकों के नाम, पद व जिला सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

विश्वविद्यालय गतिविधियों में अनियमितताएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. अता.प्र.सं.130 (क्र. 3633) श्री राजेन्द्र भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में नहिप परियोजना संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त परियोजना कब से चालू की गई तथा वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया तथा कौन-कौन कार्यों पर कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कृपया मदवार अलग-अलग संपूर्ण विवरण जानकारी दें। **(ख)** क्या खरीदी करने के लिये म.प्र. शासन के क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो क्या खरीदी करने के पूर्व टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या परियोजना की ऑडिट रिपोर्ट कराई है? यदि हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां ली गई है? क्या नहिप परियोजना के अंतर्गत मेला प्रदर्शनी एवं निर्माण और सामग्री क्रय की गई? यदि हाँ, तो परियोजना की गाइड- लाइन में क्या-क्या प्रावधान किया गया? गाइड-लाइन के अनुसार संपूर्ण कार्य कराये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में कितने कार्य कराये गये हैं? कृपया गाइड-लाइन की प्रति उपलब्ध कराते हुये वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। **(ग)** क्या नहिप परियोजना के कार्यों कृषि महाविद्यालय में कार्यों का अवलोकन/निरीक्षण कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में किया गया यदि हाँ, तो कृपया जांच/निरीक्षण की रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। यह परियोजना दिसंबर 2019 से चालू की गई। वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में कुल प्राप्त बजट आवंटन, कार्य एवं व्यय का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।**

(ख) जी हाँ। शासन के क्रय नियमों का पालन किया गया है। जी हाँ। खरीदी करने के पूर्व टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है। जी हाँ। परियोजना की ऑडिट कराई गई है। ऑडिट रिपोर्ट में लिए गये आपत्तियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** नहिप परियोजना के अंतर्गत मेला प्रदर्शनी एवं निर्माण कार्य नहीं कराये गये है। सामगी क्रय की गई है। परियोजना के गाइड-लाइन के प्रावधान **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** जी हाँ। गाइड-लाइन के अनुसार संपूर्ण कार्य कराये गये है। वर्षवार कराये गये कार्य का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** गाइड-लाइन की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग)** जी हाँ। जांच/निरीक्षण रिपोर्ट **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है एवं** ऑडिट रिपोर्ट **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।**

<u>दिनांक 16 जुलाई, 2024</u>

संविलियन पर पांचवा वेतनमान का लाभ

[वित्त]

13. अता.प्र.सं.13 (क्र. 2140) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ सेवायुक्त की प्रतिनियुक्ति पर शासन में चौथे वेतनमान में पदस्थ थे, को सीधे छठे वेतनमान में संविलियन हुआ हो, संविलियन पश्चात पांचवा वेतनमान का लाभ (गणना) की पात्रता है? अथवा नहीं स्पष्ट करेंगे? क्या कोई आदेश प्रसारित है? यदि हैं तो आदेश की छायाप्रति उदाहरण देकर समझायेंगे? **(ख)** क्या वित्त विभाग द्वारा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में तिलहन संघ से राज्य शासन के विभागों में पदस्थ कर्मियों के प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण संबंधी बैठक दिनांक 18-11-20 के निर्णय में इन्हें पांचवे वेतनमान लाभ की स्वीकृति दी है? संविलियन पर प्रतिनियुक्ति विभाग से प्राप्त L.P.C जमा किया हो तो क्या प्रतिनियुक्ति दिनांक से पांचवा वेतनमान की गणना लाभ पात्रता है? स्पष्ट करेंगे? **(ग)** तिलहन संघ के सा.प्रशा. विभाग में पदस्थ द्वारा दायर याचिका के अवमानना 276/2018 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा 24-6-2020 टीप में 5वें वेतनमान की सहमति दी है? यदि हाँ, तो अन्य विभागीय प्रकरणों में यह सहमति क्यों नही? यदि दी हो तो बताएं? **(घ)** क्या संस्थागत वित्त में पदस्थ तिलहन संघ सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है? यदि हाँ, तो किस आधार पर?

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [***(क)*** *मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 एवं परिपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तिलहन संघ के संविलियन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण छठवें वेतनमान के अंतर्गत करने हेतु दिशा-निर्देश है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख)*** *बैठक दिनांक 18.11.2020 के कार्यवाही विवरण में पांचवे वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है। शेष का प्रश्न*

उपस्थित नहीं होता है। ***(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** जी हाँ। म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 24.06.2020 में वित्त विभाग की टीप क्रमांक 738/694/2020 दिनांक 03.06.2020 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के आधार पर जारी किये गये है। **(घ)** जी हाँ। म.प्र.शासन,वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.03.2019 अनुसार तिलहन संघ के सेवायुक्तों को लाभ स्वीकृत किया गया है।

लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थी

[गृह]

14. अता.प्र.सं.21 (क्र. 2337) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा एवं मऊगंज जिले के विभिन्न थानों में थाना प्रभारी सहित अन्य कितने पद स्वीकृत है स्वीकृत पद अनुसार रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी पदवार देंवे? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने ऐसे थाना प्रभारी है जिनको थाना प्रभारी का प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है के नाम पद सहित जानकारी थानावार देंवे? इन थाना प्रभारियों की पदस्थापना की अवधि थाने एवं जिले में कितने वर्षों की हो चुकी है थानावार, पदनाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में कितने ऐसे थाना प्रभारी है जिनकी पदस्थापना विधान सभा क्षेत्र सेमरिया के थानों में कई वर्षों से की गई है, स्थानांतरण के नाम पर थाना परिवर्तित कर पदस्थापना कर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है जबकि इन थाना प्रभारियों के अन्यत्र हटाए जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक रीवा, पुलिस महानिरीक्षक रीवा एवं अन्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर पत्र दिये जाते रहे लेकिन समस्त थाना प्रभारियों को जो सेमरिया, चौरहटा, नौबस्ता के थानों में ही पदस्थ रहे के हटाये जाने बाबत् कार्यवाही नहीं की गई जबकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि उपरान्त अन्यत्र जिले में हटाए जाने के निर्देश है, संबंधित थाना प्रभारियों को अन्यत्र जिले में हटा कर पदस्थ किये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे, अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार पदस्थ थानों के थाना प्रभारियों एवं अन्य आरक्षकों के जिनकी पदस्थापना की अवधि एक ही थाने व जिले में तीन वर्ष से ज्यादा हो चुकी है उनके स्थानांतरण बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रभारी थाना प्रभारियों के स्थान पर योग्यता अनुसार जिले में पदस्थ थाना प्रभारियों की पदस्थापना हेतु निर्देश देंगे तो बतावें, अगर नहीं तो क्यों। प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित आधारों पर एक ही विधानसभा क्षेत्र के थाना चौरहटा, सिरमौर व नौबस्ता में कई वर्षों से पदस्थ थाना प्रभारियों एवं उप निरीक्षकों के अन्य जिले में स्थानांतरण बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे, अगर नहीं तो क्यों? जबकि इनके द्वारा शराब की पैकारी व कोरेक्स की अवैध बिक्री की शिकायतें कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से की जा चुकी है?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** विभाग अंतर्गत म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 दिनांक 24 जून, 2021 के अनुसार पदस्थापना संबंधित कार्यवाही संपादित की गई है। **(घ)** विभाग अंतर्गत म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 दिनांक 24 जून,

2021 के अनुसार पदस्थापना संबंधित कार्यवाही संपादित की गई है। माननीय विधायक के 02 शिकायती पत्र (01 शिकायती पत्र पुलिस मुख्यालय एवं 01 शिकायती पत्र सीधे पुलिस अधीक्षक रीवा कार्यालय) में जांच हेतु प्राप्त हुये है, उक्त दोनों शिकायती पत्रों में उल्लेखित तथ्य जांच उपरांत असत्य पाये गये है।

रायरू स्थित शराब/बियर फैक्ट्री
[वाणिज्यिक कर]

15. अता.प्र.सं.107 (क्र. 3889) श्री सुरेश राजे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शराब/बियर फैक्ट्री लगाने संबंधी मध्यप्रदेश शासन की गाइड लाइन, नियम, की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। जिला ग्वालियर में ग्राम मिलावली-रायरू स्थित शराब/बियर की फैक्ट्री कब से संचालित है? इस फैक्ट्री के क्षेत्र का खसरा क्रमांक, रकबा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त स्थान पर संचालित शराब/बियर फैक्ट्री की किस खसरा नंबर की कितनी भूमि किस दिनांक को कब से कब तक के लिए कितनी राशि में लीज पर दी गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या संचालित शराब/बियर फैक्ट्री के बीच क्षेत्र में से तिघरा बाँध की नहर ग्राम जिग्सोली होकर निरावली तक गई थी? जिसे फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा नष्ट कर इस भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर भवन निर्माण करवाने से इनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** किस जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किस दिनांक को इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया? जिसमें कौन-कौन सी अनियमितताएं पायी गई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? ग्राम मिलावाली-रायरू स्थित फैक्ट्री बस्ती से लगी हुई होने से इससे निकला गन्दा पानी जमा होने से आस-पास के नलकूप से बदबूदार गन्दा पानी निकल रहा है? इस सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के उप नियम (3) अनुज्ञप्ति की मंजूरी - में आसवनी के संनिर्माण हेतु प्रक्रिया प्रावधानित है। जिला-ग्वालियर रायरू में स्थित शराब फैक्ट्री का संचालन वर्ष 1985-86 से किया जा रहा है। जिला-ग्वालियर रायरू में स्थित शराब फैक्ट्री का खसरा क्रमांक 232, 233, 234, 235 एवं 236 का कुल रकवा 11.810 हेक्टेयर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति तथा मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के उप नियम (3) अनुज्ञप्ति की मंजूरी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त उक्त स्थान पर संचालित शराब फैक्ट्री की कोई भी जमीन लीज पर नहीं है। **(ग)** केनाल डिप्टी कलेक्टर, जल संसाधन संभाग ग्वालियर चम्बल कॉलोनी, ठाटीपुर ग्वालियर के पत्र क्रमांक 117/सी.डी.सी./2024 ग्वालियर, दिनांक 03.07.2024 के अनुसार विभागीय नहर जो पूर्व में तिघरा से निकलकर जिगसौली से निरावली तक गई है। उक्त नहर के सर्वे क्रमांक 225, 226, 227 रकवा 1.470 हेक्टेयर है। इस नहर के दोनों तरफ शराब फैक्ट्री की जमीन है तथा उनकी फैक्ट्री है। शराब फैक्ट्री के संचालकों द्वारा अपनी फैक्ट्री के अन्दर शासकीय नहर की भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर नहर अवरूद्ध कर दी गई है, जिस पर केनाल डिप्टी कलेक्टर, जल संसाधन संभाग ग्वालियर चम्बल कॉलोनी, ठाटीपुर ग्वालियर द्वारा लगातार

कार्यवाही जारी है। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। केनाल डिप्टी कलेक्टर, जल संसाधन संभाग ग्वालियर चम्बल कॉलोनी, ठाटीपुर ग्वालियर के पत्र क्रमांक 194/सी.पी.सी./24 ग्वालियर, दिनांक 29.11.2024 द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार उनके द्वारा पुनः बेदखली नोटिस दिनांक 16.10.2024 क्रमांक 170 रायरू एल्कोब्रू प्रा.लि. को भेजा गया है। पत्रानुसार कार्यवाही उनके विभाग में वरिष्ठ स्तर पर बेदखली हेतु जारी है। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।** कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स बापुना एल्कोब्रू प्रा.लि., आसवनी, रायरू, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1758 दिनांक 17.06.2025 के संलग्न केनाल डिप्टी कलेक्टर जल संसाधन संभाग ग्वालियर चम्बल कॉलोनी ठाटीपुर ग्वालियर के पत्र क्रमांक 89/सी.डी.सी./2025 ग्वालियर दिनांक 17.06.2025 के अनुसार दिनांक 19.03.2025 को नहर के ऊपर बनी प्री कास्ट सीमेन्ट बाउण्ड्री को फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा तुढ़वाया गया है। जिला कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू/ए.डी.एम./स्टेनो/2025/257 ग्वालियर, दिनांक 02.04.2025 के अतिक्रमण जांच हेतु आदेश प्राप्त हुआ उस पर विभाग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 771/कार्य/2025 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा विभागीय दल अतिक्रमण जांच हेतु गठन किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिटी सेन्टर ग्वालियर का पत्र क्रमांक 936/कार्य/2025 ग्वालियर दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अतिक्रमण जांच दल को सहयोग करने एवं स्थल सीमांकन कर नहर की भूमि चिन्हित करने हेतु राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को विभागीय जांच दल के सहयोग हेतु आदेशित करने बावत् पत्र लिखा गया है। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- चार अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2022-23 में निम्न आबकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया :-

क्र.	**अधिकारी का नाम**	**निरीक्षण दिनांक**
1.	श्री नरेश कुमार चौबे, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर	22.07.2022
2.	श्री नरेश कुमार चौबे, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर	12.12.2022

वर्ष 2023-24 में निम्न आबकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गयाः-

क्र.	**अधिकारी का नाम**	**निरीक्षण दिनांक**
1.	श्री संदीप शर्मा, सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर	28.02.2023
2.	श्री नरेश कुमार चौबे, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर	22.05.2023
3.	श्री नरेश कुमार चौबे, उपायुक्त आबकारी संभागीय ग्वालियर उड़नदस्ता	08.06.2023

उपरोक्त निरीक्षणों में कोई गंभीर अनियमिततायें प्रकाश में नहीं आयी। गन्दे पानी की आज दिनांक तक कोई शिकायत आबकारी विभाग जिला-ग्वालियर को प्राप्त नहीं हुई है। क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण बोर्ड ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3185/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024 दिनांक 02.12.2024 के

अनुसार उनके विभाग द्वारा निगरानी के तारतम्य में रायरू स्थित शराब फैक्ट्री के पास ग्राम जिनावली के एक हैण्डपम्प का जल नमूना हर 06 माह अन्तराल से एकत्रित कर विश्लेषण कराया जाता है। माह अक्टूबर 2024 एवं अप्रैल 2024 की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार हैण्डपम्प का जल नमूना रंगहीन तथा गंधहीन पाया गया है तथा जल गुणवत्ता आई.एस. 10500 ड्रिंकिंग वाटर स्टेण्डर्ड के अनुरूप पीने योग्य पाया गया। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3503/तक/का.यं./लो.स्वा.यॉ. विभाग/खण्ड ग्वालियर, दिनांक 02.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गन्दे पानी की समस्या नहीं है। आसपास के हैण्डपम्पों के पानी का नियमित परीक्षण कराया जा रहा है। पानी पीने योग्य पाया गया। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –छः अनुसार** है।

<u>दिनांक 18 जुलाई, 2024</u>

नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

16. अता.प्र.सं.120 (क्र. 3951) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय की संख्या 53 से बढ़कर 2022-23 में 244 हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 51065 यदि हाँ, तो 2016-17 से 2023-24 वर्षवार पैरामेडिकल कॉलेज/स्कूल, कुल सीट तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या बताएं। **(ख)** 2023-24 में कार्यरत निजी पैरामेडिकल स्कूल और कॉलेज के संचालक मालिक/भागीदार/ट्रस्टी के नाम तथा पता देवें। **(ग)** 2016-17 से 2023-24 तक प्रदेश के निजी पैरामेडिकल स्कूल कॉलेज में प्रवेशित विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी तथा विद्यार्थी को किस सत्र के लिए कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? **(घ)** क्या नर्सिंग स्कूल कॉलेज की मान्यता में घोटाले के मद्देनजर पैरामेडिकल स्कूल कॉलेज की मान्यता तथा अन्य बिंदु पर जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ, तो उनके सदस्यों के नाम, पद तथा जांच के बिंदु बताएं।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(घ)*** *जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **] (ख)** 2023-24 में कार्यरत निजी पैरामेडिकल स्कूल और कॉलेज के संचालक मालिक/भागीदार/ ट्रस्टी के नाम एवं पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग)** 2016-17 से 2023-24 तक प्रदेश के निजी पैरामेडिकल स्कूल कॉलेज में प्रवेशित विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं सत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।**

माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान विषय के पद
[स्कूल शिक्षा]

17. अता.प्र.सं.145 (क्र. 4060) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2258 दिनांक 19.2.24 के उत्तर **(ग)** अनुसार शिक्षा अधिकार अधिनियम के उस आदेश की प्रतिलिपि देवें जिसमें माध्यमिक और हाई स्कूल में पदस्थापना हेतु विभिन्न विषयों के साथ-साथ विज्ञान (जीव विज्ञान) जैसे महत्वपूर्ण विषय को पद संरचना में अंतिम पायदान पर लिया गया है शिक्षक संवर्ग वर्ग दो अंतर्गत माध्यमिक और हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों के पद संरचना/स्थापना के संबंध में आदेश की प्रति देवें। **(ख)** प्रदेश के विभिन्न जिलों में शास. माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी देवें। **(ग)** उच्च पदभार की प्रक्रिया में माध्यमिक और हाई स्कूलों में प्रदेश के विभिन्न संभागों में कितने-कितने पदों पर विज्ञान के पदों पर विज्ञान शिक्षकों (जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले) हेतु पद रखकर उच्च पदभार की प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं? संभागवार जानकारी देवें। **(घ)** वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के कितने-कितने पदों पर कब-कब परीक्षाएं आयोजित कर नियुक्तियां दी गई हैं? **(ड.)** पिछले एक दशक में माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के पदों पर नाम मात्र की भर्तियां कर जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले लाखों युवाओं और विज्ञान की शिक्षा से वंचित छात्रों के साथ अन्याय हेतु कौन जिम्मेदार है?

परिवहन मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के 9856 पद के विरूद्ध 10844 शिक्षक कार्यरत है, अतः आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** वर्ष 2012 के पश्चात 2018 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके अतंर्गत माध्यमिक शिक्षक विज्ञान (जीव विज्ञान) 50 पदों पर नियुक्तियॉ प्रदान की गई। **(ड.)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आधार पर स्वीकृत पद संरचना के अनुसार शालाओं में विषयमान से वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर पद विज्ञापित किये गये, अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 19 जुलाई, 2024</u>

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

18. अता.प्र.सं.5 (क्र. 1109) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन, देवास, बड़वानी जिले की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची, नियुक्ति आदेश, नियुक्ति के संबंध में पीआईसी/परिषद के द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त

अभिलेख देवें। **(ख)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निकायों में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किए गए समस्त कर्मचारियों की सूची एजेंसीवार/निकायवार देवें एवं वर्ष 2020 से लेकर आज दिनांक तक आउटसोर्स पर कितना व्यय किया गया है एजेंसीवार/निकायवार जानकारी देवें? **(ग)** वर्ष 2006 से लेकर प्रश्न दिनांक की अवधि में विभाग के द्वारा जारी किए गए समस्त नीति, नियम, निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति देवें एवं क्या यह सही है कि वर्ष 2006 के पश्चात दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति शासन के स्वीकृति से ही किया जाना प्रावधानित किया गया है? **(घ)** वर्ष 2006 के पश्चात राज्य शासन के द्वारा बड़वानी देवास और उज्जैन जिलों के किन-किन निकायों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है उसकी प्रमाणित छायाप्रति देवें? यदि बिना राज्य शासन के स्वीकृति के प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, तो क्या नियुक्ति करता सी.एम.ओ. को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा या नहीं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** उज्जैन एवं देवास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"अ", "ब", "स" अनुसा**र है एवं बड़वानी जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। **(ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "अ", "ब", "स" एवं "द" में समाहित** है।

दिसम्बर,2024

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

करोंद मण्डी में हथियारबंद बदमाशों द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 465) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल स्थित करोंद मण्डी में आए दिन मध्य रात्रि के समय हथियारबंद बदमाशों द्वारा चाकूबाजी कर व्यापारियों/किसानों से वसूली की शिकायतें सब्जी विक्रेता कल्याण संघ द्वारा संबंधित क्षेत्र के थाने में दी गई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक कब-कब तथा क्या-क्या कार्रवाई की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा राजधानी की करोंद मण्डी में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए व्यय करने के पश्चात भी लूटमार और चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही हैं? यदि हाँ, तो विगत 2 वर्षों में कब-कब तथा क्या-क्या घटनाएं घटित हुई? उक्त घटनाओं में शासन/विभाग द्वारा दोषियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? वर्षवार जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में करोंद मण्डी में व्यापारियों/किसानों के साथ घटित हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। सब्जी विक्रेता कल्याण संघ द्वारा थाने में की गई शिकायत की प्रतिलिपि मंडी समिति को अंकित किए जाने से पत्र क्रमांक-469 दिनांक 18.07.2024 से पुलिस उपायुक्त, जोन-04 को प्रेषित कर मंडी में स्थापित पुलिस चौकी स्टाफ में वृद्धि करने तथा मंडी प्रांगण में अतिरिक्त गश्त हेतु लिखा गया एवं मंडी में उपलब्ध सुरक्षा सुपरवाईजर को फल-सब्जी प्रांगण में पूर्व से कार्यरत तीन सुरक्षा गार्डों के अतिरिक्त दो सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। **(ख)** जी नहीं। शेष जानकारी गृह विभाग से संबंधित होने के कारण गृह विभाग द्वारा पत्र दिनांक 04.06.2025 से उपलब्ध कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही किए जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

मा. सदस्यों के पत्रों पर की गई कार्यवाही

[गृह]

2. अता.प्र.सं.135 (क्र. 991) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक 19.11.2024 की अवधि में

विभागीय प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश को अपनी ई-मेल आई.डी. kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in से विभागीय ई-मेल आई.डी. pshome@mp.gov.in dgpmp@mppolice.gov.in पर सतत् रूप से भेजे गये सभी लोकहित के लिखित पत्रों पर पृथक-पृथक क्या वैधानिक कार्यवाही सदन में उत्तर देने की दिनांक तक की गई है? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" में उल्लेखित प्रश्नकर्ता विधायक के प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा में विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है और प्रत्येक पृथक-पृथक लिखे गये पत्रों का कोई अंतिम निराकरण सदन में उत्तर देने की दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन-कौन विभागीय अधिकारी उत्तरदायी एवं दोषी है पृथक-पृथक नाम, पदनाम वार बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" में उल्लेखित प्रश्नकर्ता विधायक के प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र पर विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करते हुये अपने अधीनस्थों को जांच प्रतिवेदन/कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे, यदि हाँ, तो पत्रवार बतावें? क्या प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले एवं समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण नहीं करने वाले एवं जानकारी नहीं देने वाले संबंधित दोषी अधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध उन्हें निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय जांच आदेशित करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समय अवधि बतावें यदि नहीं, तो क्यो नहीं? **(घ)** क्या प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित प्रश्नकर्ता विधायक के लोकहित में लिखे गये सभी लिखित पत्रों पर समय-सीमा में सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र का अंतिम निराकरण करने के आदेश सक्षम अधिकारी को जारी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समय अवधि बतावें यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख)** से **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार**।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

दवाई एवं मशीन खरीदी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

3. परि.अता.प्र.सं. 41 (क्र. 434) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2023 से आज दिनांक तक कौन-कौन सी दवाई, कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां से कब-कब, किस से, कितनी दर में खरीदी गई, कब-कब, कितना-कितना राशि भुगतान किया गया। **(ख)** दवाई खरीदी के क्या नियम हैं। मशीन खरीदी में क्या नियम हैं जांच मशीन व किट खरीदी के क्या नियम हैं। **(ग)** दवाई के सप्लाई हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई कौन-कौन फर्म ने निविदा खरीदा एवं फॉर्म भरें। किस-किस दर में फॉर्म भरे, किसकी दर स्वीकृत हुई? **(घ)** 1 जनवरी 2023 से आज दिनांक तक कौन-कौन से

मशीन, जांच मशीन, कहां-कहां से किस-किस दर में कब-कब खरीदें तथा कब-कब भुगतान कितना-कितना कियें। वर्तमान में मशीन कहां-कहां हैं संचालित हैं व बंद हैं। मशीनवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *दवा नीति 2009 यथा संशोधित 2023 तथा भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत दवाई तथा मशीन के किट की खरीदी की कार्यवाही की जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में संस्था का स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है।

अधिकारियों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

4. परि.अता.प्र.सं. 111 (क्र. 1087) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में पदस्थ उप संचालक/प्रभारी उप संचालक की नामवार, मूल पदवार तथा संचालनालय में प्रथम पदस्थापना दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या विभाग की मलेरिया (व्ही.बी.डी.सी.) शाखा में विगत कई वर्षों से एक ही उप संचालक को प्रभार सौंपा गया है? वर्षों पहले संचालक मलेरिया (व्ही.बी.डी.सी.) के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत इस उप संचालक द्वारा ही मलेरिया (व्ही.बी डी.सी.) का बजट आवंटन किया जा रहा है जबकि उक्त कार्य संचालक स्तर का है? यदि नहीं, तो उक्त शाखा का बजट आवंटन किसके द्वारा किया जा रहा है? **(ग)** क्या उक्त शाखा के राज्य सलाहकार के पद का प्रभार पूर्व में संचालक स्तर के अधिकारी के पास होता था? यदि हाँ, तो संचालनालय में वरिष्ठ संयुक्त संचालक/उपर संचालक तथा संचालक पदस्थ होने के बाद भी संचालक/वरिष्ठ संयुक्त संचालक स्तर के पद का कार्य अधिकारी को क्यों सौंपा गया है तथा कब तक प्रभार हटा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या इस अधिकारी की पत्नी भी संविदा के पद पर म.प्र. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल में पदस्थ है? यदि हाँ, तो इनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के अनुसार की गई? जानकारी उपलब्ध करायें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)** जी हाँ। बजट आवंटन मलेरिया (व्ही.बी.डी.सी) शाखा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संचालक (बजट) के अनुमोदन उपरान्त आवंटन जारी किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। संचालक का पद वरिष्ठ प्रथम श्रेणी स्तर का नियमित पद है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। संबंधित की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अन्तर्गत राज्य गुणवत्ता सलाहकार के पद पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से वर्ष 2013-14 में की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।**

पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]

5. अता.प्र.सं.149 (क्र. 1140) श्री विपीन जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018 से 2024 तक प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने शिक्षकों को राज्यपाल (राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार) पुरस्कार एवं राष्ट्रपति (राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार) प्राप्त हुए हैं उनके नाम, पद एवं विद्यालय की जानकारी वर्षवार देवें? **(ख)** क्या राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि एवं समय पूर्व पदोन्नति देने का प्रावधान है यदि हाँ, तो इस संबंध में आदेश की छायाप्रति देवें? **(ग)** क्या वर्ष 2018 से 2024 तक पुरस्कार प्राप्त सभी शिक्षकों को वेतन वृद्धियां एवं पदोन्नतियां दे दी गई है? **(घ)** यदि वेतन वृद्धि एवं पदोन्नतियां नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई एवं कब तक दे दी जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ग)** एवं **(घ)** वर्ष 2018 से 2024 तक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वेतनवृद्धि/पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है।

अतिशेष शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]

6. परि.अता.प्र.सं. 171 (क्र. 1322) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतिशेष शिक्षकों के कार्य का प्रभारी एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी कार्यों का प्रभारी एवं संलग्न स्टॉफ संचालनालय स्तर पर किसे बनाया गया है? उनके नाम, पदनाम, पदीय दायित्व, कब से एक ही स्थान पर पदस्थ है, नियमित/संविदा, वेतन, संपत्ति की जानकारी, कितने आवेदन अतिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुये, कितने निराकृत, कितने किस कारण से लंबित, पोर्टल त्रुटि के कितने प्रकरण किस-किस तिथि को अपडेट किसके आदेश पर, कितनी शिकायतें, कितनी अनुशंसा विभागीय/जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई, कितने कोर्ट, प्रकरण बने, सहित संपूर्ण जानकारी आदेशों की प्रति सहित पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में नवीन पद सरंचना संबंधी परिपत्र कब जारी किया गया, जिसके आधार पर अतिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया गया? विभागीय पद सरंचना एवं छात्र संख्या किस वर्ष से ली गई है? वर्तमान सत्र में शिक्षकों एवं छात्र संख्या क्यों नहीं ली गई है? जिलेवार अतिशेष शिक्षकों की जानकारी जिले का नाम, विद्यालय का नाम, प्राचार्य का नाम, जिला शिक्षा अधिकारी नाम, उनकी सत्यापन की रिपोर्ट सहित गौशवारा बनाकर बतायें। **(ग)** वाणिज्य, समाजशास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल सहित कितने शिक्षकों के पद समाप्त किये गये, जिलेवार गौशवरा बनाकर बतायें। वर्ष 2023-24 में नियुक्त नवीन शिक्षक कैसे अतिशेष हुये कारण सहित बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में अतिशेष शिक्षकों के कार्यों के प्रभारी अधिकारी एवं पोर्टल प्रभारी द्वारा पोर्टल में दर्ज सभी जानकारी सही है? यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *प्रश्नांश अनुसार कार्य हेतु संचालनालय स्तर पर पृथक से किसी को भी प्रभारी नहीं बनाए जाने तथा कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक स्तर से किए जाने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मध्यांश कुल-3899 आवेदन प्राप्त हुए सभी का निराकरण किया गया है। पोर्टल संबंधी तकनीकी कार्य एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से किए जाने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *शासन के परिपत्र दिनांक 15.07.2024 द्वारा नियत पद संरचना अनुसार कार्यवाही किए जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शिक्षा पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों की जानकारी रियल टाईम में प्रदर्शित होती है। प्रश्नांश अनुसार जानकारी संधारित नहीं की जाती। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग)*** *विभाग द्वारा कोई भी पद समाप्त नहीं किए गये। अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। शालावार विद्यार्थी के नामांकन एवं पद संरचना के आधार पर पद आवंटित दिए गए है। शेषांश प्रतिवर्ष पदसंरचना का आधार विगत वर्ष का नामांकन होने से यह संभव है।* ***(घ)*** *पोर्टल पर जानकारी राज्य स्तर से प्रविष्टि न की जाकर संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से की जाती है। जो सतत् प्रक्रिया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **] (क)** प्रश्नांश अनुसार कार्य हेतु संचालनालय स्तर पर पृथक से किसी को भी प्रभारी नहीं बनाए जाने तथा कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक स्तर से किए जाने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मध्यांश कुल-3899 आवेदन प्राप्त हुए सभी का निराकरण किया गया है। पोर्टल संबंधी तकनीकी कार्य एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से किए जाने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतें एवं अनुशंसा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** एवं न्यायालयीन प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पेन ड्राईव में है)**

चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

7. परि.अता.प्र.सं. 174 (क्र. 1436) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के अधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर क्रमश: कब-कब लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से एवं विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पद पर बंधक चिकित्सक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से कब-कब चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रदेश द्वारा की गई है? कृपया ऐसे समस्त आदेशों की छायाप्रतियाँ संपूर्ण जानकारी सहित उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि इसी समयावधि में टीकमगढ़ जिले में कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस चिकित्सकों की एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई है? कृपया नाम, पद सहित संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। क्या यह भरे गये पदों को टीकमगढ़ जिले में कम चिकित्सकों से भरे जाना अन्याय नहीं किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ, किस-किस चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पद सृजित है और किस-किस के, किस चिकित्सक एवं कर्मचारियों से रिक्त पद कब से भरे है और कहाँ-कहाँ, किसके प्रश्न दिनांक तक पद कब से रिक्त

है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जिले के जतारा एवं पलेरा विकासखण्डों में चिकित्सकों एवं अन्य के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रदेश में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अंतर्गत लोक सेवा आयोग से चयनित विशेषज्ञ/चिकित्सक/दंत चिकित्सकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से अविज्ञप्त संवर्ग एवं परिवार कल्याण के कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** एवं **"स" अनुसार** है । नर्सिंग संवर्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार**। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ड" अनुसार** तथा बंधपत्र चिकित्सकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "च" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "छ" अनुसार** है। जी नहीं, नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में टीकमगढ़ जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ज" अनुसार** **(घ)** पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। **(पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट की जानकारी पेनड्राइव में है)**

<u>दिनांक 19 दिसम्बर, 2024</u>

लैब द्वारा मटेरियल टेस्टिंग में अनियमितता
[नगरीय विकास एवं आवास]

8. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 1367) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अवाधियां कंसल्टेंसी एक टेस्टिंग लैब रामपुर बघेलान, जिला सतना द्वारा 2019 से प्रश्न दिनांक तक NABL से कौन-कौन से मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत है? वर्षवार, मटेरियलवार, NABL द्वारा जारी मटेरियल टेस्टिंग की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मटेरियल टेस्टिंग लैब द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक सतना स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम के निर्माण कार्यों में कौन-कौन से मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट किस-किस संविदाकार को कौन-कौन से दिनांक और वर्ष में दी गई है? क्या जिस दिनांक और वर्ष में जितने मटेरियल की रिपोर्ट टेस्टिंग लैब द्वारा दी गई है? उस वर्ष में उतने मटेरियल के लिए NABL से पात्रता थी? यदि हाँ, तो वर्षवार, मटेरियलवार, संविदाकारवार, टेस्टिंग रिपोर्ट को प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित टेस्टिंग लैब जिस मटेरियल के लिए NABL टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए पात्र थी, उसके अलावा भी अन्य मटेरियल के लिए भी NABL के लोगों का उपयोग करके टेस्ट रिपोर्ट संविदाकार को दी गई और इंजीनियरों द्वारा बिना जांच किए करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, क्यों जबकि स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम सतना में जितने भी कार्य चल रहे हैं या हो चुके हैं जैसे - वेंकटेश लोक, नारायण तालाब सहित अन्य निर्माणाधीन कार्य वो भी गुणवत्ताविहीन

हैं? शासन के पैसों पर भारी भ्रष्टाचार करने वालों पर उच्च स्तरीय कमेटी या EOW द्वारा जाँच करवाकर कार्यवाही नहीं की जाती है, क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *NABL (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अंतर्गत QCI (Quality Council of India) का एक स्वायत्त बोर्ड है, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रयोगशालाओं के परीक्षण, अंशांकन के लिये मान्यता प्रदान करता है। निर्माण कार्य अंतर्गत अनुबंध/आवश्यकता अनुसार संविदाकार द्वारा थर्ड पार्टी टेस्ट रिर्पोट NABL से मान्यता प्राप्त एजेंसी से प्राप्त कर प्रदान की जाती है। विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ख)** अवधियां कंसल्टेंसी लैब से प्रत्यक्षता सतना स्मार्ट सिटी/नगर निगम से कोई संव्यवहार नहीं है। सतना स्मार्ट सिटी/नगर निगम में संविदाकार द्वारा NABL प्रमाणित लैब से रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक NABL मान्यता प्राप्त एजेंसी अवधियां कंसल्टेंसी द्वारा संविदाकार को जारी टेस्ट रिपोर्ट एवं संविदाकार द्वारा सतना स्मार्ट सिटी/नगर निगम को प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ग) का प्रारंभिक अंश भाग विभाग से संबंधित नहीं है। सतना नगर निगम/स्मार्ट सिटी द्वारा अनुबंध शर्तों के आधार पर संविदाकारों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार परीक्षण उपरांत भुगतान किया गया है। सतना नगर निगम/स्मार्ट सिटी द्वारा चल रहे सभी कार्य मानक अनुरूप कराए जा रहे है, जिसका भुगतान टेस्ट रिपोर्ट जांच उपरांत मानक अनुसार पाये जाने पर किया गया है। कार्य मानक अनुरूप/गुणवत्ता पूर्ण होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कर्मचारियों को एन.पी.एस. राशि का भुगतान

[नगरीय विकास एवं आवास]

9. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 1372) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश की कितने नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषदों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह एन.पी.एस. की राशि संबंधित कर्मचारियों के खाते में जमा कराई जा रही है? **(ख)** प्रदेश की किन-किन नगरीय निकायों द्वारा कितने माह व कितने वर्षों से कर्मचारियों के वेतन से एन.पी.एस. राशि का कटौत्रा कर निकाय के पास रखा गया है? **(ग)** जिन नगरीय निकायों द्वारा एन.पी.एस. राशि का भुगतान प्रतिमाह संबंधित कर्मचारियों के खाते में नहीं किया जा रहा है, ऐसे निकायों में पदस्थ भुगतान हेतु जवाबदार अधिकारी पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसका क्या कारण है, कब तक शासन द्वारा ऐसे अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी और कब तक सम्पूर्ण एन.पी.एस. की कटौत्रा राशि संबंधित कर्मचारियों के खाते में निकायों द्वारा भुगतान करा दिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह काटी गई अंशदान की राशि समय-समय पर NPS Trust को अंतरित की जाती है। जिन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अंशदान की राशि NPS Trust को अंतरित नहीं की जाती है, उनके संबंध में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा समय-समय पर तत्काल राशि अंतरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रभारी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार समय-समय पर अंशदान की राशि NPS Trust को अंतरित की जाती है, अत: समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

मार्च, 2025

दिनांक 11 मार्च, 2025

बैंक परिसमापक के दायित्व एवं अधिकार

[सहकारिता]

1. अता.प्र.सं.95 (क्र. 469) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा प्र.क्र. 25 (512) दि. 8/2/24 में दी गई जानकारी के अनुसार पंजी. के पत्र क्र./भूविअ/1/परि/16/133 दि. 22/3/16 संयु.पंजी. द्वारा दतिया बैंक का दि. 19/2/16 को परिसमापन हो चुका है? यदि हाँ, तो म.प्र.सह.अधि. 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही को करने का अधिकार परिसमापक को है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न क्र.106 (515) दि. 8/2/24 में दी गई जानकारी के अनुसार एफ.डी.क्र.00039 का प्रकरण न्या. में विचाराधीन है। क्या उक्त प्रकरण में अधि. के अनुसार दि. 23.02.16 से परिसमापक ने उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाहियों में भाग लिया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। **(ख)** क्या सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी. नं. 3419/19 में श्री अखिलेश शुक्ला एवं 5578/16 में श्री सी.पी. भदौरिया द्वारा भाग लिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। **(ग)** क्या उक्त एफ.डी. के संबंध में सं.पं.सह.सं.ग्वा. द्वारा सह.अधि. की धारा 76 (1),76 (2) की अनुमति अनुसार उक्त प्र.महाप्रबंधक द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। क्या उक्त प्र.महाप्रबंधक को उक्त प्रकरण हेतु दावा दायर करने हेतु अधिकृत किया गया था? यदि हाँ, तो अधिकृत पत्र प्रदाय करें। क्या उक्त प्रकरण में प्र.महाप्रबंधक दि.23/2/16 से 24 तक न्यायालयीन कार्यवाही में भाग लेता रहा है? यदि हाँ, तो अनुमति/अधिकृत पत्र की प्रति प्रदाय करें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। पंजीयक के आदेश क्र./भूविअ/1/परि/16/133 दिनांक 22/03/2016 द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. भोपाल को परिसमापन में लाया गया तथा संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ग्वालियर संभाग के आदेश क्रमांक/परि./2016/289 ग्वालियर दिनांक 19.02.2016 द्वारा जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. दतिया को परिसमापन में लाया गया। जी हां। जी हां। परिसमापन के पूर्व ही तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 29.07.2015 को माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय दतिया में प्रकरण दायर किया गया था। **(ख)** जी नहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी नंबर 3419/19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया से संबंधित नहीं है। अतः श्री अखिलेश शुक्ला द्वारा भाग नहीं लिया गया है। एसएलपी नंबर 5578/16 मैं श्री सी.पी.एस. भदौरिया द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया के परिसमापक के रूप में दिनांक 19.02.2018 को शपथ पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जी हां। न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं संभाग ग्वालियर द्वारा एफडी के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर करने हेतु तत्कालीन अंकेक्षक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया के तत्कालीन महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया के तत्कालीन महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया था, जिसके परिपालन में तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 29.07.2015 को माननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम महोदय दतिया में प्रकरण दायर किया गया था। तत्पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 09/22 एससीपीपीएस के रूप में अंतरित किया जाकर प्रचलित है। परिसमापक जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दतिया के द्वारा उक्त न्यायालयीन प्रकरण में भाग लेने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया गया है तथा कार्यालयीन अभिलेख में अधिकृत करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरण में शासन का पक्ष समर्थन किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।**

सरसों एवं चना खरीदी में समर्थन मूल्य का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.124 (क्र. 564) श्री केशव देसाई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2023-24 में ग्वालियर जिला अंतर्गत सरसों/चना खरीदी में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी सरसों एवं चना का सभी किसानों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? **(ख)** क्या ग्वालियर जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 में किसानों से खरीदी गयी सरसों एवं चने की खरीदी मात्रा खरीदी अवधि समाप्त होने के दो माह बाद ऑनलाइन पोर्टल से डिलीट की गयी थी? **(ग)** यदि हाँ, तो पोर्टल से डिलीट की गयी मात्रा एवं राशि की जानकारी बतावे, साथ ही डिलीट किये जाने से पूर्व कि गयी जांच रिपोर्ट तथा दस्तावेज जिनके आधार पर खरीदी मात्रा डिलीट कि गयी है तथा जांच एवं डिलीट किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** जिले में उपार्जन नीति में किसानों से क्रय उपज को खरीदी उपरान्त डिलीट किये जाने के क्या प्रावधान हैं? तत्संबंधी निर्देश, प्रक्रिया एवं समय-सीमा सहित बतावें। **(ङ)** क्या वर्ष 2023-24 में दलहन तिलहन उपार्जन नीति अनुसार किसानों का भुगतान WHR जारी होने के उपरान्त किये जाना था? यदि हाँ, तो खरीदी अवधि समाप्ति के बाद भी खरीदी मात्रा डिलीट किये जाने कि क्या आवश्यकता थी? उपरोक्त खरीदी मात्रा डिलीट किये जाकर किसानों के साथ कि गयी धोखाधड़ी मैं कौन-कौन अधिकारी संलिप्त है तथा खरीदी पावतियां किस अधिकारी द्वारा पोर्टल से डिलीट की गयी? **(च)** क्या प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरसों एवं चना खरीदी मात्रा डिलीट किये जाने सम्बन्धी मामला प्रकाश में आया है यदि हाँ, तो डिलीट की गयी मात्रा एवं राशि सहित प्रकरणों में की गयी कार्यवाहियों का विवरण दें?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री : [***(क)*** *वर्ष 2023-24 में ग्वालियर जिला अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीदी के उपरांत वेयरहाउस में जमा मात्रा का सभी किसानों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।* ***(ख)*** *वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों का उपार्जन*

*दिनांक 25.03.2023 से 31.05.2023 तक की अवधि में किया गया। ग्वालियर जिले के उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति सहोना, यमुना वेयरहाउस का दिनांक 31.05.2023 को जिला विपणन अधिकारी ग्वालियर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डबरा एवं शाखा प्रबंधक वेयरहाउसिंग डबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा चना एवं सरसों की ऑनलाइन खरीदी पोर्टल पर दर्ज मात्रा का मिलान गोदाम में भण्डारित की गई मात्रा एवं केन्द्र पर जमा हेतु उपलब्ध मात्रा से करने पर सरसों खरीदी मात्रा 1535.50 क्विंटल एवं चना 259.50 क्विंटल कुल 1795.00 क्विंटल मात्रा वास्तविक रूप से कम खरीदी एवं कम जमा होना पाया गया। जो प्रविष्टियाँ गलत/फर्जी पायी गई, उपार्जन नीति की कण्डिका 23 की उप कण्डिका 23.1 के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला उपार्जन समिति को उपार्जन कार्य संबंधी समस्त अधिकार दिये गये, तदानुसार जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर दिनांक 18.06.2023 को जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत फर्जी खरीदी की प्रविष्टियों को उपसंचालक कृषि की लॉगिन आई.डी. से डिलीट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** यह सही हैं कि उपार्जन नीति में किसानों से क्रय उपज की खरीदी उपरांत डिलीट किये जाने संबंधी प्रावधान विद्यमान नहीं हैं। ग्वालियर जिले के उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति सहोना, यमुना वेयरहाउस का दिनांक 31.05.2023 को जिला विपणन अधिकारी ग्वालियर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डबरा एवं शाखा प्रबंधक वेयरहाउसिंग डबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा चना एवं सरसों की ऑनलाइन खरीदी पोर्टल पर दर्ज मात्रा का मिलान गोदाम में भण्डारित की गई मात्रा एवं केन्द्र पर जमा हेतु उपलब्ध मात्रा से करने पर सरसों खरीदी मात्रा 1535.50 क्विंटल एवं चना 259.50 क्विंटल कुल 1795.00 क्विंटल मात्रा वास्तविक रूप से कम खरीदी एवं कम जमा होना पाया गया। उपार्जन नीति की कण्डिका 23 की उप कण्डिका 23.1 के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला उपार्जन समिति को उपार्जन कार्य संबंधी समस्त अधिकार दिये गये। तदानुसार जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर दिनांक 18.06.2023 को जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत फर्जी खरीदी की प्रविष्टियों को उपसंचालक कृषि की लॉगिन आई.डी. से डिलीट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। **(ड.)** एवं **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***

] **(ड.)** हाँ, वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा जारी दलहन तिलहन उपार्जन नीति अनुसार किसानों का भुगतान WHR जारी होने के उपरांत किए जाने के निर्देश हैं। खरीदी मात्रा की त्रुटीपूर्ण ऑनलाइन प्रविष्टियों के आधार पर फर्जी भुगतान की मांग शासन स्तर से न की जा सके, इसलिए जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत त्रुटीपूर्ण प्रविष्टियों को ऑनलाईन पोर्टल से डिलीट किया गया। **(च)** हाँ, जिला भिण्ड में भी सरसों मात्रा 2104.50 क्विंटल राशि रूपये 1,14,69,525.00 की त्रुटिपूर्ण खरीदी की प्रविष्टि की गई थी। जिसे जिला उपार्जन समिति भिण्ड के अनुमोदन उपरांत ऑनलाईन पोर्टल से डिलीट किया गया। तत्संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।**

विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं.131 (क्र. 598) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने संबंधी GAD का स्थायी आदेश क्या कृषि विभाग पर भी लागू होता है? **(ख)** प्रश्नांश (क) उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्नकर्ता द्वारा नवंबर 2024 को मुख्य कृषि विस्तार अधिकारी जिला धार से समय-सीमा में जानकारी चाही गई थी क्या विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं? यदि नहीं, तो क्या कारण रहा। जानकारी उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** विधानसमा कुक्षी में वर्ष 2022 से 2024 तक क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा किए गए पंचायतवार कार्य का नाम, योजना का नाम, मद, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनांक व किन-किन हितग्राहियों को लाभ दिया गया, सारणीबद्ध कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार जिन हितग्राहियों को विभाग द्वारा बीज, पंप, कृषि यंत्र अन्य जो भी सामग्रियां दी गई है ग्रामवार, हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करवाए व जिन कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली या लंबित रहे उनका क्या कारण रहा? वह कब तक पूरे किए जाएंगे?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ* ***(ख)*** *माननीय विधायक जी के पत्र क्रमांक 1142 दिनांक 16.11.2024 द्वारा चाही गई जानकारी वृहद प्रकृति की होकर विगत तीन वर्षों से संबंधित है।* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** विधानसभा कुक्षी की वर्षवार, पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

दिनांक 12 मार्च, 2025

पुलिस कस्टडी में मौतें

[गृह]

4. अता.प्र.सं.104 (क्र. 1008) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत पांच वर्षों में प्रदेश के किन-किन पुलिस स्टेशनों में पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हुईं, मृतकों का नाम, पता सहित ब्यौरा देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के मृतकों में कितने अनुसूचित जनजाति के थे और कितने अनुसूचित जाति के। **(ग)** प्रश्नांश (क) के मौतों के लिए किन-किन की जवाबदेही तय की गई, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई तो क्यों, विधिसम्मत कारण बताएं। **(घ)** प्रश्नांश (क) के किन-किन मृतकों के परिजनों को क्या मुआवजा या सहायता दिया गया, ब्यौरा देवें। यदि मुआवजा या सहायता नहीं दिया गया तो क्यों, विधिसम्मत कारण बताएं। **(ङ)** पुलिस कस्टडी में मौतें नहीं हो इसके लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, क्या योजना है, यदि कोई योजना नहीं है तो क्यों। **(च)** क्या शासन पुलिस कस्टडी में मौतों को उचित मानती है, यदि नहीं तो पुलिस कस्टडी में मौतों को रोकने के लिए शासन के पास क्या योजना है। **(छ)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27/08/2024 को महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(छ)*** *जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **] (छ)** पत्र किस विषय पर है, किस विभाग से संबंधित है, कहां दिया गया है, क्या पुलिस विभाग से संबंधित है, स्पष्ट नहीं है, पत्रों की प्रति भी उपलब्ध नहीं है। इस अवस्था में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 13 मार्च, 2025

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

5. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 741) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग में विभाग अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से मद में, कौन-कौन सी योजनाओं में, कौन-कौन से निर्माण/विकास कार्य हेतु बजट आवंटित किया गया? कार्य का नाम, मद, स्वीकृत राशि, निविदा, कार्यादेश, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, कार्य की भौतिक स्थिति सहित तहसीलवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में विभाग द्वारा कौन-कौन सी लघु, मध्यम, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, नदी, तालाब, बैराज आदि स्वीकृत हैं तथा प्रगतिशील हैं? विकासखण्डवार लघु, मध्यम, वृहद् सिंचाई परियोजनावार, जानकारी उपलब्ध करावें। कितनी परियोजनाओं की डीपीआर बन चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता हो चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता होना शेष है? विस्तृत जानकारी परियोजनावार, विकासखण्डवार, जिलेवार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में उक्त सिंचाई परियोजनाओं का कार्य कब से प्रारंभ हैं? कार्यादेश की छायाप्रति, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य पूर्णतः की दिनांक सहित अभी तक हुये कार्य का विवरण एवं वर्ष 2008 से प्रश्नांकित अवधि तक सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, ठेकेदार को भुगतान की जानकारी, शेष भुगतान की जानकारी का विवरण माहवार, परियोजनावार बतावें। यदि इन योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो कार्य प्रारंभ कब-तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें एवं विलंब के लिए दोषी कौन है? दोषी पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही की छायाप्रति तथा कार्य पूर्ण कब तक कर दिया जावेगा? **(घ)** विदिशा जिले में टेम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तहसील लटेरी, जिला विदिशा के 1800 हेक्टेयर भूमि पर प्रेशराइज पाइप-लाइन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति होने के बाद कब-कब निविदा जारी की गई? प्रशासकीय स्वीकृति एवं जारी की गई निविदा की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा उक्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर तहसील लटेरी के लिए महत्वपूर्ण योजना को कब तक प्रारंभ किया जावेगा बतावें। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित एवं स्वीकृति हैं? सिंचाई योजना का नाम सहित जानकारी देवें तथा कब-तक स्वीकृति हो जावेगी? समय-सीमा बतावें।

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र 'ब' अनुसार है। परियोजनाओं की डीपीआर संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'-1** एवं साध्यता प्राप्त योजनाओं की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' -2** एवं साध्यता हेतु शेष परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ)** विदिशा जिले में टेम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत तहसील लटेरी, जिला विदिशा के 1800 हेक्टेयर भूमि पर प्रेशराइज पाइप-लाइन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद प्रथम निविदा दिनांक 09.07.2024 को आमंत्रित की गयी, जिसके निविदा प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा निरस्त किये गये तथा पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। निविदा का द्वितीय आमंत्रण निविदा दिनांक 24.10.2024 को किया गया। निविदा में एजेन्सी निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, प्रशासकीय स्वीकृति एवं जारी की गई निविदा की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" अनुसार है।** एजेन्सी निर्धारण उपरांत सिंचाई परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया की कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृति सिंचाई परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।**

वाहनों के अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा
[परिवहन]

6. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 1231) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल एवं शिवपुरी जिला में वर्ष 2016 से 2024 तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के किन-किन जिलों में कितने-कितने कार्यक्रम आयोजित हुए और उन कार्यक्रमों में कितनी राशि खर्च की गयी? परिवहन विभाग द्वारा कितनी-कितनी बसें, किस-किस जिले में अधिग्रहण की गयी और कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी? कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ख)** भोपाल एवं शिवपुरी जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2016 से 2024 तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कितनी-कितनी राशि व कितनी-कितनी बसे अधिग्रहण की गई? **(ग)** कोरोना लॉकडाउन के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल एवं शिवपुरी जिले द्वारा कितने-कितने वाहन बसें, मैजिक गाड़ी, लोडिंग एवं सभी प्रकार के ऑटो वाहन लगवाये गये और कितनी धन राशि खर्च की गई, किन-किन फर्मों के खातों में राशि डाली गई? **(घ)** क्या भोपाल एवं शिवपुरी जिले में "बस अधिग्रहण" में करोड़ों रुपये के फर्जी वाहन नम्बरों पर भुगतान किए जाने की शिकायतें की गई हैं? जिसकी जाँच परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर को भेजी गई, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने जाँच हेतु दिनांक 25.09.2019 को दो सदस्यीय टीम गठित की गई, जाँच समिति के दो सदस्यों के नाम एवं पद की जानकारी दें एवं आज तक की गई जाँच के दस्तावेज उपलब्ध करायें एवं दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं फर्जी भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की तो क्यों?

परिवहन मंत्री : [***(क)*** *भोपाल एवं शिवपुरी जिले में वर्ष 2016 से 2024 तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी एवं उक्त कार्यक्रम हेतु संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित की*

गई बसों की संख्या की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।*** *कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि, आवंटित राशि तथा भुगतान की गई राशि की जानकारी संबंधित कार्यक्रम के नोडल विभाग से उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टरों को संबंधित जिलों के परिवहन अधिकारियों द्वारा पत्र जारी किये गये हैं,* ***जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)*** *शासकीय कार्यक्रमों हेतु वाहनों का अधिग्रहण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भोपाल एवं शिवपुरी जिले में वर्ष 2016 से 2024 तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अधिग्रहित की गई बसों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग)*** *प्रश्न का संबंध कलेक्टर, भोपाल एवं शिवपुरी से है। जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित जिले के परिवहन अधिकारियों द्वारा कलेक्टरों को पत्र प्रेषित किये गये हैं। पत्र की प्रतियां* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ)*** *उक्त विषय के संबंध में दो सदस्यीय समिति द्वारा कोई जांच आदेशित होना अथवा जांचाधीन होना नहीं पाया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क)** संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नावधि में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री के भोपाल एवं शिवपुरी जिलों में आयोजित हुये कार्यक्रमों की संख्या, उक्त कार्यक्रमों में खर्च की गयी राशि, उक्त कार्यक्रमों हेतु अधिग्रहित की गयी बसों की संख्या और कुल आवंटित राशि तथा अधिग्रहित वाहनों हेतु भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत एवं रिक्त पद
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

7. अता.प्र.सं.174 (क्र. 1459) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आज दिनांक तक मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में फिजियोथेरेपिस्ट की जीवित पंजीकृत संख्या बताएं? फिजियोथेरेपिस्ट मास्टर डिग्री एवं बैचलर डिग्री की संख्या बताएं? **(ख)** मध्यप्रदेश सरकारी अस्पतालों (PHC), (CHC) में फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संख्या बताएं? **(ग)** मध्यप्रदेश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट क्लीनिक (सेंटर) की संख्या बताएं? **(घ)** प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन में फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संख्या बताएं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *आज दिनांक तक मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में फिजियोथेरेपी की जीवित पंजीकृत संख्या 3028 है। फिजियोथेरेपिस्ट मास्टर डिग्री की जीवित पंजीकृत संख्या 286 है एवं बैचलर डिग्री की जीवित पंजीकृत संख्या 2742 है।* ***(ख)*** *लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वीकृत नवीन राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में फिजियोथेरेपिस्ट के नियमित पद स्वीकृत नहीं है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 107 संविदा पद स्वीकृत है, कुल 94 कार्यरत 13 पद रिक्त है।*] **(ग)** विभाग के एन.एच.एस पोर्टल पर प्रतिवेदित जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में कुल 124 पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट क्लीनिक संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

दिनांक 17 मार्च, 2025

ई.ओ.डब्ल्यू. में भोपाल सिटी लिमिटेड के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

[नगरीय विकास एवं आवास]

8. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 594) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के विरूद्ध वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतकर्ताओं के नाम, विषय, आवक/प्रकरण क्रमांक, दिनांक, शिकायतों पर की गई कार्यवाही का गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज पत्राचार प्रदाय करें। **(ख)** ई.ओ.डब्ल्यू. का शिकायत आवेदन क्रमांक 2013/21 एवं 2030/22 पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति एवं नोटशीट प्रदाय की। उपरोक्त आवक क्रमांक पर संचालनालय नगरीय प्रशासन, नगर निगम भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड विभाग द्वारा दिए गए जवाब की छायाप्रति प्रदान की जावे। क्या जवाब तय समय-सीमा में दिया गया, हाँ अथवा नहीं? यदि नहीं, तो ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, कृपया दस्तावेजों सहित विवरण दें। **(ग)** प्रकरण क्रमांक 223/16 में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा दिये गये अभिमत की प्रति दी जाये एवं विधि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति प्रदान की जाये। प्रकरण में नगर निगम भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिये गये बयानों की प्रति दी जाये। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-22/25/92/1-10 भोपाल दिनांक 02/11/1993 की छायाप्रति प्रदान करें। क्या संविदा कर्मचारी की ई.ओ.डब्ल्यू. जांच के लिए भी विभागीय अनुशंसा की आवश्यकता है, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका बताएं। यदि नहीं, तो आवेदन आवक क्रमांक 360/25 में क्यों विभागीय अनुशंसा के लिए पत्राचार किया गया, मय दस्तावेज स्पष्ट कारण बताएं। यह जांच ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा कब की जाएगी, समय अवधि बताएं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड विभाग एवं कर्मचारियों के विरूद्ध वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) में 13 शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** ई.ओ.डब्ल्यू. का शिकायत आवेदन क्रमांक 2013/21 एवं 2030/22 की जांच के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल को संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक शि./6/आर्थिक-4/2022/20950 दिनांक 05.12.2022 एवं पत्र क्रमांक शि./6/EOW-3/2023/6199 दिनांक 03.05.2023 प्रेषित किया गया था। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। **(ग)** शिकायत क्रमांक 223/16 को जांच उपरांत दिनांक 07.06.21 नस्तीबद्ध किया जा चुका है। जांच विवेचना में सम्मिलित दस्तावेज सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार केवल सक्षम न्यायालय में ही प्रेषित किये जाते है। **(घ)** परिपत्र क्रमांक एफ-22/25/92/1-10 भोपाल दिनांक 01/11/1993 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार**

है। परिपत्रानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ई.ओ.डब्ल्यू. को प्रकरण जांच हेतु प्रेषित किया जा सकता है, आवक क्रमांक 360/25 दिनांक 06.02.2025 को कलेक्टर जिला भोपाल को मूलत: आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

कटनी में निकायों के कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

9. अता.प्र.सं.97 (क्र. 1640) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–674,दिनांक-13/02/2024 के प्रश्नांश (ड.) के उत्तरानुसार सड़क निर्माण कार्य क्यों निरस्त किया गया तथा वर्तमान में उसी सड़क का निर्माण क्यों किया जा रहा हैं तथा निरस्त किए गए निर्माण कार्य को एसओआर से कितने प्रतिशत अधिक/कम में स्वीकृत किया गया था और वर्तमान में प्रचलित कार्य को एसओआर से कितने प्रतिशत अधिक/कम में स्वीकृत किया गया हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) निरस्त किए गए कार्य से सड़क निर्माण में कितनी राशि का भुगतान करना होगा और वर्तमान में स्वीकृत दर से सड़क निर्माण पर कितनी राशि का भुगतान किया जायेंगा? क्या सड़क निर्माण में अधिक राशि का भुगतान किए जाने की अनियमितता पर कोई जांच/कार्यवाही की जाएगी? हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों? **(ग)** कटनी के नगरीय निकायों द्वारा वर्ष-2022-23 से प्रश्न दिनांक तक किस मांग एवं क्या आवश्यकता के चलते एवं किन-किन प्रस्तावों के आधार पर किन सक्षम प्राधिकारियों की सक्षम स्वीकृति से क्या-क्या सामग्री, किस-किस आपूर्तिकर्ता से किस-किस दर/मूल्य पर कब-कब क्रय की गयी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) क्रय सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किस-किसके द्वारा कब-कब किया गया? क्या प्रतिवेदन दिये गये और कितना-कितना भुगतान किस-किस मद की राशि से कब-कब किया गया? **(ङ)** प्रश्नांश (ग) से (घ) के तहत प्रश्नांकित अवधि में सामग्री क्रय में अनियमितताओं की शासन/विभाग एवं निकायों को प्राप्त शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक शिकायतवार की गयी कार्यवाही से अवगत कराइए?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** मुख्यमंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण के कार्य के सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 द्वारा प्रदान की गई, स्वीकृति की शर्त क्रमांक (4) अनुसार योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगम सीमा में सीवरेज एवं वॉटर सप्लाई योजना के कार्यों में समन्वय स्थापित कर कार्य कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य में सीवरेज एवं वॉटर सप्लाई कार्य नहीं होने से एवं अन्य अवरोध होने से मेयर-इन काउसिंल के प्रस्ताव क्रमांक 39 दिनांक 20.12.2019 में उक्त कार्य को निरस्त करते हुए संशोधित योजना शासन को प्रेषित की गई, जिसका अनुमोदन संचालनालय, नगरीय प्रशासन के पत्र क्रमांक 5947 दिनांक 29.06.2020 द्वारा प्रदान किया गया। वर्तमान में सड़क का निर्माण कार्य सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए एवं सीवर लाईन का कार्य पूर्ण होने उपरांत डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निरस्त किए गए निर्माण कार्य का प्राक्कलन आई.एस.एस.ओ.आर. 2012 की दर पर 7.60 प्रतिशत अधिक पर कराया जाना था, वर्तमान में प्रचलित कार्य 8:00 मीटर चौड़े सड़क का निर्माण डिजाईन के अनुसार कराया जा रहा है, जो 5.86 प्रतिशत कम

आई.एस.एस.ओ.आर. 2021 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। **(ख)** मुख्यमंत्री अधोसरंचना योजनांतर्गत सड़क चौड़ीकरण का कार्य दोनों और 1.50 मीटर की चौड़ाई में सीमेंट क्रांकीट से कराया जाना प्रस्तावित था। जिसकी कुल राशि 49.67 लाख आई.एस.एस.ओ. आर. 2012 की दरों पर 7.85 प्रतिशत अधिक दर पर कराया जाना था, वर्तमान में स्थल पर डामरीकरण का कार्य 8.00 मीटर चौड़े लेन पर किया जाना है। जिसकी लागत आई.एस.एस.ओ.आर. 2021 से 5.86 प्रतिशत कम दर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त दोनों कार्यों की प्रकृति पृथक-पृथक होने से अधिक भुगतान का प्रश्न नहीं है। कार्यों की प्रकृति पृथक-पृथक होने एवं अधिक भुगतान न होने के कारण अनियमितता पर कोई जांच कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। नगर पालिक निगम कटनी से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है एवं कटनी जिले से अन्य निकायों की जानकारी निरंक हैं।

जिला रतलाम के निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

10. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1789) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि किस कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत हुई? उक्त राशि में से किस मद में कौन-कौन से कार्य कराये गये? शासन के स्वीकृति आदेश की प्रतियां पृथक-पृथक उपलब्ध करायें। **(ख)** वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा किस-किस कार्य हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये तथा कौन से प्रस्ताव पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार पृथक-पृथक उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस कार्य एजेंसी को किस-किस कार्य हेतु राशि का भुगतान किया गया एवं किस माध्यम से किया? बिल व्हाउचरों की प्रतियां पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(घ)** उक्त कार्यों में से निविदा कार्यवाही के सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह बतायें कि कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं एवं क्यों? क्या अपूर्ण कार्य होने पर भी निविदाकारों को अधिकतम भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी बतायें। क्या संबंधित अधिकारी के द्वारा अधिकतम भुगतान किये जाने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, 'अ-1', 'अ-2' एवं 'अ-3' अनुसार** है। स्वीकृति आदेश की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं 'ब-1' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार** है एवं बिल वाउचर की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5, 6 एवं 7 अनुसार** है। **(घ)** निविदा कार्यवाही की दस्तावेजों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र-अ, 'अ-1', 'अ-2'** एवं **परिशिष्ट-8, 9, 10 एवं 11 अनुसार** है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिखित जवाब एवं निर्देश पर विभागीय कार्यवाही
[नगरीय विकास एवं आवास]

11. अता.प्र.सं.186 (क्र. 1968) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता का पत्र क्र.781 दिनांक 10.02.2025 में वर्णित तथ्य या तारांकित प्रश्न क्रमांक 1570 सदन में उत्तर दिनांक 19/12/2024 के बिन्दु (घ) में दिए गए उत्तर में से क्या सही है? कारण सहित बताएं। यदि सदन में गलत जानकारी दी गई है तो कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? बतायें। यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बताएं। **(ख)** दिनांक 01/01/2023 से प्रश्न दिनांक तक न.नि. भोपाल के विभिन्न विभागों एवं बी.सी.एल.एल. द्वारा विभिन्न निविदाओं/टेण्डर्स के कितने विधिक अभिमत लिए गए और इन विधिक अभिमतों में किस-किस विधिक अभिमत अनुसार कार्यवाही की गई, का विभाग के आधार पर पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर दें, वकीलों की फीस मय दस्तावेज नोटशीट एवं पत्राचार की छायाप्रति प्रदान करें। **(ग)** दिनांक 01/01/2015 से प्रश्न दिनांक तक न.नि. भोपाल एवं बी.सी.एल.एल. की समस्त बैलेन्स शीट ऑडिट रिपोर्ट सी.ए.जी. रिपोर्ट आपत्तियों एवं जांच के दस्तावेज एवं संबंधित नोटशीट की छायाप्रति प्रदान करें। नगर निगम एकाउंट सेक्शन को बी.सी.एल.एल. से इस समय अवधि में कोई राशि प्राप्त करनी है? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो राशि का पूर्ण विवरण किस मद में एवं कितनी राशि का गौशवारा मय दस्तावेज एवं नोटशीट प्रदाय करें। **(घ)** दिनांक 1 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा कितने विज्ञापन कब-कब प्राप्त हुए है और कितनी राशि बी.सी.एल.एल. को प्राप्त हुई एवं ऑपरेटर को कितना भुगतान हुआ कितना समायोजन हुआ का सम्पूर्ण गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज, नोटशीट, पत्राचार छायाप्रति प्रदाय करें। बी.सी.एल.एल. के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी विभागों को पत्र प्रेषित होते थे, का नाम एवं पद बताएं एवं उपरोक्त समय अवधि की पत्रों की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 1570 के बिन्दु (घ) में प्रश्नकर्ता द्वारा चाहे गये वांछित दस्तावेज के क्रम में इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज प्रदान किये गये थे, जो कि रिकार्ड अनुसार सही है। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ख)** दिनांक 01/01/2023 से प्रश्न दिनांक तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ग)** दिनांक 01/01/2015 से प्रश्न दिनांक तक बैलेन्स शीट ऑडिट रिपोर्ट सी.ए.जी. रिपोर्ट आपतियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। सी.ए.जी. विभाग द्वारा निविदा क्र. 78, 41, 43, 63 अंतर्गत की गई जांच के संबंध में अद्यतन कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। जी नहीं। **(घ)** दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार** है।

अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने वाले

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

12. अता.प्र.सं.197 (क्र. 2035) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. के मण्डला एवं जबलपुर जिले में ''कोष्टा'' जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं? **(ख)** क्या मण्डला जिला में कुछ अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) का लाभ ले रहे हैं तथा कुछ अधिकारी/कर्मचारी यह लाभ प्राप्त करते हुये सेवानिवृत्त भी हो चुके है? दिनांक 01 जुलाई, 2024 की स्थिति में लाभ ले रहे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की सूची पृथक-पृथक संलग्न की जावे जिसमें अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पिता/पति का नाम, पद, कार्यरत स्थान का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिये। **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित उक्त सूची में से कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच चल रही थी तथा कुछ वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन अदायगी आदेश जारी किये जा चुके हैं। ना-मांग/ना-जांच प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये। **(घ)** क्या ऐसे सेवानिवृत्त उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को किस-किस सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि, परिवार कल्याण निधि योजना 1974, समूह बीमा योजना 1985, बीमा सह बचत योजना 2003, अवकाश नगदीकरण, उपादान आदि मदों की कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई है, स्पष्ट विवरण सहित संलग्न किया जावे।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [***(क) जी हाँ/ (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार** है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' में** उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध ''हल्वी'' अनुसूचित जनजाति का संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा में कार्यरत होने तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा की जा रही है। पेंशन अदायगी आदेश, ना मांग/ना जांच प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं प्रमाण पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार** है।

रेल्वे मेट्रो डिपो का निर्माण

[नगरीय विकास एवं आवास]

13. परि.अता.प्र.सं. 178 (क्र. 2254) श्री हरिशंकर खटीक : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 1759 दिनांक 19.12.2024 को जिला भोपाल में अरेरा हिल्स पर स्थित ग्रीन मेडोज़ कॉलोनी हेतु आवंटित भूमि के खसरे एवं रकबे में विसंगति का सुधार हेतु एकमुश्त लीज़ रेंट जमा कराने हेतु 10 मीटर छोड़कर रेलवे मेट्रो डिपो का कार्य प्रारंभ कराने एवं अन्य सभी समस्याओं के निदान हेतु प्रश्न किया गया था? सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि प्रश्न दिनांक तक विभागीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा में किए गए तारांकित प्रश्न के माध्यम से चर्चा में क्या-क्या आश्वासन दिए गए थे? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर ऐसे सभी आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें, जिसके आधार पर

माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर में जवाब दिया था? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि मंत्री जी के जवाब में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है और क्या-क्या शेष है? क्या रेलवे मेट्रो डिपो भोपाल द्वारा माननीय मंत्री जी के आश्वासनों के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं? स्पष्ट बताएं कि मंत्री जी का आश्वासन क्या-क्या था और रेल्वे मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य कॉलोनी से कितनी दूरी से किया जा रहा है? सम्पूर्ण जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि विधानसभा में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर कार्य न करने के क्या-क्या कारण हैं? क्या विभाग उनके आश्वासनों के आधार पर कार्य करेगा तो कब तक और नहीं तो क्यों? सम्पूर्ण जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** मेट्रो रेल के अधिकारियों, डिजाइन कंसलटेंट व म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधिकारियों के साथ अपर सचिव, विधान सभा और माननीय विधायक जतारा (श्री हरिशंकर खटीक) के साथ दिनांक 18.01.2025 को ग्रीन मिडोस एवं मेट्रो डिपो साइट का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित सदस्यों एवं रहवासियों को मेट्रो द्वारा डिपो निर्माण के क्रम में किये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी गयी एवं स्लोप प्रोटेक्शन कार्य की भी जानकारी दी गई। मेट्रो डिपो साईट पर ग्रीन मिडोस विला के तरफ निर्माण का कार्य राइट्स और आई.आई.टी., दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार किया जा रहा है। रोज विला बाउन्ड्रीवॉल से मेट्रो की बाउन्ड्रीवॉल 4.5 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। माननीय विधायक एवं रहवासियों द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार 4.5 मीटर में से 3 मीटर हरित पट्टी एवं 1 मीटर चौडा बारिश के पानी के लिए नाला निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्रीन मिडोस के वर्तमान पत्थर की बाउन्ड्रीवॉल को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1.5 मीटर ऊंची आर.सी.सी. वॉल मेट्रो द्वारा बनाई जा रही है। मेट्रो डिपो के डिजाइन और प्लान के अनुसार 4.5 मीटर से ज्यादा दूरी पर मेट्रो की बाउन्ड्रीवॉल बनवाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उक्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। स्थल निरीक्षण दिनांक 29.01.2025 का कार्यवाही विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ही मेट्रो का स्लोप प्रोटेक्शन और बाउंड्रीवॉल का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य को करने के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। **(घ)** दिए गए आश्वासन अनुसार माननीय विधायक एवं रहवासियों द्वारा स्थल निरीक्षण के समय दी गयी सहमति अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 मार्च, 2025

अंतरित, आवंटित एवं डीनोटीफाईड भूमि

[वन]

14. अता.प्र.सं.64 (क्र. 1657) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भा.व.अ. 1927 की धारा 4 में अधिसूचित भूमि में से वन विभाग द्वारा गैर वानिकी कार्यों

के आवंटित, अंतरित एवं राजपत्र में डिनोटिफाईड की गई भूमियों को वनखण्ड से पृथक करने के क्या-क्या अधिकार किस-किस को दिए गए है? पृथक किए बिना ही वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास, वनकक्ष मानचित्र में दर्ज कर संरक्षित वन प्रतिवेदित करने के किस-किस को क्या अधिकार दिए गए है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे। **(ख)** वन मुख्यालय वन भवन भोपाल की जानकारी में किस वनमंडल के वर्किंग प्लान में कितनी-कितनी आवंटित एवं अंतरित एवं कितनी-कितनी डिनोटिफाईड भूमि को दर्ज कर संरक्षित वन प्रतिवेदित किया जा रहा है? **(ग)** अंतरित, आवंटित एवं डिनोटिफाईड भूमि को वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र से पृथक करने का अधिकार किसे दिया गया है और पृथक नहीं करने का क्या कारण रहा है? **(घ)** अंतरित आवंटित एवं डिनोटिफाईट भूमियों का वर्किंग प्लान से कब तक पृथक किया जावेगा और अंतरण, आवंटन एवं डिनोटिफिकेशन की प्रविष्टि वर्किंग प्लान में कब तक दर्ज की जावेगी?

राज्य मंत्री, वन : [***(क)*** *भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 में अधिसूचित भूमि में से गैर वानिकी कार्य हेतु आवंटित वनभूमि को अंतरित करने का अधिकार भारत शासन को है तथा धारा-4 की भूमियों को डिनोटिफाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति उपरांत एवं भारत शासन की सहमति के पश्चात राज्य शासन द्वारा किया जाता है।* ***(ख)*** *मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 20.05.1976 द्वारा एवं राज्य शासन के पत्र दिनांक 17.01.1977 के तारतम्य में धारा-34 'अ' की डिनोटिफाईड भूमियों के कुछ प्रकरणों में वनखण्ड से पृथक नहीं किया गया है। प्रश्नांश की शेष* ***जानकारी अत्यंत वृहद होने के कारण एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *अंतरित एवं आवंटित भूमियों को एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वन मानचित्र में पृथक से दर्शाया जाता है। जब तक वनभूमि डिनोटिफाई न हो तब तक इनका स्वरूप वन होता है। राजपत्र में प्रकाशित डिनोटिफाईड भूमियों को मानचित्र/एरिया से पृथक करने का कार्य संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी का है। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 20.05.1976 द्वारा एवं राज्य शासन के पत्र दिनांक 17.01.1977 के तारतम्य में राजपत्र में कुछ प्रकरणों के संबंध में डिनोटिफाईड भूमियों को पृथक नहीं किया गया है।* ***(घ)*** *उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के तारतम्य में नीतिगत प्रश्न होने के कारण अंतरित आवंटित भूमियों को कार्य आयोजना में पृथक से प्रतिवेदित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र दिनांक 14.05.1996 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 202/95 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार कार्यवाही की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **] (ख)** प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

15. अता.प्र.सं.112 (क्र. 2122) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3091 दिनांक 12.07.24 का उत्तर दिलाया जाय तथा बतावें कि जून 2024 से जनवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण की कितनी दुकानों पर खराब सड़ा हुआ, अधिक मिट्टी वाला, किड़े लगा हुआ वितरण हेतु प्राप्त होने की कितनी शिकायतें दुकान संचालक तथा हितग्राही द्वारा की गई कितनी शिकायतों की जांच हुई कितनी सही पाई गई? क्या-क्या कार्यवाही

की गई? जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** वर्ष 2020 से 2025 के प्रत्येक वर्ष में जनवरी माह अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवार तथा पात्र परिवार की जनसंख्या की जानकारी 27 केटेगरी अनुसार बतावें। **(ग)** सतर्कता समिति द्वारा वर्ष 2019-20 से 2024 तक लक्षित सामग्री वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन तथा आंगनवाड़ी की जिला/तहसील स्तर पर की गई निगरानी की वर्षवार रिपोर्ट प्रमुख बिन्दु (वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24) अनुसार देवें। **(घ)** क्या 2016-17 में पात्र परिवारो की 39.10 मैट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया था जो 2021-22 में 30.44 मैट्रिक टन हो गया तथा 2023-24 में 32.93 मैट्रिक टन हो गया इसका कारण क्या है? क्या पात्र परिवारों की संख्या कम हुई या कम मात्रा में खाद्यान्न दिया गया वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक दिये गये गेहूँ, चावल तथा मोटा अनाज मिलाकर प्रति हितग्राही को कितना-कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** प्रश्न क्रमांक 3091 दिनांक 12 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2021-22 एवं 2023-24 में वर्ष 2016-17 की तुलना में औसतन हितग्राहियों की संख्या कम है पात्रतानुसार ही खाद्यान्न प्रदाय किया गया है कम खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया गया है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक कुल खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मोटा अनाज मिलाकर) एएवाय प्रति परिवार 35 किलोग्राम एवं पीएचएच प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया गया है।

अमानक स्तर के खाद्यान्न का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

16. परि.अता.प्र.सं. 150 (क्र. 2285) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के संबंध में मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव खाद्य, आयुक्त, खाद्य एवं किस-किस जिला खाद्य अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब, किस-किस जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई? प्राप्त शिकायतों में कब-कब, क्या-क्या नियमानुसार कार्यवाही हुई, जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र घटिया स्तर-अमानक स्तर का चावल वितरित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 03.02.2025 को मुख्य सचिव व अन्य विभागीय अधिकारियों को अमानक स्तर के चावल के वितरण पर रोक लगाने एवं अमानक स्तर का चावल वितरित किये जाने के संबंध में संलग्न अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की मांग की गई थी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में खाद्यान्न वितरण से पूर्व किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया, क्या प्रतिवेदन दिया गया और अनूपपुर जिले सहित प्रदेश में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं को रोकने और कार्यवाही की विभाग की क्या योजना है? **(घ)** क्या विभाग अमानक स्तर के चावल के वितरण संबंधी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा और भविष्य में इस तरह की

घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये दिशा निर्देश जारी करेगा? उत्तर यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो कारण बतायें।

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रश्नांकित अवधि में प्रश्नांकित अधिकारियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं को राकेने के संबंध में LRT अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री उठाव के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रदाय केन्द्र प्रभारी एवं शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का जांच दल गठित किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री उठाव के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, प्रदाय केन्द्र प्रभारी एवं शाखा प्रबंध मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का जांच दल गठित किया गया है। अनूपपुर जिले सहित प्रदेश में खाद्यान्न जमा के समय नियमानुसार प्रदाय केन्द्र पर पदस्थ केन्द्र प्रभारी मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन तथा प्रत्येक माह में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। विधानसभा पुष्पराजगढ़ अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से जनवरी, 2023 से नवम्बर, 2025 तक स्टेक चयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ)** शिकायत की जांच कराई गई, जांच में अमानक चावल का वितरण उपभोक्ताओं को वितरण होना नहीं पाया गया। प्रकरण में अमानक चावल प्राप्त करने एवं उचित रख-रखाव न करने के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटना न हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

<u>दिनांक 20 मार्च, 2025</u>

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में कुलगुरू की नियुक्ति

[उच्च शिक्षा]

17. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 259) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरू की प्राध्यापक के रूप में उच्च शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि क्या है? **(ख)** क्या कुलगुरू प्रथम नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के विनियमों का पूर्णत: पालन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या जिस विज्ञापन के अंतर्गत श्री वर्मा द्वारा प्राध्यापक पद हेतु आवेदन किया गया था, उस विज्ञापन में वर्णित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका सन् 2003 में उल्लेखित शर्त प्राध्यापक पद हेतु आवश्यक दस वर्षों के कार्यानुभव में पी.एच.डी. शोधार्थियों के शोध निदेशक होने का अनुभव शामिल होना था? यदि हाँ, तो प्राध्यापक पद हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रो. वर्मा शोध निदेशक थे? **(ग)** यदि प्रो. वर्मा के पास तत्समय शोध निदेशक के रूप में अनुभव धारित करते थे, तो उनके मार्गदर्शन में कितने पी.एच.डी. शोधार्थियों ने अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया था? **(घ)** इनके द्वारा प्राध्यापक पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक कितने शोध पत्रों का प्रकाशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य केयर लिस्ट की शोध पत्रिकाओं में किया गया? **(ड.)** प्रो. वर्मा द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरू पद हेतु आवेदन करते

समय राजभवन भोपाल में प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख बतावें। **(च)** यदि प्रो. वर्मा के पास प्राध्यापक पद हेतु वांछनीय आवश्यक अनुभव या योग्यता की कमी थी, तो उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु की विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-163/2011/38-1, दिनांक 31.01.2012 अनुसार प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 11.02.2012 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"अ" अनुसार है। (ख)*** *डॉ. राजेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य का अध्यापन अनुभव* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"ब" अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। डॉ. राजेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य का अध्यापन अनुभव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नियुक्ति के वर्ष में यू.जी.सी. द्वारा मान्य केयर लिस्ट प्रचलन में नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (च)** उतरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उच्च शिक्षा विभाग में चतुर्थ पे-बैंड स्वीकृत किया जाना

[उच्च शिक्षा]

18. परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 335) इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ पे-बैंड की पात्रता आदेश जारी होने के बावजूद वर्तमान में जिन शिक्षकों का चतुर्थ पे-बैंड स्थगित रखा गया है, उनमें से ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के आधार पर विभाग ने चतुर्थ पे-बैंड स्थगित रखा है। क्या ऐसा किया जाना नियमानुसार है? **(ख)** यदि ऐसा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया है तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस नियम के अंतर्गत, उक्त स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। क्या महज गोपनीय प्रतिवेदन के अप्राप्त होने के आधार पर, उपयुक्त पे-बैंड से किसी कर्मचारी को लाभ लेने से रोका जा सकता है। क्या ऐसा किया जाना नियमानुसार है को किस नियम से? **(ग)** वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के आधार पर जिन शिक्षकों का चतुर्थ-पे-बैंड स्थगित है, उनमें से कितने शिक्षकों का प्रकरण न्यायालय में लंबित है और इस मामले में शासन से क्या पहल की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-124/2010/38-1, दिनांक 14.09.2012* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1*** *द्वारा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), की अधिसूचना क्रमांक हैं 1-32/2006-U.II/U.I (i) दिनांक 31 दिसम्बर 2008* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है*** *तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2009, नई दिल्ली दिनांक 30 जून 2010* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3*** *के अनुक्रम में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, ग्रंथपालों तथा क्रीड़ा अधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेग्युलेशन दिनांक 30 जून 2010 के बिन्दु 6.4.7 में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), की अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के बिन्दु 2 (ix) में प्रवर श्रेणी वेतनमान उपरांत 03 वर्ष पूर्ण करने पर एजीपी 9000 (स्टेज 4) के अनुपालन में अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान के उपरांत पात्रता तिथि के 03 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में लिया जाकर पात्रतानुसार चतुर्थ-पे-बैण्ड स्वीकृत किया जाता है, जो नियमानुसार है। जिन शिक्षकों द्वारा चतुर्थ-पे-बैण्ड हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं की जाती है तथा जिनके पात्रता दिनांक के 03 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके प्रकरणों को अनुवीक्षण समिति द्वारा विचार में लिया जाकर अमान्य/लंबित रखा जाता है। शेष ***जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)*** *उपरोक्त नियमों के अंतर्गत शिक्षकों को चतुर्थ-पे-बैण्ड स्वीकृत किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 18 जुलाई 2018* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4*** *के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-11/2018/38-1 दिनांक 18/01/2019* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है*** *बिन्दु-6 अनुसार यूजीसी रेग्युलेशन 2018 की कंडिका 6.4 (III) अनुसार अकादमिक स्तर 12 से अकादमिक स्तर 13 क हेतु संबंधित शिक्षकों की मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों को अनुवीक्षण समिति द्वारा विचार में लिया जाता है। इस प्रकार 03 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन चतुर्थ-पे-बैण्ड में स्थानन हेतु आवश्यक है।* ***(ग)*** *डॉ. अखिलेश मणि त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 16593/2015* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार*** *दायर की गई है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में लंबित है।*] **(क)** यथावत। प्रदेश के समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा से प्राप्त जानकारी अनुसार चतुर्थ पे-बैण्ड स्थगित रखने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6** में वर्णित 01 प्रकरण को छोड़कर शेष जानकारी निरंक है।

महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

19. अता.प्र.सं.17 (क्र. 484) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से वर्तमान में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या की जानकारी श्रेणीवार (यथा वाणिज्य, कला, विज्ञान, शिक्षा इत्यादि) दी जाये? **(ख)** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालयों की संख्या एवं नाम जिनमें प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति यू.जी.सी. के नियम एवं विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अनुसार हुई है, जानकारी दी जाये? इन चयनित प्राचार्य एवं शिक्षकों के नामों की सूची जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर वरिष्ठ सूची के रूप में प्रदर्शित हो वह उपलब्ध करायी जाये? **(ग)** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कॉलेज कोड 28 में चयनित एवं कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों की जानकारी जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा हो तो

जानकारी उपलब्ध करायी जाये? **(घ)** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के नियमानुसार आवश्यक संख्या में स्टॉफ एवं कॉलेज कोड 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हैं उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विश्वविद्यालय/महाविद्यालयवार जानकारी दी जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (प्रपत्र 1) अनुसार है।*** ***(ख)*** *बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में वरिष्ठता सूची के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 01 से 153) अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 10 से 9) एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' (प्रपत्र 1) अनुसार है।*** *माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 12366/2024 में दिए गए निर्देश दिनांक 28/05/2024 के पालन में वर्तमान में महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।* **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

अनियमित कार्यों की जांच
[उच्च शिक्षा]

20. परि.अता.प्र.सं. 127 (क्र. 2450) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मन्दसौर में जनभागीदारी समिति का विधिवत गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति का विवरण देवें। **(ख)** बिना जनभागीदारी समिति गठित किए, बिना समिति की स्वीकृति के एकल सदस्य के रूप में प्राचार्य-सचिव से मिलकर दिनांक 25.11.2022 से दिनांक 01.03.2025 तक कुल कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये? मय बिल, कोटेशन सहित जानकारी देवें। ऐसे अवैध कार्यों के लिए क्या अध्यक्ष एवं प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? विवरण देवें। **(ग)** उक्त महाविद्यालय अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से वर्तमान तक आउटसोर्स एवं जनभागीदारी समिति के माध्यम से किस-किस पद पर कौन-कौन सी नियुक्तियां की गई हैं? उनके प्राप्त आवेदन, मानदेय एवं उनकी चयन प्रक्रिया, चयनित स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता मो.नं. सहित विवरण देवें। क्या आउटसोर्स कर्मचारी नरसिंह कुमावत महाविद्यालय में कार्यरत था? यदि हाँ, तो उसे कुल कितना वेतन दिया गया है, उसकी उपस्थिति की प्रति व नियुक्ति पत्र की प्रति देवें। **(घ)** क्या महाविद्यालय में किये गये कार्य विधिवत गठित जनभागीदारी समिति से स्वीकृत अनुमोदित है? यदि नहीं, तो जनभागीदारी निधि का नियम विरूद्ध उपयोग पर अध्यक्ष से संपूर्ण वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ड.)** प्राचार्य डॉ. आर. के. वर्मा के पत्र दिनांक 21.12.2024 एवं 27.12.2024 पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? विवरण देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 23-9/2017/38-2, दिनांक 04.11.2022 द्वारा महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। शेष गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।* ***(ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है।

परिसमापक द्वारा कानूनी प्रक्रिया में भाग लिया जाना
[सहकारिता]

21. परि.अता.प्र.सं. 138 (क्र. 2491) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 106 (क्रमांक 515), दिनांक 08/02/2024 दिनांक में यह जानकारी दी गई है कि एफ.डी. का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन लंबित है? यदि हाँ, तो क्या एफ.डी. के प्रकरण में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से राज्य उपभोक्ता फोरम के प्रकरण क्र. 235/14 में दिनांक 24/02/2014 के परिपालन में 19/03/2014 को समझौता किया गया? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी दें। क्या समझौते के पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह परमार, प्रभारी महाप्रबंधक द्वारा बैंक की ओर से न्यायालय सी.जे.एम. दतिया में 29/07/2015 को परिवाद दायर किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त परिवाद हेतु जे.आर. ग्वालियर/संचालक मण्डल की अनुमति/अधिकारिता पत्र संलग्न किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कृपया अनुमति/अधिकारिता पत्र का डिस्पैच पंजी का नंबर/दिनांक सहित प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया का परिसमापन आयुक्त सहकारी संस्थाएं के आदेश क्र.भूमि अ/1/परि/2016/133 दिनांक 22/3/2016 एवं जे.आर. ग्वालियर के आदेश क्र. 289, दिनांक 19/02/2016 में किया गया? यदि हाँ, तो क्या सह. अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में बैंक की ओर से परिसमापक समस्त विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने एवं समस्त विधिक कार्यवाहियों में संस्था की ओर से प्रतिरक्षा (sifance) करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी दी गई है? यदि हाँ, तो एच.पी. जाटव परिसमापक द्वारा दिनांक 23/02/2016 के पदभार ग्रहण करने एवं विपणन संघ में 2017 में संविलियिन होने और भारमुक्त के पश्चात प्र.क्र. अपर न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए. भोपाल के प्र.नं. SCPPM 102/2018 एवं प्रकरण क्र. SCPPS 09/2022 जिला ग्वालियर में बैंक की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह परमार 2016 से प्रश्न दिनांक तक भाग ले रहे हैं? यदि हाँ, तो बैंक की ओर से भाग लेने के लिये अनुमति पत्र/अधिकारिता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है? कृपया विवरण देते हुये अनुमति एवं अधिकारिता पत्र का डिस्पैच नंबर/डिस्पैच रजिस्टर सहित अनुमति एवं अधिकारिता पत्र की प्रतियां उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या परिसमापक द्वारा केस नं. SLP (Crl.) No. 3419@2024 Raghuveer Sharan Versus District Sahakari Krishi Gramin Vikash Bank और SLP (CIVIL) No. 5578/2016 General Manager Distric Agriculture and Rural Development Cooperative Versus Shyam Sunder Shyam Public Cooperative And Community Development Societ thr. Secretary एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटीशन (सी) नो. डायरी नं. 27332/2024 एवं जिला उपभोक्ता फोरम के प्र.क्र. EA 25/2024 में भाग लिया है? यदि हाँ, तो विवरण देते हुए बतायें कि ए.डी.जे. न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में भाग क्यों नहीं लिया गया? कृपया जानकारी दें। उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा बिन्दुवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्था भोपाल को शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो क्या शिकायत पत्र के आधार पर विभागीय/कानूनी कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दें और यदि नहीं, तो कारण सहित

बतायें। **(घ)** क्या कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया का परिसमापन होने से पूर्व कितने कर्मचारियों का वेतन मिलना शेष रहा है? कृपया कर्मचारियों के नाम/पद सहित अलग-अलग वेतन की जानकारी देते हुए बतायें कि कितने कर्मचारियों का बकाया वेतन दिया गया है तथा शेष का क्यों नहीं दिया गया? कृपया नाम/पद/राशि का अलग-अलग विवरण दें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। एफडी के प्रकरण में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से राज्य उपभोक्ता फोरम के प्रकरण क्रमांक 235/14 में दिनांक 24.02.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा बैंक का हिसाब चार्ट/विवरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.03.2015 नियत की गई जिसमें दोनों पक्षों की सहमति का लेख है, किंतु उक्त पेशी में बैंक के अधिकृत अभिभाषक द्वारा बैंक के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ही सहमति दी गई थी जिस कारण बैंक द्वारा राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश दिनांक 19.03.2015 को मान्य न करते हुए नेशनल उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की गई। तत्पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, प्रकरण में वर्तमान में विशेष अनुमति पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 27332/2024 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जी हां। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 27.01.2015 के परिपालन में माननीय न्यायालय सीजेएम दतिया में दिनांक 29.07.2015 को तत्कालीन महाप्रबंधक श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा परिवाद दायर किया गया था। सक्षम अधिकारी की नोटशीट पर अनुमोदन की अभिस्वीकृति है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) के अनुसार परिसमापनाधीन संस्था के दावों का प्रतिरक्षण करने की शक्ति परिसमापक में निहित है। वर्तमान में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ग्वालियर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक SCPPS09/2022 पूर्व में तत्कालीन महाप्रबंधक श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा दिनांक 29.07.2015 को माननीय सीजेएम न्यायालय जिला दतिया में प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. दतिया के द्वारा उक्त न्यायालयीन प्रकरण में भाग लेने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया गया है तथा कार्यालयीन अभिलेख में अधिकृत करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2022 में पक्ष समर्थन किया जा रहा है। सीजेएम न्यायालय दतिया में प्रकरण दायर किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** जी हां। उक्त प्रकरण में परिसमापक जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिला दतिया द्वारा भाग लिया गया है। सीजेएम/एडीजे न्यायालय में प्रकरण परिसमापन दिनांक 19.02.2016 के पूर्व तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा दायर किया गया था। अत: परिसमापक द्वारा वादी के रूप में भाग नहीं लिया गया है। जी हां, पत्र क्रमांक 629/2025 दिनांक 24.02.2025 से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं भोपाल को शिकायत प्राप्त हुई है। संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियर संभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन हैं। **(घ)** जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिला दतिया के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिला दतिया का परिसमापन दिनांक 19.02.2016 को किया गया था। बैंक के वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न स्थिति विवरण पत्रक दिनांक

31.03.2016 के अनुसार बैंक को कर्मचारियों का वेतन देना शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्वालियर चंबल संभाग के अशासकीय कॉलेजों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

22. अता.प्र.सं.157 (क्र. 2498) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कितने शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित है? नाम, पता सहित विवरण देते हुये बतायें कि उक्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कितने प्रॉयवेट कॉलेज संचालित हो रहे है तथा उक्त संचालित कॉलेजों में से कितने कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है? स्थापना वर्ष से लेकर प्रश्न दिनांक तक जिलावार कॉलेजों के नाम पता सहित संपूर्ण विवरण दें। **(ख)** क्या जीवाजी वि.वि. ग्वालियर के अंतर्गत 1.S.N. 139 महाराणा प्रताप कॉलेज. गुलालई, मुरैना 2. S.N. 165 शिव शक्ति महाविद्यालय, झुडंपुरा, मुरैना 3. S.N. 166 सुभाष कॉलेज, पहाड़गढ़, मुरैना 4. S.N. 212 शिवशंकर कॉलेज, कलमाड, शिवपुरी 5. S.N. 221 डॉ. अम्बेड़कर कॉलेज, वीरपुर, श्योपुर 6. S.N. 174 इंदिरा इंस्टीट्यूट, सुनहरा, सबलगढ़, मुरैना सहित अन्य कालेज संचालित हो रहे है? यदि हाँ तो उक्त कॉलेजों सहित जीवाजी वि.वि. के अंतर्गत संचालित प्रॉयवेट कॉलेजों की विगत 10 वर्षों की मान्यता निरीक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन का अलग-अलग विवरण उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या जीवाजी वि.वि. के अंतर्गत उक्त प्रॉयवेट कॉलेजों में व्याप्त गड़बडियों, अनियमितताओं एवं गबन घोटाले के संबंध में शिकायतों सहित माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई है? यदि हाँ तो उक्त शिकायतों की जानकारी देते हुये, की गई कार्यवाही से अवगत करायें? क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश के परिपालन में ई.ओ.डब्ल्यू. में प्राथमिकी दर्ज की गई है? यदि हाँ तो किस-किस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है तथा ई.ओ.डब्ल्यू. और विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) वर्णित उक्त प्रॉयवेट कॉलेजों को छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति राशि दी गई है? कृपया कॉलेजवार छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के नाम, पता, राशि की जानकारी उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 19 शासकीय तथा 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।*** ***(ख)*** *सुभाषचन्द्र बोस कॉलेज, पहाड़गढ़, मुरैना तथा शिवशक्ति महाविद्यालय, सबलगढ़ मुरैना की संबद्धता समाप्त की गई है, शेष 04 महाविद्यालयों को जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।*** ***(ग)*** *जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में जनहित याचिका क्रमांक 37922/2024 दर्ज की गई थी जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। संबंधित कलेक्टर के माध्यम से इन महाविद्यालयों की जांच कराई जा रही है। जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक 29/02/2025 में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

वीआईटी विवि में अवैध कोर्स का संचालन

[उच्च शिक्षा]

23. अता.प्र.सं.158 (क्र. 2499) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीहोर जिले में स्थित वीआईटी विवि भोपाल में एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए का कोर्स कब से संचालित है, इसमें अभी तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश एवं डिग्री दी गई है तथा कितनी फीस वसूली गयी है। वीआईटी विवि में एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए कोर्स के ऑर्डिनेंस की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं तथा म.प्र. निजी विवि आयोग भोपाल द्वारा एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए कोर्स के संचालित करने की अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। अगर ये कोर्स अवैध चल रहे हैं तो विवि और आयोग के अध्यक्ष पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, कब की जाएगी? **(ख)** सीहोर जिले में स्थित वीआईटी विवि भोपाल में गेमिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक एन्ड साइबर सिक्युरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, बायो इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स कब से संचालित है, इसमें अभी तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश एवं डिग्री दी गई है। वीआईटी विवि में इन कोर्स के ऑर्डिनेंस की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। अध्यादेश क्रमांक 2 में ये कोर्स कहाँ उल्लेखित हैं, यदि उल्लेखित नहीं है तो मान्यता एवं संचालन की अनुमति कैसे दी गयी। अगर ये कोर्स अवैध चल रहे हैं तो विवि और आयोग के अध्यक्ष पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *प्रश्नांकित विश्वविद्यालय में एम.सी.ए. कोर्स वर्ष 2017 से एवं एम.बी.ए. कोर्स वर्ष 2022 से संचालित है, एम.टेक पार्ट टाईम कोर्स संचालित नहीं है, प्रवेश डिग्री एवं शुल्क संबंधी* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्र की जा रही है****, तदोपरांत परीक्षण करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाएगी।* ***(ख)*** *विषयांकित विश्वविद्यालय में बी.टेक कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत गैमिंग टेक्नोलॉजी, सायबर सिक्यूरिटी एवं डिजीटल फॉरेंसिक, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एवं बी.टेक बायो इंजीनियरिंग के कोर्स सत्र 2018-19 से संचालित हैं, डाटा एनालिसिस, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स संचालित नहीं हैं। प्रवेश एवं डिग्री संबंधी* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्र की जा रही है****, तदोपरांत परीक्षण करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाएगी।* **] (क)** अध्यादेश एवं आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमति संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** विश्वविद्यालय द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालन हेतु आयोग से अनुमति नहीं प्राप्त की गई है, जिसके कारण आयोग द्वारा विश्वविद्यालय पर रूपये 10.00 लाख का दंड अधिरोपित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार।

विभाग अंतर्गत जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

24. अता.प्र.सं.178 (क्र. 2568) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएँ, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** दिनांक 1 अप्रैल 2014 से वर्ष 2018 तक म.प्र. के किन-किन नगरों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत

किये गये हैं? प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई हैं बतावें। विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? बतावें। कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? **(घ)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नगर पालिका परिषद सिरोंज एवं नगर परिषद लटेरी, जिला विदिशा में सर्व सुविधा युक्त पवेलियन सहित स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो स्वीकृतियां कब तक हो जावेगी? क्या प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(ड.)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन कब-कब किया गया? खेलवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा उक्त आयोजन पर कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी व्यय की गई? कितनी लेप्स हुई? लेप्स होने के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या व्यय संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें कौन दोषी पाये गये? यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार** है। प्रशासकीय आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांकित अवधि में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** जिला विदिशा में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक खेल प्रतियोगिताओं, आयोजन, विकासखंड, खेलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार** है। राशि लैप्स नहीं की गई है, राशि समर्पित की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 21 मार्च, 2025

अपूर्ण उत्तर की पूर्ण जानकारी

[गृह]

25. परि.अता.प्र.सं. 35 (क्र. 1818) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्न क्र. 1160 उत्तर दिनांक 24.12.2021 के उत्तर में जानकारी एकत्रित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त वांछित जानकारी एकत्रित कर ली गई हैं? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** यदि नहीं, तो इतना लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो बताएं? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश

के परिप्रेक्ष्य में डॉ.अमित यादव को मेडिकल कॉलेज दतिया में तत्समय सहायक अधिष्ठाता के पद पर व्यापम का आरोपी होने के बाद भी किस नियम/आधार पर पदस्थ किया गया था?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। जी हाँ। मार्च सत्र 2021 तारांकित प्रश्न क्रमांक 1160 श्री पॉचीलाल मेड़ा के संबंध में विधानसभा सचिवालय को उत्तर भेजा जा चुका है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय आवास का आवंटन

[गृह]

26. अता.प्र.सं.75 (क्र. 2180) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु शासकीय आवास आवंटन किये जाने संबंधी पूर्ण नियमावली व निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। **(ख)** जिला मुख्यालय रीवा में अधिकारी/कर्मचारी हेतु कुल कितने शासकीय आवास निर्मित हैं, कितने भरे व कितने रिक्त हैं? स्थलवार व श्रेणीवार, भवन न. सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्स कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त एवं मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित हो चुके अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या रीवा जिला मुख्यालय में संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्स कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त एवं मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित हो चुके अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किये गये हैं। यदि हाँ, तो क्या नियम विरूद्ध आवंटित शासकीय आवास खाली कराये जायेंगे यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतायें। नियम विरूद्ध आवंटन करने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** शासकीय आवास एफ-टाइप किस श्रेणी के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित करने का प्रावधान है? क्या यह सत्य है कि रीवा जिला मुख्यालय में एफ टाइप शासकीय आवासों को अपात्र श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित किया गया है यदि हाँ, तो रीवा मुख्यालय में एफ-टाइप शासकीय आवासों के आवंटन का कर्मचारियों के पदवार, श्रेणी एवं वेतन ग्रेडवार पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (ग)** दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्स कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त एवं मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित हो चुके अधिकारी/कर्मचारियों को शासकीय आंवास आवंटित नहीं किए गए हैं। आवंटित शासकीय आवासों में दो संविदा कर्मचारियों को पूर्व से शासकीय आवास आवंटित है, जिनको संज्ञान में लेते हुए आवंटन निरस्त करने एवं आवास रिक्त कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** एफ टाईप शासकीय आवास 15600+5400 ग्रेड पे या अधिक वेतनमान के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित करने के प्रावधान है। एफ टाईप शासकीय आवास अधिकारी/कर्मचारी के प्रचलित वेतनमान के आधार पर आवंटित किए गए हैं। आवंटित आवासों में से एक शासकीय आवास एफ-12 नर्सिंग

ऑफिसर को पूर्व में आवंटित होना पाया गया है, जिसे संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार।**

भोपाल में अपराधों में वृद्धि

[गृह]

``**27. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 2733) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा का प्रकरण कब और कैसे विभाग के संज्ञान में आया? उसके उपरांत विभाग द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण प्रकरण में कितनी नगदी, सोना, चांदी, बैंक खातों में जमा पूंजी, बाजार में संपत्तियों का मूल्य सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। इस प्रकरण में विभाग के कौन-कौन से स्तर के अधिकारी/कर्मचारी कार्यवाही में उपस्थित थे? उनका नाम, पदनाम, पदीय दायित्व, कार्यालय का नाम, भोपाल में कब से पदस्थ हैं, संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। **(ख)** उपरोक्त के संबंध में कितने लोगों के विरूद्ध किस-किस एजेन्सी ने किन-किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है? प्रश्न दिनांक तक प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ग)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल जिले में समस्त थानों में कौन-कौन टी.आई. एवं प्रभारी टी.आई. नियुक्त है? भोपाल में अपनी सेवाकाल के कुल कितने वर्षों तक भोपाल में रहे? एक ही शहर में रहने के आदेश, उनके संपूर्ण सेवाकाल में उनके विरूद्ध कब और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर कब और क्या कार्यवाही की गई? उनकी संपत्ति की जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में टी.आई. पोस्टिंग के पूर्व थाने में लंबित प्रकरणों की संख्या, टी.आई. पोस्टिंग के बाद दर्ज प्रकरणों की संख्या एवं स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने पर निराकरण उपरांत लंबित प्रकरणों की संख्या, कितने प्रकरण में चालान पेश, कितने में किस कारण से लंबित सहित संपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) के संबंध में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ होने के कारण अपराधों में बेतहाशा वृद्धि का प्रतिशत कितना अधिक रहा सहित टी.आई. का नाम, माहवार, प्रतिशत सहित गौशवारा बनाकर बतायें।

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार*** *है।* ***(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार*** *है।* ***(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार*** *है।* **] (क)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुका संगठन) म.प्र. भोपाल को शिकायतकर्ता से दिनांक 17.12.2024 को शिकायत आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा का प्रकरण सजान में आया। प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल से आरोपी के निज निवास ई-7/78, अरेरा कॉलोनी भोपाल तथा कार्यालयीन आवास ई-7/657, अरेरा कॉलोनी भोपाल की तलाशी हेतु विधिवत सर्च वारंट प्राप्त किया जाकर दिनांक 19.12.2024 एवं 20.12.2024 को विधिवत तलाशी की कार्यवाही संपन्न की गई। प्रकरण में असल अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 13 (1) बी सहपठित 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना में जप्त नगदी, सोना चांदी

एवं अचल संपत्ति संबंधी एवं कार्यवाही में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. भोपाल द्वारा आरोपी सौरभ शर्मा सेवानिवृत्त परिवहन आरक्षक के विरुद्ध दिनांक 19.12.2024 को अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 13 (1) बी सहपठित 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 (संशोधित 2018) पंजीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी श्री सौरभ शर्मा के अतिरिक्त 03 अन्य आरोपीगण 1. श्रीमती दिव्या तिवारी पत्नी श्री सौरभ शर्मा, 2. श्री शरद जायेसवाल पिता श्री कैलाश प्रसाद जायेसवाल तथा 3. श्री चेतन सिंह गौड पिता प्रताप सिंह गौड निवासी भोपाल की सलिप्तता पाये जाने पर इनको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। जिसके अनुक्रम में संबंधित धाराएं बढ़ायी जाकर धारा 12, 13 (1) बी सहपठित 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 (संशोधित 2018) भ्र.नि.अ. 1980 (संशोधित 2018) तथा धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023/120बी भादिव के अंतर्गत उक्त अपराध क्रमांक-195/24 की विवेचना जारी है।

आंगनवाड़ी से संबंधित जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

28. अता.प्र.सं.172 (क्र. 2771) श्री उमाकांत शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल एवं सागर संभाग में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? जिलावार जानकारी दें। स्वीकृत के विरूद्ध कितने पदों पर कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त है और कितने पद रिक्त है तथा भोपाल एवं सागर संभाग के कितने ग्राम, मजरा-टोला, नवीन बसाहटों में आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है तथा कितने भवन स्वीकृत है? कितनी भवन विहीन आंगनवाड़ियां है? विकासखण्डवार जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं बच्चों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है? क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या उक्त केन्द्रों में पोषण आहार राज्य, संभाग, जिला अथवा विकासखण्ड की शासकीय/निजी एजेन्सियों/स्व-सहायता समूहों द्वारा सप्लाय किया जाता है? यदि हाँ, तो सप्लाय करने वाली एजेन्सियों के नाम, सप्लायर एजेन्सियों के संचालकों के नाम बतावें और इनके चयन की प्रक्रिया क्या है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल संभाग में वर्ष 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक आंगनवाड़ियों में कितनी नियुक्तियां हुई है? वर्षवार, जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा नियुक्तियों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जाकर शिकायतों का निराकरण कर दिया जावेगा? **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में क्या पोषण आहार सप्लायर के विरूद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो इसके लिये दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? कितनी शिकायतें लंबित है, उनको कब तक निराकृत कर दिया जावेगा? बतावें। **(च)** विदिशा जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सूखा एवं ताजा पोषण आहार कौन-कौन सी एजेन्सियों, फर्मों, व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? संस्था का नाम, संस्था प्रमुख का नाम, पता, कब से उपलब्ध कराया जा रहा है?

आंगनवाड़ीवार, पंचायतवार, जानकारी देवें। क्या वर्तमान प्रभारी परियोजना अधिकारी लटेरी के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई? कौन दोषी पाया गया? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [***(क)*** *भोपाल एवं सागर संभाग अंतर्गत 19,681 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिलेवार संचालित केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के भरे एवं रिक्त पदों की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।*** *भारत सरकार द्वारा नवीन केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने से प्रदेश में इस हेतु सर्वे नहीं किया जा रहा है, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *आंगनवाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों का पात्रतानुसार पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शालापूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है।* ***(ग) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** भोपाल एवं सागर संभाग अंतर्गत 19,681 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिलेवार संचालित केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के भरे एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर** है। भारत सरकार द्वारा केवल प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (PMJANMAN) कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों के एवं धरती आबा (DAJ-GUA) अन्तर्गत निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले ग्रामों में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा रहे है। अन्य क्षेत्रों में नवीन केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। आंगनवाडी विहीन ग्राम, मजरा टोला एंव नवीन बसाहटों से सम्बंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर** है। स्वीकृत भवन एवं भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों से सम्बंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर** है। **(ग)** आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार राज्य सरकार के उपक्रम मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, नर्मदापुरम्, सागर संयंत्रों के माध्यम से एवं 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में साझा चूल्हा के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किया जा रहा है। पोषण आहार प्रदाय शासकीय/अशासकीय उपक्रमों के माध्यम से किये जाने से शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** आंगनवाड़ी केन्द्रों में की जाने वली नियुक्तियों के सम्बंध में विभागीय भर्ती नियम अनुसार दावा/आपत्ति प्राप्त किये जाते हैं जिसका निराकरण जिला स्तरीय दावा आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक हुई नियुक्तियों/प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही से सम्बधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 पर** है। **(ड.)** आगनवाड़ी केन्द्र में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों गर्भवती एवं धात्री माता तथा चिन्हित 08 आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन तथा 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के द्वारा नाश्ता एवं गर्म पका भोजन का प्रदाय किया जाता है। टेक होम राशन के प्रदाय के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण से सम्बधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-06 (A) पर** एवं सांझा चूल्हा से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण से सम्बधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-06 (B) पर** है। **(च)** विदिशा जिले में आंगनवाड़ी केन्द्र में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माता तथा चिन्हित 08 आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को टेक

होम राशन का प्रदाय महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी मर्यादित सागर संयंत्र द्वारा माह अप्रैल 2023 से प्रदाय किया जा रहा है तथा 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के द्वारा नाश्ता एवं गर्म पका भोजन का प्रदाय किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7** एवं **"7 (A)" पर** है। प्रश्नाधीन काल में पदस्थ प्रभारी परियोजना अधिकारी लटेरी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 08 पर** है।

दिनांक 24 मार्च, 2025

स्वास्थ्य केन्द्रों में पदपूर्ति, सुविधाएं एवं उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

29. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 1501) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के तहसील मझौली एवं कुसमी और सिंगरौली जिले के तहसील देवसर में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं कितने पोषण आहार केन्द्र संचालित हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। भवन विहीन कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? भवन निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पोषण आहार केन्द्र में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ हैं। जानकारी उपलब्ध करायें। कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? **(ग)** क्या सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितने एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस एवं शव वाहन उपलब्ध हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। मरीजों के लिये एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है? कारण बतायें। स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध एम्बुलेंस किन-किन मरीजों को कहां-कहां से कब-कब सेवायें उपलब्ध कराई गई है? प्रत्येक एम्बुलेंस की लॉगबुक की छायाप्रति वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली, कुसमी एवं निवास में एक्स-रे मशीन एवं एक्स-रे टेक्नीशियन उपलब्ध है?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" (पेनड्राइव) अनुसार।** भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं तत्पश्चात निर्माण कार्य एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है। अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र "ब" (पेनड्राइव) अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" (पेनड्राइव) अनुसार।** मरीजों के लिए उपचार हेतु अस्पताल तक लाने हेतु 108 एम्बुलेंस, जननी एम्बुलेंस कॉल सेंटर पर फोन किये जाने पर एम्बुलेंस की उपलब्धता अनुसार लोकेशन पर एम्बुलेंस भेजी जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" (पेनड्राइव) अनुसार। (घ)** वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ।

समस्त नस्तियों की प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

30. अता.प्र.सं.168 (क्र. 2868) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने ई.एंड.आर. शाखा से निम्नलिखित पत्र जारी किए हैं? पत्र क्रमांक/दिनांक क्रमशः 11318/31/12/13, 5557/15/07/15, 4754/03/07/17, 7795,7796/27/10/17, 858,857/30/01/20, 100/13/08/21, 5841, 5842/25/10/21, यदि हाँ, तो इन सभी की नोटशीट एवं संबंधित प्रकरणों की समस्त मूल नस्तियों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें। **(ख)** राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल किन-किन अधिनियमों, नियमों से प्रशासित होता हैं? उन सभी की प्रतियां देवें। **(ग)** इस प्रश्न के प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन के कार्य नियम 12 के परिपालन में विभाग के प्रमुख सचिव ने किन-किन अधिनियम एवं नियम की किन-किन कंडिकाओं, धाराओं का अनुसरण किया? जिसके आधार पर उक्त सभी परिपत्र जारी किए गए? उन सभी की प्रमाणित प्रतियां देवें। **(घ)** उपरोक्त सभी निर्देशों को कौन-कौन सी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया हैं? उन सभी बैठकों की कार्य विवरण एवं एजेंडे की प्रमाणित प्रतियां देवें। **(ड.)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य नियमों का पालन सचिवों का दायित्व का परिपत्र क्रमांक एफ, ए 1-1- 95/एक (1) भोपाल दिनांक 23 जनवरी 1995 की प्रति देवें और देखकर बताएं प्रश्न के प्रश्नांश (क) से **(घ)** तक के अनुक्रम में क्या प्रशासित नियमों, अधिनियमों के मापदंड कंडिकाओं का पालन किया जाता हैं यदि हाँ, तो, उपरोक्त नोटशीट में उनके उल्लेख की जांच कर प्रति नियम पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर** है। ये सभी पत्र एवं नोटशीट विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र 768 दिनांक 03.07.2024 एवं विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 200 दिनांक 18.12.2024 द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान, नव साक्षर अभियान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) संचालित है। म.प्र. राज्यपत्र दिनांक 22.06.2022 के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) कैडर को समाप्त कर लोक शिक्षण संचालनालय में विलय हो गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर** है। राज्य शिक्षा केन्द्र के नियम*

एवं अधिनियम की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर*** *है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 29.08.2013, दिनांक 07.12.2015 एवं 17.11.2016 की कार्यवाही विवरण एवं एजेण्डा टीप की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' पर*** *है।* ***(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** सभी निर्देश अपने अधिकारिता के अंतर्गत विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए है। संबंधित नियमों का सारभूत रूप से पालन किया जा रहा है। **(ड.)** ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'5' पर*** है। विभागाध्यक्ष द्वारा नियमों के अधीन कार्य किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जुलाई-अगस्त, 2025

दिनांक 28 जुलाई, 2025

निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया व गुणवत्ता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.18 (क्र. 164) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट व सिवनी में पंचायतों व ग्रामीण यांत्रिक सेवा में जिला खनिज, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व अवसंरचना एवं मुद्रांक शुल्क मद से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए है? यदि हाँ, तो कार्यों की लागत व स्थान सहित जानकारी देवे। क्या उक्त कार्यों की विधानसभावार स्वीकृति के कोई नियम है? यदि हाँ, तो वे क्या है व क्या उपरोक्त कार्य उक्त नियमानुसार स्वीकृत किये गए है? यदि नहीं तो क्यों व ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मद से व जिलो में स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्य में व्यय राशि व इसके विरूद्ध किये गए कार्य, कार्य में निर्माण सामग्री की प्रदाय एजेंसी को नियम विरूद्ध तरीके से अधिक राशि देने व किये गए कार्य की तुलना में अधिक कार्य का माप दर्शाकर भुगतान करने व अन्य बिंदुओं सम्बन्धी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उनकी जांच अन्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से कराई गई? यदि नहीं तो कब तक कराई जावेगी?

पंचायत मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *जी नहीं। विधानसभावार स्वीकृति के नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख)*** *जी हाँ, जी नहीं। मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर, से प्राप्त शिकायत की जांच करायी गयी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** जी नहीं। विधानसभावार स्वीकृति के नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालय में कार्यों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

2. अता.प्र.सं.19 (क्र. 168) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा व सिवनी में वर्ष 2020 से आज दिनांक तक महाविद्यालयों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, मार्ग, सीमा दीवार, खेल-कूद मैदान, जिम, समस्त सामग्री व अन्य कार्य हेतु शासन/विभाग/जनभागीदारी समिति से प्राप्त राशि, इसे व्यय करने की प्रक्रिया, निर्माण एजेंसी का नाम की जानकारी मदवार कार्यवार व कार्यों की वर्तमान स्थिति की सहित देवें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में शासन/विभाग के नियमों का पूर्णतः पालन कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस बाबत् इनकी निगरानी हेतु शासकीय महाविद्यालयों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गए निरीक्षण की जानकारी

उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो वे महाविद्यालय कौन-कौन से है और शासन/विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों व कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं "2" अनुसार है। (ख)** जी हाँ। शासन द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षण संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।**

कृषि विभाग से संबंधित गतिविधियों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं.49 (क्र. 348) श्री राजेन्द्र भारती : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या किसानों को प्रशिक्षण एवं जानकारी हेतु देश, प्रदेश एवं विदेश भ्रमण भी कराया जाता है। यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने किसानों को देश प्रदेश एवं विदेश भ्रमण पर भेजा गया है तथा कितनी-कितनी राशि उक्त भ्रमण पर व्यय की गई हैं कृपया वर्षवार जिलावार किसानों के नाम, पता सहित भ्रमण स्थल का उल्लेख करते हुये जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि उपकरण सहित बीज निःशुल्क अथवा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से बीज कितनी-कितनी मात्रा में प्रति किसान दिये जाने का प्रावधान है? कृपया दतिया जिला में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक रबी एवं खरीफ फसलों के बीजों को आवंटित/प्राप्त करने वाले किसानों के नाम, पता सहित बीजों की मात्रा एवं किस्मों सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 139 (क्रमांक 2492) दिनांक 20 मार्च 2025 के प्रश्नांश (ख) में स्वीकार किया गया है कि इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र को कृषि विभाग द्वारा भूमि की आवश्यकता थी/है, किन्तु इसके बावजूद शासन/राजस्व विभाग की पड़त, कदीम चरनोई भूमि को कलेक्टर द्वारा पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड भोपाल को किसानों के हितों को दरकिनार करते हुये आवंटित क्यों की गई है? क्या वर्ष 2012 में एम.ओ.यू. की शर्तों में समयावधि निश्चित है? यदि हाँ, तो उक्त कंपनी को वर्ष 2021 में भूमि आवंटित करने का क्या औचित्य था तथा भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार क्या उक्त कंपनी द्वारा एथॉनाल प्लांट और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर ली गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या किसानों के हितों को देखते हुये कृषि विभाग बीज उत्पादन एवं अन्य कार्य हेतु उक्त जमीन को वापिस लेकर कृषि संबंधित गतिविधियों का संचालन करेगा? यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ तो कब तक वापिस की जायेगी? कृपया औद्योगिक नीति एवं विकास निगम और पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी के हुए अनुबंध पत्र एवं भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (लीज/एग्रीमेंट) की प्रतियां उपलब्ध करायें।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। जिला स्तर पर राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण आयोजित किये जाते है, जिसका वर्षवार विवरण* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।*** *शेष जानकारी विस्तृत होने से जिलों से* ***एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कृषकों को कृषि उपकरण एवं बीज योजनाओं के प्रावधानानुसार अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते है। किसानों को योजनाओं में प्रदाय*

किये गये बीजों की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।*** *दतिया जिले में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों को खरीफ एवं रबी में प्रदाय बीजों की कृषकवार/वर्षवार सूची* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ग)*** *कलेक्टर, जिला-दतिया (म.प्र.) द्वारा पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड, भोपाल को भूमि नियमों की परिधि में आवंटित की गई है। जिसमें किसानों के हितों को दरकिनार नहीं किया गया है। वर्ष 2012 में एम.ओ.यू. की शर्तों में समयावधि निश्चित नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश का उत्तर उद्भूत नहीं होता है। औद्योगिक नीति एवं विकास निगम और पार्वती स्वीटनर्स एवं पावर लिमिटेड कंपनी के हुए अनुबंध पत्र की प्रति* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है*** *एवं भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (लीज/एग्रीमेंट) की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।*** **] (क)** जी हाँ। जिला स्तर पर राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण आयोजित किये जाते है, जिसका वर्षवार **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।**

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

4. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 506) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करोंदी के कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं उप कुलसचिवों के नाम, पदनाम सहित उक्त सभी के नियुक्ति आदेशों सहित पदानुसार योग्यता अर्हता संबंधी नियमों सहित उक्त समस्त नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन भी उपलब्ध करायें। **(ख)** वर्तमान में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करोंदी से संबद्ध कितने संस्थान/प्रवेश एवं परीक्षा केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं? सभी के नाम एवं स्थान की सूची सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी को जारी संबद्धता पत्र भी उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रो. प्रमोद कुमार वर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलसचिव का पद रिक्त है। नियुक्त/पदोन्नत उप कुलसचिव श्री संदीप शर्मा, श्री बी.के. शुक्ला तथा डॉ. अशोक सिंह चौहान हैं। संबंधित नियम/निर्देश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** *शेष* ***जानकारी एकत्र की जा रही है।*** ***(ख)*** *विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संस्थान को प्रवेश एवं परीक्षा हेतु संबद्धता प्रदान नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत व रिक्त पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

5. अता.प्र.सं.134 (क्र. 613) श्री संजय उइके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने-कितने पद स्वीकृत है? **(ख)** उपरोक्त में कितने-कितने पद भरे गये है तथा कितने-कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त है? **(ग)** प्रदेश के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग ऐसे कौन-कौन से

कोर्स है, जिनमें पढ़ाने के लिए एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है? **(घ)** जिन विषयों के लिए कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, उनमें विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर रहे है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी* ***संलग्न परिशिष्ट'अ' अनुसार है।*** *अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी* ***एकत्र की जा रही है।*** ***(ख)*** *उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है।* ***(ग)*** *उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी* ***संलग्न परिशिष्ट'ब' अनुसार है।*** *अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी* ***एकत्र की जा रही है।*** ***(घ)*** *उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्वानों अथवा अन्य समानधर्मी विषयों के नियमित शिक्षकों की सेवाओं से अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी* ***एकत्र की जा रही है।*** **] (क), (ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>दिनांक 29 जुलाई, 2025</u>

अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

6. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 723) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संपूर्ण मध्यप्रदेश में शराब निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर 1 अप्रैल 25 से आज दिनाँक तक बेची जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनकी जिलेवार संख्या बताएं। **(ख)** क्या ओवर रेटिंग में संलिप्त आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं उनके द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विदिशा जिलों में कलेक्टर द्वारा दुकानों की जांच अन्य माध्यमों से करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** उक्त चारों में सी.एम. हेल्प लाइन, अन्य माध्यमों से कौन-कौन सी दुकानों पर ओवर रेटिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई एवं क्यों तथा किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या उक्त जिलों में MRP से ओवर रेटिंग के प्रकरण में दिखावे की कार्रवाई के लिए छोटी कम लाइसेंस फीस वाली दुकानों के प्रकरण आबकारी विभाग द्वारा पुरानी तारीख में दर्ज किए हैं एवं जो वास्तविक शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, उन अधिक मूल्य की दुकानों पर कार्यवाही नहीं कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया है, क्यों? **(ड.)** शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी के क्षेत्र नरवर में अवैध रूप से संचालित शराब विक्रय के संबंध में पत्र क्रमांक/2025/1105 दिनांक 18/06/2025 से कार्यवाही हेतु लेख किया गया था लेकिन आज दिनांक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रश्नांश अवधि दिनांक 1 अप्रैल 25 से दिनांक 31.10.2025 तक शराब निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर बेची जाने की प्राप्त शिकायतों की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है।** **(ख)** यह कहना सही नहीं है कि ओवर रेटिंग में संलिप्त आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं

उनके द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विदिशा जिलों में कलेक्टर द्वारा दुकानों की जांच अन्य माध्यमों से करायी गयी है। जबलपुर जिले में कलेक्टर महोदय की गठित टीम एवं आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों की कीमतों की जांच की गई। कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा गठित टीम से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर शराब विक्रय किये जाने पर सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध 20 प्रकरण तथा आबकारी विभाग द्वारा 48 प्रकरण कुल 68 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।** जिला इन्दौर में 1 अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक MRP से अधिक दामों में शराब बेचे जाने के 22 प्रकरण आबकारी विभाग द्वारा बनाये गये, इनमें से 05 प्रकरणों में राजस्व विभाग का सहयोग लिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।** जिला भोपाल में 1 अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक आबकारी विभाग में कार्यपालिक स्टाफ सीमित होने से सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल के प्रस्ताव पर मदिरा विक्रय दरों के परीक्षण हेतु सामान्य प्रशासन, राजस्व तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल गठित किये जाकर ओवर रेटिंग के परिप्रेक्ष्य में मदिरा दुकानों की जांच कराई गई है, जिनमें कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जिला विदिशा में कलेक्टर द्वारा मदिरा दुकानों की जांच अन्य माध्यमों से नहीं करायी गई। **(ग)** जबलपुर जिले में सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 862 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 817 शिकायतें निराकृत की जा चुकी है एवं 45 शिकायतों का निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।** इन्दौर जिले में सी.एम. हेल्पलाइन, अन्य माध्यमों से जिन दुकानों पर ओवर रेटिंग की 206 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है।** जिला भोपाल में मदिरा के निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने के संबंध में दिनांक 01.04.2025 से प्रश्न दिनांक तक सी.एम. हेल्पलाइन व अन्य माध्यम से कुल 720 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त 720 शिकायतों में से सी.एम. हेल्पलाइन की 707 है जिनमें से 572 शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ किया गया है। शेष शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा संबंधित को प्रतिवेदन भी प्रेषित किया गया है। प्राप्त कुल 720 शिकायतों की दुकानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार है।** जिला विदिशा में सी.एम. हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से ओवर रेटिंग की कुल 138 शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी शिकयतों पर कार्यवाही की गई है। 12 कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर ओवर रेटिंग के प्रकरण विधिवत दर्ज किये गये। लायसेंसियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी दुकानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार है। (घ)** जबलपुर जिले में सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 862 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 817 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं एवं 45 शिकायतें निराकरण हेतु - प्रक्रियाधीन है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।** इन्दौर जिले में सी.एम. हेल्पलाइन, अन्य माध्यम से जिन दुकानों पर ओवर रेटिंग की 206 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है।** भोपाल जिले में ओवर रेटिंग के प्रकरण में दिखावे की कार्यवाही के लिए छोटी कम लायसेंस फीस वाली दुकानों के विरुद्ध आबकारी विभाग के द्वारा पुरानी तारीख में कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। विदिशा जिले में प्राप्त

वास्तविक शिकायतों अनुसार ही संबंधित मदिरा दुकानों पर विधिवत कार्यवाही की गई है। **(ड.)** शिवपुरी जिले के प्रश्नांश में वर्णित पत्र क्रमांक 2025/1105 दिनांक 18.06.2025 में संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षकों द्वारा कार्यवाही की जाकर कार्यवाही का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 495 दिनांक 08.07.2025 से माननीय विधायक महोदय एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी को प्रस्तुत किया गया है।

मदिरा की तस्करी

[वाणिज्यिक कर]

7. अता.प्र.सं.66 (क्र. 775) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती प्रदेश से 5 कि.मी. या उससे कम दूरी पर स्थित हैं? **(ख)** क्या इन सीमावर्ती जिलों के ग्रामों में शराब दुकानें संचालित की जा रही है, अगर हाँ तो जिलेवार ग्रामवार ग्राम की जनसंख्या सहित जानकारी दें। **(ग)** ये शराब की दुकानों की नीलामी की गई है, अगर हाँ तो दुकानवार, ग्रामवार पृथक-पृथक राशि सहित जानकारी? **(घ)** क्या सीमावर्ती जिलों से गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में इन शराब की दुकानों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है? अगर हाँ तो इसे रोकने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रदेश में जो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती प्रदेश से 5 कि.मी. या उससे कम दूरी पर स्थित जिलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख)** जी हाँ। जिलेवार ग्रामवार ग्राम की जनसंख्या सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग)** जी हाँ। दुकानवार ग्रामवार पृथक पृथक राशि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश (घ) के संबंध में सीमावर्ती जिलों से गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य प्रदेशों में शराब दुकानों से बड़े पैमाने की शराब की तस्करी होने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध तस्करी रोकने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाती है।

मध्यप्रदेश में लागू स्टाम्प शुल्क सारणी के अनुच्छेद-25 का स्पष्टीकरण

[वाणिज्यिक कर]

8. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 781) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुच्छेद-25 के संबंध में मध्यप्रदेश में लागू स्टाम्प शुल्क सारणी के अनुच्छेद-25 के स्पष्टीकरण-एक के अनुसार केंद्र शासन एवं राज्य शासन के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले हस्तांतरण पत्रों में दर्शित सम्पत्ति का बाजार मूल्य वही मान्य किया जाता है, जो उन दस्तावेजों में दर्शाया गया हो? **(ख)** महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश द्वारा परिपत्र क्रमांक 109/तकनीकी/2024 दिनांक 09.01.2024 जारी कर उक्त विधिक प्रावधानों के विरूद्ध गाइड-लाइन मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पर 4 प्रतिशत एवं तदानुसार उपकर पर छूट दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये? **(ग)** राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 20 फरवरी 2025 द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन के परिपत्र को शून्य घोषित किया गया है। यदि हाँ, तो महानिरीक्षक

पंजीयन द्वारा जारी विधि विरूद्ध परिपत्र के कारण शासन को कितने राजस्व की क्षति हुई? **(घ)** राजस्व क्षति पहुंचाने के लिये परिपत्र जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? **(ड.)** क्या उक्त अधिकारियों के वेतन से राजस्व हानि की भरपाई की जायेगी? **उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [** ***(क)*** *जी, हाँ।* ***(ख)*** *महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 109/तकनीकी/2024 दिनांक 09.01.2024 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत मुद्रांक अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 25 एवं राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-04-2019-2-पांच (14) दिनांक 29-06-2019 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (09) दिनांक 29-06-2019 के प्रावधान वर्णित करते हुए विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।* ***(ग)*** *जी हाँ। शुल्क की देयता के संबंध में अधिनियम एवं अधिसूचनाओं के प्रावधान स्वयं में स्पष्ट होने के कारण आवश्यकता नहीं होने से परिपत्र शून्य घोषित किया गया है। परिपत्र के आधार पर अधिक शुल्क संगणित होने के एक प्रकरण में मामला माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में विचाराधीन है। परिपत्र दिनांक 09-01-2024 के पश्चात पंजीबद्ध तत्संबंधी दस्तावेजों की जानकारी* ***एकत्रित की जा रही है।*** ***(घ)*** *एवं* ***(ड.)*** *उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **]**
(ग) जी हाँ। शुल्क की देयता के संबंध में अधिनियम एवं अधिसूचनाओं के प्रावधान स्वयं में स्पष्ट होने के कारण आवश्यकता नहीं होने से परिपत्र शून्य घोषित किया गया है। परिपत्र के आधार पर अधिक शुल्क संगणित होने के 01 प्रकरण में मामला माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में विचाराधीन है। परिपत्र दिनांक 09-01-2024 के पश्चात 16 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

खनिज विभाग द्वारा सा.प्र.वि. के आदेशों की अवेहलना

[खनिज साधन]

9. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 912) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 836 दिनांक 09.06.25 जो सी.एम., म.प्र. शासन, भोपाल एवं प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 837/25 दिनांक 09.06.25 जो एसीएस, मा. मुख्यमंत्री जी कार्यालय एवं पीएस, खनिज विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को प्रेषित किया गया था प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें? **(ख)** क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19.07.2019 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में खनिज मद से कितने कार्य, कितनी लागत के कहां-कहां करायें गये? कार्य का नाम,पता देयकों की प्रति, आदेश, निर्देश नियम सहित बतायें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र दिनांक 09/06/2025 पर खनिज साधन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर दर्शित** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुक्रम में उल्लेखित अनुसार श्री अशोक कुमार नागले, तत्कालीन सहायक खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला भोपाल वर्तमान जिला डिण्डौरी एवं श्री गब्बर कुशवाह, कनिष्ठ प्रबंधक (सहायक) को दिनांक 13/08/2025 से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर दर्शित** है। **(ग)** खनिज मद से कार्य किये जाने के प्रावधान नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आबकारी विभाग लाभ योजना

[वाणिज्यिक कर]

10. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 937) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, धार खरगोन, खण्डवा, सतना सहित किन जिलों में समय पर बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि किन लाइसेंसियों ने जमा नहीं की? **(ख)** निर्धारित अवधि उपरांत राशि/गारंटी जमा करने पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही के प्रावधान है? विवरण देते हुए प्रावधानों की प्रतियों देवें, किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई? सभी कार्यवाहियों की एक-एक प्रति दें। **(ग)** प्रचलित कार्यवाहियों का विवरण देते हुए बतावें की समय पर गारंटी जमा नहीं होने के मामलों में किस नाम के व्यक्तियों की शिकायत पर जांच की गई और क्या कार्यवाहियां की गई? **(घ)** फर्जी बैंक गारंटी के कितने मामले सामने आए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई और प्रचलन में है का विवरण देते हुए निराकरण आदेशों और कार्यवाहियों के आदेशों की प्रतियां देवें।

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** वर्ष 2015-16 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, धार खरगोन, खण्डवा, सतना सहित जिलों की समय पर बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लाइसेंसियों द्वारा जमा नहीं किये जाने संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :- संभाग ग्वालियर 1- जिला ग्वालियर में ग्वालियर वाईन्स एल.एल.पी. द्वारा वर्ष 2020-21 (कोरोना महामारी वर्ष) की अवधि में बैंक गारंटियां जमा नहीं की गई है। 2- जिला शिवपुरी में मूनराईज रिटेल ट्रेडिंग प्रा.लि. डायरेक्टर श्री प्रमोद प्रियदर्शी, श्री गुरूदर्शन अरोरा द्वारा वर्ष 2020-21 (कोरोना महामारी वर्ष) की अवधि में बैंक गारंटियां जमा नहीं की गई है। संभाग ग्वालियर अन्य सभी जिलों में 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लाइसेंसियों द्वारा समय पर जमा किये गये। संभाग जबलपुर 1- जिला कटनी - जिले में 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि में जिले के मूल निष्पादन एवं पुनः निष्पादन में कुल 17 समूहों के लायसेंसियों के द्वारा धरोहर की राशि नियम समयावधि पर जमा न किये जाने से संबंधित समूह के लायसेंसियों को आवंटित समूह के लायसेंस निरस्त किये गये है। 2- जिला मण्डला में वर्ष 2015-16 में श्री लबनसिंह अंधिया, जिला बालौद, श्री मुकेश रामटेके बालोद वर्ष 2017-18 में श्री दीपक

चंद तिवारी ग्राम गढवा पुरब पताई चित्रकूट, वर्ष 2018-19 में श्री आनंद पटेल इन्द्राजी वार्ड जिला मण्डला, वर्ष 2023-24 में श्री साहित खान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मण्डला प्रश्न तिथि तक की अवधि में मण्डला जिले में आवेदकों द्वारा बैंक गारंटी एवं अन्य अनुमतियों की राशि जमा नहीं किये जाने से 05 प्रकरणों में जमा नहीं की गई है। 3- जिला छिन्दवाड़ा : जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्न तिथि की अवधि में वर्ष 2020-21 में मेसर्स सुन्दरम ट्रेडर्स पार्टनर 1. उज्जवल सिंह योहान 2. प्रवीण चौहान 3. धमेन्द्र सिंह गागों 4. तरणजीत सिंह बेदी 5. सुजय दुबे 6. रंजीत शिवहरे 7. संजय कुमार तिवारी 8. पुष्पेन्द्र सिंह वैरा 9. परपेश सिंह ठाकुर 10. धीरज जायेसवाल 11. आलोक दीप इन्टरटेनमेन्ट्स प्रा.लि. डायरेक्टर प्रमोद प्रियदर्शी के पक्ष में निष्पादित की गई थी किन्तु कोराना काल के चलते संबंधितों द्वारा प्रतिभूति की राशि एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने से इनका ठेका दिनांक 09.06.2020 को निरस्त कर दिया गया था। संबंधितों के विरूद्ध खिसारे की वसूली हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 4- जिला बालाघाट - वर्ष 2015-16 से प्रश्न तिथि की अवधि में बालाघाट जिले में वर्ष 2020-21 में मे. वेनगंगा इन्टरप्राईजेस पार्टनर 1. श्री पवन पाठक एवं अन्य कमशः 2. श्री राजेश पाठक 3. श्री संजय सिंह कछवाहा 4. श्रीमती नमिता सिंह कछवाहा 5. श्री अतुल पाठक 6. श्री आशीष पाठक 7. श्री अशोक बजाज 8. श्री खेलचंद मस्करे 9. श्री विनोद तिवारी 10. श्री फूलचंद तिवारी 11. श्री बांकेसिंह परिहार 12. श्री संजय सिंह पिता सूर्यवली सिंह द्वारा जिले की मदिरा दुकानों का ठेका लिया गया था। किन्तु कोरोना काल के चलते संबंधितों द्वारा प्रतिभूति की राशि एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने से इनका ठेका दिनांक 09.06.2020 को निरस्त कर दिया गया था। संबंधितों के विरूद्ध खिसारे की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई। संभाग जबलपुर - अन्य सभी जिलों में 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लायसेंसियों द्वारा समय पर जमा किये गये। संभाग इन्दौर 5- जिला इन्दौर में वर्ष 2015-16 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन्दौर जिले के मदिरा एकल समूह क्रमांक पिता मरसान्द्रा, IND-5 एम.आई.जी. के अनुज्ञप्तिधारी निक महूआ टी.व्ही. मीडिया प्रा.लि. डायरेक्टर श्री मोहन कुमार यलहांका, बैंगलौर, कर्नाटक-561203 द्वारा समय पर बैंक गारंटी एवं अन्य अनुमति की राशि जमा नहीं की गई थी। 6- जिला धार-वर्ष 2020-21 में लायसेंसी द्वारा एकल समूह पीथमपुर (DHAR/F-2) एकल समूह बदनावर (DHAR/F-5) एवं एकल समूह गंधवानी (DHAR/F-10) द्वारा नियत समय-सीमा में प्रतिभूति की राशि जमा नहीं कराई गई है। लायसेंसियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **जिला – झाबुआ -** वर्ष 2015-16 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में जिला झाबुआ 03 लायसेंसियों द्वारा ड्यूटी राशि जमा नहीं की गई है। 7- जिला-अलीराजपुर - वर्ष 2020-21 में लायसेंसी द्वारा एकल समूह उदयगढ़ (ALR/F-4) द्वारा नियत समय-सीमा में प्रतिभूति की राशि जमा नहीं करायी गई थी। 8- जिला खण्डवा : वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 तक (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) खण्डवा जिले में सभी मदिरा लायसेंसियों द्वारा निर्धारित समयावधि में बैंक गारंटी व अन्य अनुमतियों की राशि जमा की गई है। वर्ष 2020-21 में एकल समूह जिला खण्डवा के लायसेंसी लखन जायेसवाल द्वारा प्रतिभूति की राशि नियत समय-सीमा में जमा नहीं कराई गई। 9- बुरहानपुर जिले में वर्ष 2015-2016 से प्रश्न तक की अवधि में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग के इन्दौर संभाग के जिला बुरहानपुर में वर्ष 2020-21 के लायसेंसी

श्री राजेश पिता महावीर सिंह ठाकुर द्वारा बैंक गारंटी समय पर उपलब्ध नहीं किये जाने से लायसेंस निरस्त कर पुनर्निष्पादन किया गया। 10- जिला खरगोन : खरगोन जिले में 15 लायसेंसियों द्वारा किश्त जमा नहीं करने से परिशिष्ट-4 तथा वर्ष 2020-21 में 01 आवेदक द्वारा निर्धारित समय में द्वारा वर्ष में समय-समय पर बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक अवशेष धरोहर राशि जमा नहीं करने लायसेंस निरस्त एवं जमा धरोहर राशि को राजसात कर पुनः निष्पादन की कार्यवाही की गई है। संभाग इन्दौर अन्य सभी जिलों में 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लाइसेंसियों द्वारा समय पर जमा किये गये। संभाग उज्जैन 11- जिला आगर मालवा : वर्ष 2015-16 में निष्पादन के दौरान ही (1) देशी मदिरा दुकान एकल समूह गुराडिया बंगला एजीआर/सी-7 के उच्चतम ऑफरदाता श्री भूपेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह कुशवाह निवासी 27. महावीरगंज, मस्जिद लाइन, भिंड जिला भिंड एवं (2) देशी मदिरा दुकान एकल समूह पालडा एजीआर/सी-8 के उच्चतम ऑफरदाता श्री नरशसिंह पिता रघुवीर सिंह यादव निवासी अधाइखेडा तहसील व जिला अशोकनगर द्वारा निर्धारित अवधि में बैंक गारंटी जमा नहीं किये जाने से पुनर्निष्पादन किया गया है। 12- रतलाम जिले में (01) वर्ष 2021-22 के लिए एक समूह सज्जनमील रोड (बिरयाखेड़ी रोड) के उच्चतम टेण्डरदाता श्री दीपक पिता मांगीलाल शर्मा द्वारा समय पर अवशेष धरोहर राशि नियत दिनांक तक जमा नहीं की गई। (02) वर्ष 2022-23 के लिए एकल समूह सेजावता, नामली एवं सज्जनगील रोड तीनों समूहों के उच्चत्तम निविदादाता माँ शारदा इन्टरप्राजेस, पार्टनर श्री निखिल जायेसवाल द्वारा समय पर अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं की गई थी। संभाग उज्जैन अन्य सभी जिलों में 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लाइसेंसियों द्वारा समय पर जमा किये गये। संभाग रीवा 13- जिला सतना में वर्ष 2020-21 में मेसर्स मालवा वाइन्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा बैंक गारंटी व अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु मान उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका 7373/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2020 द्वारा दिनांक 06.06.2020 तक मदिरा दुकानों के संचालन की सहमति प्रस्तुत करने की दी गई अवधि का पालन नहीं करने से अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। 14- जिला सिंगरौली में वर्ष 2020-21 में मेसर्स मालवा वाइन्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा बैंक गारंटी व अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु मान उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका 7373/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2020 द्वारा दिनांक 06.06.2020 तक मदिरा दुकानों के संचालन की सहमति प्रस्तुत करने की दी गई अवधि का पालन नहीं करने से अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। संभाग रीवा अन्य सभी जिलों में 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में बैंक गारंटी और अन्य अनुमतियों की राशि लाइसेंसियों द्वारा समय पर जमा किये गये। **(ख)** वर्ष 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक की अवधि में आबकारी नीति के अनुसार निर्धारित अवधि उपरांत राशि/गारंटी समय पर जमा किये जाने के प्रावधान है। वर्ष 2015-2016 से प्रश्न तिथि तक जारी आबकारी नीति की राजपत्र की **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। संभाग ग्वालियर 1- जिला ग्वालियर में राशि/गांरटी जमा नहीं किये जाने पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 1954 दिनांक 08.06 2020 द्वारा ग्वालियर वाईन्स एल.एल.पी. को निष्पादित समूहों के लायसेंस को निरस्त/रदद् किया गया। कलेक्टर, जिला,-ग्वालियर के पत्र क्रमांक 5662 दिनांक 24.12.2020, पत्र क्रमांक 1075

दिनांक 18.03.2021 द्वारा पुनः निष्पादन के फलस्वरूप कम प्राप्त हुई परिगणित राशि को ग्वालियर वाईन्स एल.एल.पी. द्वारा जमा करने हेतु निर्देशित किये जाने पर लायसेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका 7373/2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर रिट याचिका 2601/2021 के निर्देशानुसार कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 14.07.2021 एवं पत्र क्रमांक 3712 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रकरण आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर निराकरण हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। 2- जिला शिवपुरी द्वारा वर्ष की शेष अवधि हेतु पुनः निष्पादन की कार्यवाही की गयी है। मूल निष्पादन एवं पुनः निष्पादन के फलस्वरूप हुई राजस्व हानि के संबंध में वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है। लायसेंसी से बकाया राशि वसूल किये जाने हेतु आर.आर.सी. जिला भोपाल को प्रेषित की गई। संभाग जबलपुर 3- जिला कटनी में 17 समूहों के लायसेंस संबंधित लायसेंसियों द्वारा समय अवधि में उत्तरदायित्व पर निरस्त किये गये है। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। 4- जिला मण्डला में बैंक गारंटी एवं अन्य अनुमतियों की राशि जमा नहीं किये जाने से जमा समस्त राशियां राजसात की गई तथा दुकानों का यथा समय नीलाम प्रक्रिया की अवधि में ठेका प्रारंभ होने के पूर्व आवेदकों के उत्तरदायित्व पर पुन: नीलाम किया गया। उत्पन्न खिसारे की राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रकरण में जारी आर.आर.सी. की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। संभाग इन्दौर 5- जिला इन्दौर में निर्धारित अवधि उपरांत राशि/गारंटी जमा करने एवं कूटरचित पाये जाने पर वर्ष 2022-2023 के लिए मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु लायसेंस निरस्त कर, शेष अवधि के लिए पुनर्निष्पादन की कार्यवाही की गई। पुनर्निष्पादन उपरान्त निर्मित खिसारे की राशि संबंधित से भू-राजस्व की भांति वसूल किए जाने हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है। 6- जिला धार में वर्ष 2020-21 में लायसेंसी द्वारा एकल समूह पीथमपुर (DHAR/F-2) एकल समूह बदनावर (DHAR/F-5) एवं एकल समूह गंधवानी (DHAR/F-10) द्वारा नियत समय-सीमा में प्रतिभूति की राशि जमा नहीं करने पर लायसेंसी द्वारा जमा अग्रिम राशि कलेक्टर, जिला धार द्वारा राजसात करते हुए उक्त एकल सुमहों के आवंटन लायसेंस निरस्त कर पुनर्निष्पादन की कार्यवाही की गई। उक्त तीन एकल समूहों के पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में आए खिसारे की राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी कर संबंधित जिला कलेक्टर को वसूली हेतु भेजी गई है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार** है। 7- जिला झाबुआ में निर्धारित अवधि उपरान्त राशि/गारंटी जमा करने पर बकायादारों पर की गई कार्यवाही में आर.आर.सी/पत्र/सूचना-पत्र की जाकनारी **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार** है। 8- जिला अलीराजपुर में वर्ष 2020-21 में मेसर्स स्वामी मल्टी मार्केटिंग प्रा.लि. डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह पिता माधव सिंह द्वारा जमा नहीं किये जाने पर कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा राजसात करते उक्त एकल समूह के आवंटन/लायसेंस निरस्त कर पुनः निष्पादन की कार्यवाही की गई। उक्त एकल समूह के पुनः निष्पादन की कार्यवाही में आये खिसारे की राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी कर संबंधित जिला कलेक्टर को वसूली हेतु भेजी गई है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-आठ अनुसार** है। 9- जिला-खरगोन में निर्धारित अवधि उपरान्त राशि/गारंटी जमा किये जाने पर पुन: निष्पादन की कार्यवाही की जाकर आबकारी नीति में

दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गयी है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-नौ अनुसार** है। 10- जिला खण्डवा में निर्धारित अवधि उपरांत राशि/गारंटी जमा नहीं किये जाने पर वर्ष 2020-21 में एकल समूह के लायसेंसी लखन जायेसवाल द्वारा प्रतिभूति की राशि नियत समय-सीमा में जमा नहीं कराई गई एवं लायसेंसी द्वारा कोरोना महामारी के कारण लायसेंस सरेंडर किया गया था। लायसेंसी द्वारा अग्रिम जमा राशि राजसात कर उक्त समूह का पुनर्निष्पादन किया गया था एवं खिसारा राशि की गणना कर संबंधित लायसेंसी के विरुद्ध आरआरसी जारी की गई। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दस अनुसार** है। 11- बुरहानपुर जिले में पूर्व लायसेंसी श्री राजेश पिता महावीर सिंह ठाकुर पर खिसारा राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन दिया गया है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग्यारह अनुसार** है। संभाग उज्जैन 12- रतलाम जिले में वर्ष 2021-22 के लिए एक समूह सज्जनमील रोड (बिरयाखेडी रोड) के उच्चतम टेण्डरदाता श्री दीपक पिता मांगीलाल शर्मा द्वारा समय पर अवशेष धरोहर राशि नियत दिनांक तक जमा नहीं किये जाने से टेण्डर निरस्त किया जाकर जमा धरोहर राशि राजसात की गई एवं वर्ष 2022-23 के लिए एक समूह सेजावता, नामली एवं सज्जनमील रोड तीनों रामूहों के उच्चतम निविदादाता माँ शारदा इन्टरप्राजेस, पार्टनर श्री निखिल जायेसवाल द्वारा समय पर अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं की जाने से टेण्डर निरस्त किया गया तथा उनके द्वारा टेण्डर के साथ जमा धरोहर राशि राजसात की गई। 13- जिला आगर-मालवा में निर्धारित अवधि उप राशि/गारंटी जमा नहीं किये जाने पर वर्ष 2015-16 में श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्री नरेश सिंह पर पुनर्निष्पादन की कार्यवाही जाकर दोनों प्रकरणों में पुनर्निष्पादन किया गया। दोनों लायसेंसियों पर वसूली की कार्यवाही की जाकर खिसारे वसूली हेतु आर.आर.सी जारी की गई है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में दो शिकायतें प्राप्त हुए शिकायतकर्ता श्री अंकित मालवीय, पत्रकार एवं श्री धर्मेन्द्र खोईआ की प्राप्त शिकायत पर जांच की गयी है। उक्त दोनों शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-बारह अनुसार** है। **(घ)** जिला भोपाल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपोजिट मदिरा समूह लालघाटी के अनुज्ञप्तिधारी मे. राठौर एंड मेहता एसोसिएटस द्वारा समूह की देय प्रतिभूति की राशि के रूप में फर्जी बैंक गांरटी प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर थाना कोहफिजा जिला भोपाल में उक्त फर्म के भागीदारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्रमांक-0305/2023 दर्ज कराई गई है। साथ ही लायसेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों के सत्यापन में प्रथम दृष्ट्या लापरवाही बरते जाने संबधी तथ्यों के आधार पर ओमप्रकाश जामोद, श्री सुदीप तोमर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं श्रीमती सीमा कशिशीया, आबकारी उप निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश दिनांक 29.05.2023 से निलंबित कर आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 21.06.2023 से आरोप पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल श्री राकेश कुर्मी को आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 01.08.2023 से आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त प्रकरण में श्री राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्त, श्री सुदीप तोमर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं श्रीमती सीमा कशिशीया आबकारी उप निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र के उत्तर समाधानकारक पाये जाने के उनको जारी आरोप-पत्र समाप्त किये गये है। श्री ओमप्रकाश जामोद, सहायक जिला

आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने से प्रकरण में आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 08.09.2023 से विभागीय जांच संस्थित की गई। उक्त प्रकरण में विभागीय जांच में श्री ओमप्रकाश जामोद, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, पर लगाये आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 06.08.2024 से भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तेरह अनुसार** है।

अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी

[गृह]

11. ता.प्र.सं. 25 (क्र. 997) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में म.प्र. शासन द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हेतु अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है? क्या प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट या स्थिति विवरण भेजा गया है? **(ख)** क्या शासन के पास यह आंकड़ा उपलब्ध है कि वर्तमान में कितने बांग्लादेशी नागरिक वैध एवं अवैध रूप से जबलपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में निवास कर रहे हैं? इन नागरिकों की पहचान, निगरानी और निष्कासन के लिए क्या कोई विशेष अभियान या सर्वे कराया गया है? **(ग)** क्या प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर शहरी इलाकों में झुग्गियों की संख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, उसका कोई संबंध अवैध विदेशी नागरिकों से है? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस दिशा में संपूर्ण प्रदेश विशेषकर जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई विशेष जांच या सर्वेक्षण कराया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इन झुग्गियों में कौन-कौन नागरिक रह रहे हैं और उनकी नागरिकता क्या है? **(घ)** क्या इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आदि दस्तावेजों की वैधता की कोई पुष्टि की गई है? क्या सुरक्षा एजेंसियों या स्थानीय प्रशासन को इस विषय पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों को राज्य के पुलिस आयुक्त भोपाल/इंदौर एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान और निर्वासन के संबंध में मासिक जानकारी प्रतिमाह भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली प्रेषित की जाती है।* ***(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** *बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, निगरानी और निष्कासन के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.05.2025 एवं 30.05.2025 को दिये गये दिशा निर्देशों को म.प्र. के पुलिस आयुक्त भोपाल, इंदौर एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।* ***(ग)*** *जी नहीं।* ***(घ)*** *उक्त संबंध में समस्त जिलों में एस.टी.एफ. का गठन किया जाकर संदिग्धों की पूछताछ, उनके दस्तावेजों की सत्यता की जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस आयुक्त भोपाल/इंदौर एवं समस्त पुलिस*

अधीक्षकों को विदेशी नागरिकों की पहचान कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है/ **] (ख)** जी हाँ। जी हाँ।

दिनांक 30 जुलाई, 2025

आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

12. परि.अता.प्र.सं. 47 (क्र. 821) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी संचालनालय, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने रखे जाते है? **(ख)** यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय एवं चिकित्सालयों में कितने-कितने कर्मचारी किस-किस पद में कार्य पर रखे गये? उन कर्मचारियों में कितने-कितने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के कार्य पर रखे गये है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *जी हाँ/* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** आउटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने के कारण जातिवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सालयों में मरीजों हेतु सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

13. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 1014) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के कौन-कौन से अस्पतालों में आयुष्मान योजना अंतर्गत मरीजों का उपचार किया जा रहा है, की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** मध्यप्रदेश स्थित अस्पतालों में से कौन-कौन से अस्पतालों में मुख्यमंत्री सहायता कोष/स्वेच्छानुदान से राशि स्वीकृत की जाती है, की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** मध्यप्रदेश के कौन-कौन से अस्पतालों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है व कौन-कौन से अस्पतालों में पूर्णकालिक हार्ट सर्जन एवं ऑपरेशन थियेटर की उपलब्धता है? अस्पताल का नाम एवं अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार*** *है/* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजनांतर्गत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा हेतु संबद्ध चिकित्सालयों की* ***जानकारी***

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28/05/1982, 24/02/2006, 08/05/2006 तथा 23/04/2016 एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम, 1989 के तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष/स्वेच्छानुदान माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष है। जिसके अंतर्गत हितग्राहियों को उनकी बीमारी/समस्याओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आर्थिक सहायता स्वीकृति की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

राज्य सचिव की नियुक्ति के प्रावधान

[स्कूल शिक्षा]

14. अता.प्र.सं.78 (क्र. 1084) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश में राज्य सचिव की नियुक्ति करने के क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित जानकारी प्रस्तुत करें। **(ख)** म.प्र. स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी 66 वर्ष की आयु में किस आधार, किन नियमों के तहत वैतनिक पद पर राज्य सचिव नियुक्त किया गया है **(ग)** क्या श्री मिश्रा को नियमानुसार स्काउटिंग/राज्य सचिव की योग्यता हासिल नहीं हैं यदि हाँ, तो कब तक पद से हटा दिया जाएगा तथा वेतन वसूली की जावेगी? **(घ)** क्या श्री राजेश प्रसाद मिश्रा तत्कालीन सत्कार अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. शासन रहते हुए वर्ष 2006-07 में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उनके विरुद्ध 420, वित्तीय अनियमितताओं का कोई प्रकरण दर्ज हुआ था? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) स्काउट एवं गाइड एक अशासकीय संस्था है। रूल्स बुक के चैप्टर-111 नियम (70.1) के अनुसार राज्य सचिव मानद अथवा वैतनिक की नियुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा की जायेगी। नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख)** एवं **(ग)** भारत स्काउट एवं गाइड्स रूल्स बुक में उम्र एवं योग्यता का उल्लेख नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश का संबंध विभाग से नहीं है।

स्कूलों में भवन मरम्मत एवं अन्य व्यवस्थाएं

[स्कूल शिक्षा]

15. अता.प्र.सं.118 (क्र. 1181) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की समय पर मरम्मत नहीं होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भवन मरम्मत, पेयजल एवं फर्नीचर की व्यवस्था कब तक करा दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या शिवपुरी जिले में सी.एम. राईज स्कूलों में अभी तक स्कूल बसें उपलब्ध नहीं हो पाई है, स्कूली बच्चों को 10-12 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है बसें कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? **(ग)** 01/04/2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ किन-किन मदों में व्यय की गयी, मदवार एवं वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** शिवपुरी जिले के छात्रावासों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण के दौरान किन-किन

छात्रवासों में अनियमितता पाई गई? संपूर्ण जानकारी दें। **(ड.)** शिवपुरी जिले की छात्रावासों में वार्डन, सहायक वार्डन, अतिथि शिक्षक नियुक्ति के क्या नियम निर्देश है। समस्त स्टॉफ की जानकारी दें। **(च)** विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में हायर सेकेण्डरी स्कूलों (कक्षा 12 तक) में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन मदों में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा किन-किन मदों में राशि व्यय की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी नहीं। जिले में कुल 309 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य चिन्हित किये गये हैं। जर्जर जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों में शालाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। जिले में 123 शाला भवनों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये है। विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था है। शिवपुरी जिले में 260 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध है। सत्र 2025-26 में 04 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर का प्रावधान किया गया है। शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता बजट के आधार पर की जाती है।* ***(ख)*** *जी हाँ। परिवहन निविदा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, ग्वालियर में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP 9862/2025 प्रचलित होने से शिवपुरी जिले के सांदीपनि विद्यालयों में परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। न्यायालयीन निर्णय उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेंगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।* ***(ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार है।*** *शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक को 03 वर्ष हेतु वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तथा सहायक वार्डन के पद हेतु शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक को 03 वर्ष हेतु प्रभार सौंपा जाता है।* ***(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है।**

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्ति

[स्कूल शिक्षा]

16. परि.अता.प्र.सं. 116 (क्र. 1192) श्रीमती रीती पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह ने 1989 में शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जबकि ये उत्तरप्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग से हैं? **(ख)** क्या पवन सिंह ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र शहडोल जिले के जयसिंहनगर जनपद के ग्राम दरैन का प्रस्तुत किया है? सीधी कलेक्टर के पत्र क्र.527/परिवाद/03 सीधी दिनाँक 19 जून 2003 के माध्यम से चाही गई जानकारी के जवाब में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत दरैन ने 15 अगस्त 2003 पत्र द्वारा जानकारी दी की दरैन में अभिलेखानुसार पवन कुमार सिंह तनय अन्न सिंह जाति गोंड कभी भी निवासरत नहीं थे? **(ग)** क्या म.प्र. विधानसभा से चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा पत्र क्र./स्था-3/2023/214 रीवा दिनाँक 27/01/2023 के माध्यम से सीधी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी गई कि कितने कर्मचारियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से शासकीय सेवा हासिल की है जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 30 जनवरी 2023 को पत्र

क्रमांक/523/विधानसभा/2023 में जानकारी भेजी गई की पवन सिंह का प्रकरण कमिश्नर संभाग रीवा के कार्यालय में लंबित है। यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *कलेक्टर जिला से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीधी में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह का अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र मण्डल संयोजक अ.जा.क. जयसिंह नगर क्रमांक/अ.ज./16/पंजीयन/छात्रवृत्ति/86, क्रमांक 907, शहडोल दिनांक 13.03.1987 द्वारा जारी किया गया है। जो वर्तमान में भी प्रभावशील है।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''1'' अनुसार****। (ख) श्री पवन कुमार सिंह ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद के ग्राम दरैन का है।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''2'' अनुसार****। शेषांश* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *आयुक्त रीवा संभाग द्वारा जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद श्री पवन कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है। प्रतिवाद के परीक्षण एवं अभिमत हेतु आयुक्त रीवा संभाग के द्वारा कलेक्टर जिला सीधी को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रचलित है।* **] (ख)** जी हाँ। शिक्षक के पद पर वर्ष 1989 में नियुक्ति हो जाने के कारण नियुक्तिकर्ता अधिकारी अथवा राज्य शासन जिन्हें विहित किया है, के द्वारा श्री पवन कुमार सिंह की पदस्थापना जहाँ-जहाँ की जाती रही है, वहीं निवासरत रहे हैं। सरपंच ग्राम पंचायत दरैन के द्वारा दी गई जानकारी शामिल कर, श्री पवन कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है।

म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

17. अता.प्र.सं.146 (क्र. 1368) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल 10 माह तक भंग रहने से पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के बनाया एलाइड हेल्थ एण्ड केयर प्रोफेशनल्स काउंसिल फंक्शनल नहीं हो सका व 60 हजार से अधिक छात्रों की समय पर परीक्षा नहीं हो सकी? यदि हाँ, तो पैरामेडिकल काउंसिल भंग रहने के क्या कारण रहे व इसके लिये कौन जिम्मेदार है? बताएं। **(ख)** क्या मंत्रिपरिषद् द्वारा म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल की अनुमति प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ, तो पैरामेडिकल कॉलेजों को वर्ष 2023 एवं 2024 की मान्यता कब तक प्रदान कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायी जायें। **(ग)** प्रदेश के समस्त पैरामेडिकल कालेजों में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक पदस्थ रही समस्त फैकल्टी के नाम, पदनाम, नियुक्ति दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, पता आदि की जानकारी सहित फैकल्टी के शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रतियां कॉलेजवार एवं वर्षवार उपलब्ध करायी जायें। **(घ)** श्री अंकित श्रीवास्तव, म.प्र. पैरामेडिकल कार्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर किस दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? प्रतिनियुक्ति आदेश की छायाप्रति सहित काउंसिल के प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम बताएं। श्री श्रीवास्तव के मूल विभाग, मूल पद व नियुक्ति दिनांक की जानकारी सहित प्रथम नियुक्ति दिनांक आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये? प्रतिनियुक्ति अवधि आदेशानुसार कब तक की है? बताएं **(ड.)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1302 दिनांक 18/12/2024 में विभाग द्वारा प्रश्नांश ''ग'' एवं ''घ'' बिन्दु की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः उक्त जानकारी के सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराएं जावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *से* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ङ.)*** *विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं 1302 की जानकारी विभागीय पत्र दिनांक 09/07/2025 से विधानसभा सचिवालय को प्रेषित की जा चुकी है,* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।*** **]** **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2023-24 की मान्यता दिनांक 14 जुलाई 2025 तक प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 (पेन ड्राईव) अनुसार। (घ)** श्री अंकित श्रीवास्तव, म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न होकर दिनांक 20 जुलाई 2021 से चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 25 मई, 2021 के अनुसार मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् (भरती तथा सेवा की शर्तें) विनियम 2001 की अनुसूची-एक, दो एवं तीन के अनुक्रम में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 (पेन ड्राईव) अनुसार।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 31 जुलाई, 2025</u>

स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत विकास कार्यों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

18. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 1530) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले की स्मार्ट सिटियों में केंद्र व राज्य से प्राप्त राशि से कौन कौन से कार्य कितनी लागत से किये गए हैं? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1462 दिनांक 19.12.2024 के प्रश्नांश (ख) में जबलपुर स्मार्ट सिटी के उल्लेखित कार्यों में से प्रत्येक के एस.ओ.आर., बी.ओ.क्यू., एल.ओ.ए. एवं एन.आई.टी. से संबंधित जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराएं। इन कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। इन कार्यों में अब तक भुगतान किये गए बिलों की छायाप्रतियां एवं एम.बी. की छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं। **(ग)** जबलपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत अब तक किये गए कार्यों में हुई अनियमितताओं व शिकायतों की जाँच विभाग द्वारा उच्च स्तर से टीम गठन कर करवाई जाएगी? यदि हाँ तो कब तक एवं किन के द्वारा? **(घ)** स्मार्ट सिटी भोपाल अंतर्गत प्रोजेक्ट आई.डी. MAD-BHO-004, MAD-BHO-015, MAD-BHO-046, MAD-BHO-063, MAD-BHO-068, MAD-BHO-073, MAD-BHO-075, MAD-BHO-077 के कार्यों में से प्रत्येक कार्य के एस.ओ.आर., बी.ओ.क्यू. एल.ओ.ए. एवं एन.आई.टी. से संबंधित जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराएं। इन कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। इन कार्यों में अब तक भुगतान किये गए बिलों की छायाप्रतियां एवं एम.बी. की छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं। (ङ) भोपाल स्मार्ट सिटी अंतर्गत अब तक किये गए कार्यों को लेकर प्राप्त शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। इन शिकायतों में जाँच कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत मंडला जिले की कोई भी सिटी शामिल नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।***

(ग) *जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ)*** *एवं* ***(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ख)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 1462 दिनांक 19.12.2024 के प्रश्नांश (ख) में जबलपुर स्मार्ट सिटी के उल्लेखित कार्यों के संबंध में एसओआर, बीओक्यू, एलओए, एनआईटी एवं तकनीकी प्राक्कलन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है तथा भुगतान बिलों एवं एम.बी. की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ (1) अनुसार** है **(घ)** भोपाल स्मार्ट सिटी अंतर्गत उल्लेखित प्रोजेक्टवार एसओआर, बीओक्यू, एलओए, एनआईटी एवं तकनीकी प्राक्कलन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसा**र है। **(ड.)** भोपाल स्मार्ट सिटी अंतर्गत कार्यों को लेकर शिकायतों एवं जांच कार्यवाही से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पेनड्राइव में है)**

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन

[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

19. अता.प्र.सं.96 (क्र. 1554) श्री उमाकांत शर्मा : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर संभाग में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के क्या नियम निर्देश आदेश हैं? नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर संभाग में निजी कम्पनी, फर्म, व्यक्ति, संस्थाओं द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों, सोलर पार्कों एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत शासकीय अथवा निजी भूमि पर कितने सोलर संयंत्र प्लांट, सोलर पार्क स्थापित हैं? सर्वे क्रमांक, भूमि स्वामी का नाम, कंपनी/एजेन्सी का नाम, पता, स्थित भूमिका हल्का, तहसील, जिला सहित जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा किन-किन संस्थाओं से कितनी-कितनी विद्युत क्रय की जा रही है? जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क में कितना-कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है एवं ऊर्जा विभाग को कितना-कितना विद्युत विक्रय किया जा रहा है? ऊर्जा विभाग द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्रवार, तहसीलवार, जिलेवार जानकारी देवें। उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जांच में क्या कमियां पाई गई? यदि हाँ तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें तथा यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो इसके लिए दोषी कौन है तथा कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी तथा अनियमितताओं के कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगाने हेतु कितना अनुदान दिया जाता है? न्यूनतम एवं अधिकतम दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी देवें।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रश्नांश के संदर्भ में पी.एम. कुसुम-अ योजना, पी.एम. कुसुम-ब योजना (प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना) पी.एम. कुसुम-स योजना, पी.एम. जनमन योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एण्ड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, म.प्र. विकेन्द्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति-2026, विभाग की नवकरणीय ऊर्जा नीति-2025 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। मध्यप्रदेश में निजी कंपनी, फर्म, व्यक्ति, संस्थाओं द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों, सोलर पार्कों एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत शासकीय अथवा निजी भूमि पर सोलर संयंत्र प्लांट, सोलर पार्क की

जानकारी संबंधी जानकारी एवं सर्वे क्रमांक भूमि स्वामी का नाम, कंपनी एजेन्सी का नाम, पता, स्थित भूमिका हल्का, तहसील, जिला इत्यादि की जानकारी वृहद स्वरूप की एवं एकजाई नहीं है, अपितु अपेक्षित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का क्रय ऊर्जा विभाग म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है। म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। पी.एम. कुसुम-ब योजना (प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना) अंतर्गत ऑफग्रिड सोलर पंप संयंत्र स्थापित किये जाते हैं। संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का उपयोग पंप संचालन में होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त सौर ऊर्जा संयंत्रों से म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उत्पादकों द्वारा किया गया उत्पादन एवं भुगतान इत्यादि की उपलब्ध कराई गई, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। पी.एम. कुसुम-अ योजना में निरीक्षण प्रतिवेदन के संदर्भ में जानकारी निरंक है। पी.एम. कुसुम-स योजना में MNRE दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा निर्धारित Third Party से निरीक्षण किया जाना है। MNRE द्वारा इस कार्य हेतु मेसर्स पी.टी.सी. इंडिया प्रा.लि. को संलग्न किया गया है निरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। निजी निवेश के माध्यम से सौर परियोजनाओं की स्थापना में निरीक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधी जानकारी निरंक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (रम्स) की परियोजनाओं में भारत शासन द्वारा निर्धारित पद्धति में सफलतापूर्वक टेस्ट करने के उपरांत ही परियोजना स्थापित की मानी जाती है। पी.एम कुसुम-ब योजना के संबंध में लागू नहीं है। **(ग)** योजनावार/कार्यक्रमवार जानकारी निम्नानुसार है:- पी.एम कुसुम-अ से संबंधित जानकारी निरंक है। पी.एम. कुसुम-ब योजना के संबंध में लागू नहीं हैं। पी.एम. कुसुम-स परियोजनाओं में MNRE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा निर्धारित Third Party से निरीक्षण किया जाना है। MNRE द्वारा इस कार्य हेतु मेसर्स PTC India Private Ltd. को संलग्न किया गया है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। निरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। नवकरणीय ऊर्जा नीति-2025 के तहत कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से संपादित होने वाले विकासकों के कार्य हेतु उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में निरंक है। प्रश्नांश 'ग' के संबंध में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (रम्स) से संबंधित जानकारी निरंक है। **(घ)** योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर संयंत्र की स्थापना पर निम्न केन्द्रानुदान दिया जाता है:- 1 किलोवॉट तक – रू. 30,000/- 2. किलोवॉट तक रू. 60,000/- 3. किलोवॉट तक रू.78,000/- प्रदेश सरकार द्वारा रूफटॉप योजनांतर्गत कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता है। सोलर रूफटॉप परियोजना हेतु विकासक को किसी भी प्रकार का राज्यानुदान व केन्द्रनुदान नहीं दिया जाता है1 पी.एम. कुसुम-अ योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापना हेतु वर्तमान में प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्रावधानित नहीं है। पी.एम. कुसुम-ब वर्तमान में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना'अंतर्गत कृषकों को सोलर पंप प्रदाय हेतु लगभग 60 प्रतिशत राज्य शासन एवं 30 प्रतिशत केन्द्र शसन द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। पी.एम. कुसुम-स योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट अनुदान प्रदान किया जाता है। नवकरणीय ऊर्जा

नीति-2025 के अनुसार विकासकों को प्रोत्साहन (इंसेटिव) दिये जाने का प्रावधान है। अनुदान प्रावधानित नहीं। पी.एम.जनमन :- उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र शासन द्वारा रू.50,000/- प्रति Household का अनुदान प्रदान किया जावेगा एवं योजना लागत की शेष राशि (केन्द्र शासन के अनुदान को छोड़कर) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अनुदान के रूप में म.प्र. शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। रम्स :- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा सौर पार्क लगाने हेतु अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत सहायता की जाती है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है।

<u>दिनांक 1 अगस्त, 2025</u>

वन मुख्यालय को लिखे गए पत्र एवं उनके उत्तर

[वन]

20. अता.प्र.सं.37 (क्र. 1461) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के द्वारा गत चार वर्षों में किस-किस दिनांक को किस-किस विषय पर लिखा पत्र वन मुख्यालय को किस दिनांक को प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश राजभवन से प्रश्नकर्ता का किस विषय पर लिखा पत्र वन मुख्यालय को किस दिनांक को प्राप्त हुआ। **(ख)** प्रश्नकर्ता के किस-किस दिनांक को किस-किस विषय पर वन मुख्यालय को प्राप्त किस पत्र पर वन मुख्यालय ने किस दिनांक को प्रश्नकर्ता को पत्र लिखकर चाही गई जानकारी या जांच प्रतिवेदन या कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया, प्रति सहित बतावें। **(ग)** वन मुख्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता को शासन के निर्देशानुसार लिखे गए पत्र के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही कर सूचना नहीं दिए जाने का क्या-क्या कारण है, इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है। **(घ)** प्रश्नकर्ता के किस दिनांक के पत्र का प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करवाया जाएगा?

राज्य मंत्री, वन : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** माननीय सदस्य के विभिन्न विषयों पर वन मुख्यालय को प्राप्त पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख) जानकारी उत्तरांश-क के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है, शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र में वर्णित विषय-वस्तु, जानकारी वृहद स्वरुप की होने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से संकलित करने समय लगना कारण रहा है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विभाग द्वारा करवाए गये वृक्षारोपण कार्यों में भ्रष्टाचार

[वन]

21. ता.प्र.सं. 20 (क्र. 1821) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.2020 से 31.01.2024 तक कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में जहां 5000 से अधिक पौधे लगाए गये हैं, किन्तु धरातल पर कोई भी पौधे जीवित नहीं है, उन परियोजनाओ की प्रमाणित सूची देवें? इन परियोजनाओ पर कितना खर्च किया गया है, उक्त स्थानों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाउचर एवं क्रय सामग्री के बिल तथा योजनाओं पर कराये गये कार्यों में श्रमिकों की सूची प्रमाणित प्रति

उपलब्ध करवाएं। **(ख)** विभाग द्वारा करायें गये वृक्षारोपण परियोजनाओं में दिनांक 01.07.2025 की स्थिति में पौधों की जीवितता का क्या प्रतिशत है? उक्त योजना में कितने पोधे जीवित हैं? प्रमाणित जानकारी देवें। **(ग)** दिनांक 01.01.2020 से 31.01.2024 तक ग्राम वन समितियो में जमा एवं व्यय राशि की जानकारी तथा व्यय किये गये कार्यों के प्रोजेक्ट/इस्टीमेट रिपोर्ट तथा प्रत्येक प्रोजेक्ट पर व्यय राशि की प्रमाणित जानकारी देवें तथा उपरोक्त प्रोजक्टों पर व्यय बिल एवं श्रमिकों की सूची प्रोजेक्ट इस्टीमेटवार व्हाउचर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, वन : [***(क)*** *प्रश्नांश में चाहे अनुसार ऐसा कोई स्थल नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख)*** *वन विभाग द्वारा वन विकास निगम सहित दिनांक 01.01.2020 से 31.01.2024 तक लगाए गये पौधों की जानकारी निम्नानुसार है :-*

विभाग/वन विकास निगम	रोपित पौधे	जीवित पौधे	जीवितता का प्रतिशत
वन विभाग	11,61,92,557	10,35,32,600	89.10%
म.प्र. राज्य वन विकास निगम	4,60,81,090	4,09,67,129	88.90%
योग	**16,22,73,647**	**14,44,99,729**	**89.05%**

(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>दिनांक 4 अगस्त, 2025</u>

न्यायालयीन प्रक्रिया में नियम विरूद्ध भाग लेना

[सहकारिता]

22. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 346) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला सह एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया में एफडी से संबंधित शिकायत के आधार पर संयुक्त पंजीयन ग्वालियर संभाग द्वारा सहकारी अधि की धारा 76 (1) एवं 76 (2) में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी/महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक को न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित तत्कालीन महाप्रबंधक एवं अंकेक्षक का नाम, पता बताये। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित धाराओं में न्यायालय में प्रकरण दायर न करते हुये श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा आई.पी.सी. की धाराओं में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। यदि हाँ, तो क्यों? उक्त संबंध में राज्य बैंक, सहकारिता विभाग एवं विधिक सलाहकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ, तो प्रतिलिपियाँ प्रदान करें। **(ग)** क्या जिला सहकारी बैंक दतिया का परिसमापन आयुक्त सहकारी संस्थाओं के आदेश क्रमांक, भूमि-अ/1/परि./ 2016/133 दिनांक 22/3/2016 एवं जे.आर. ग्वालियर के आदेश क्रमांक 289 दिनांक 19/2/2016 के आदेश से किया गया था यदि हाँ, तो सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में बैंक की ओर से परिसमापक विधि कार्यवाहियों को संस्थित करने एवं समस्त विधिक कार्यवाहियों में संस्था की ओर से प्रतिरक्षा करने के लिये अधिकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्रमांक-138 (क्रमांक 2491 दिनांक 20 मार्च 2025) के संबंध में बिन्दुवार

जानकारी संग्रहित कर ली गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें, यदि नहीं तो विधानसभा के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संभाग- ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (1) एवं 76 (2) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। जी हाँ, तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा निर्देश के परिपालन में माननीय न्यायालय सी.जे.एम. महोदय दतिया में दिनांक 29.07.2015 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं संभाग - ग्वालियर द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के समक्ष मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (1) में आरोप प्रस्तुत करने के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (2) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है तथा आरोप पत्र की प्रस्तुति हेतु विकास बैंक दतिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वर्तमान अंकेक्षक को संयुक्त रूप से इस आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रकरण दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके परिपालन में तत्कालीन महाप्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह परमार द्वारा तत्कालीन प्रशासक से नोटशीट पर अनुमति प्राप्त की जाकर माननीय न्यायालय सी.जे.एम. महोदय दतिया में दिनांक 29.07.2015 को परिवाद धारा 200 जा.फ़ौ अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं संभाग - ग्वालियर के द्वारा कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। अतः अन्य किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** जी हाँ, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं संभाग - ग्वालियर के आदेश क्रमांक 289 दिनांक 19.02.2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया का परिसमापन किया गया है। जी हाँ, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में संस्था के परिसमापक को समस्त विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने हेतु संस्था की ओर से प्रतिरक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 2491 दिनांक 20.03.2025 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विश्वविद्यालय में रोस्टर का पालन

[उच्च शिक्षा]

23. अता.प्र.सं.18 (क्र. 642) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विश्वविद्यालयों में उपलब्ध समस्त पदों पर मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार ST/SC/OBC वर्ग के व्यक्तियों को सेवा में रखा गया है? **(ख)** कितने पदों पर रोस्टर का पालन कराया गया, क्या रोस्टर रजिस्टर संधारित किया गया है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में रोस्टर अनुसार ही नियुक्तियां की गई हैं। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की* ***जानकारी एकत्र की जा रही है।*** ***(ख)*** *उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में समस्त पदों पर रोस्टर अनुसार ही नियुक्तियां की गई हैं एवं रोस्टर रजिस्टर भी संधारित किए गए हैं। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की* ***जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **]**

(क) एवं (ख) अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

विकास कार्यों के निष्पादन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 2132) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मऊगंज जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 से अब तक सड़क, तालाब, नाली, पुलिया, वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों के निष्पादन हेतु कितनी फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को कार्यादेश जारी किए गए हैं? कृपया सभी पंजीकृत फर्मों/वेण्डरों की सूची पंचायतवार उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** उपरोक्त कार्यों के निष्पादन उपरांत जिन फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को भुगतान किया गया है, उनका नाम, पूरा पता, पंजीयन क्रमांक, GST नंबर (यदि हो) तथा भुगतान की तिथि सहित समस्त विवरण पंचायतवार उपलब्ध कराया जाए। **(ग)** मऊगंज जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 से अब तक कार्य करने वाले प्रत्येक वेण्डर/फर्म/व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का नाम, कार्य स्थल, कार्य की राशि, भुगतान की राशि, कार्य प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, लेजर बुक क्रमांक तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम सहित कार्यवार विवरण उपलब्ध कराया जाए। **(घ)** क्या उपर्युक्त कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा विभागीय निरीक्षण या ऑडिट के दौरान कोई आपत्तियां दर्ज की गई हैं? यदि हाँ, तो की गई जाँच एवं की गई कार्यवाही का विवरण देवें। यदि नहीं, तो संबंधित कार्यों के ऑडिट प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

पंचायत मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** मऊगंज जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 से अब तक सड़क, तालाब, नाली, पुलिया, वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों के निष्पादन हेतु फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को कोई कार्यादेश ग्राम पंचायतों द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पंचायत दर्पण पोर्टल/ई-स्वरोजगार पोर्टल पर उपलब्ध है। 1. https://mppanchayatdarpan.gov.in/ 2.https://egramswaraj.gov.in/ 3.https://nrega.nic.in/ **(ख)** योजनान्तर्गत 15वा वित्त/5वा राज्य वित्त परफॉरमेन्स ग्रान्ट/मनरेगा आदि के अन्तर्गत निर्माण कार्य की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत के खाते में राशि शासन द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत दर्पण एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जानकारी स्वयं इन्द्राज की जाती है। शासन स्तर से पंजीकृत वेन्डरों/फर्मों को ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतु कोई भी आदेश या निर्देश नहीं किया जाता है। निर्माण कार्य हेतु शासन स्तर से पंजीकृत वेण्डरों/फर्मों में सामग्री ली जाती है। जिला मऊगंज अंतर्गत जनपद पंचायत मऊगंज हनुमना नईगढ़ी में जिन फर्मों/वेण्डरों/व्यक्तियों को भुगतान किया गया है, उनका नाम, पूरा पता, पंजीयन क्रमांक, जी.एस.टी. नंबर (यदि हो) तथा भुगतान की तिथि सहित समस्त विवरण पंचायवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" (पेनड्राइव) अनुसार** है। **(ग)** निर्माण कार्य, वेण्डर/फर्मों द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि निर्माण कार्यों की सामग्री प्राप्त की जाती है, जिसका भुगतान किया जाता है। प्रश्नांश (ख) अंतर्गत जनपद पंचायत मऊगंज की 82 ग्राम पंचायतों/नईगढ़ी के 76 ग्राम पंचायतों/ हनुमना के 98 ग्राम पंचायतों की पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

"ब" (पेनड्राइव) अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में फर्मों/वेन्डरों द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने के कारण प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

कौशल विकास एवं रोजगार की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

25. अता.प्र.सं.86 (क्र. 2150) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2024, 2025 में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु क्या-क्या कार्यक्रम किये गये हैं, कहां-कहां किये गये, कब-कब किये गये, कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? **(ख)** कौशल विकास एवं रोजगार के क्या नियम है? क्या नियमानुसार कौशल विकास एवं रोजगार दिये जा रहे हैं? **(ग)** वर्ष 2024, 2025 में कितने युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कहां-कहां प्रशिक्षण, कितने-कितने दिन के दिये गये? **(घ)** वर्ष 2023, 2024, 2025 में म.प्र. में कौन-कौन युवाओं को, क्या-क्या रोजगार, कहां-कहां दिया गया, युवाओं की विस्तृत जानकारी दें?

राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार : [***(क)*** *प्रश्नावधि में आई.टी.आई. में एन.सी.व्ही.टी./ एस.सी.व्ही.टी. के अंतर्गत एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठयक्रमों में दिये गये प्रशिक्षण की संस्थावार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है****, व्यय की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है****। लघु अवधि ट्रेनिंग के स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईआईटी, दिल्ली के माध्यम से आईटी बेस्ड फ्यूचर स्किलिंग कोर्सेस AI, IOT, Block Chain, AR-VR के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में चार COE की स्थापना उज्जैन, भोपाल और जबलपुर में की गई। इसके अंतर्गत 2340 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आई.टी.आई. में अध्ययनरत 1501 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। फ़ीस प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रदेश की एकमात्र Power Generation लैब (NPTI, शिवपुरी) और Renewable Energy लैब (UIT, शिवपुरी) में 579 इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आवासीय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवायी गई। इसी प्रावधान अंतर्गत आई.आई.टी., जोधपुर के माध्यम से आई.टी. बेस्ड फ्यूचर स्किलिंग कोर्स 'साइबर सिक्यूरिटी' में राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों के 612 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। लघु अवधि ट्रेनिंग के स्पेशल प्रोजेक्ट (महिला) के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला सशक्तीकरण शाखा यूएन वूमेन के द्वारा प्रदेश के 8 आदिवासी बहुल जिलों (सिवनी, बैतूल, खण्डवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर व बड़वानी) के आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 बालिकाओं को STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथ्स) और सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा कुल 453 लाख व्यय किया गया। विस्तृत* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। रोजगार संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *एन.सी.व्ही.टी. से संबंधित* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है****, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प योजना के निर्देश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है****, जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसलिंग योजना से संबंधित निमयों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है****। जी हाँ।* ***(ग)*** *कौशल विकास एवं रोजगार के लिये आयोजित प्रशिक्षणों की*

जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। ***(घ)*** *कौशल विकास संचालनालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त युवाओं की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है****। मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से रोजगार प्राप्त युवाओं की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है। रोजगार संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** रोजगार संचालनालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार है। (घ)** रोजगार संचालनालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-10 अनुसार है।**

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

26. अता.प्र.सं.98 (क्र. 2215) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश निजी वि.वि. विनियामक आयोग, भोपाल की सितम्बर 2020 से 2025 तक कुल कितनी सभा/बैठकें आयोजित की गईं? **(ख)** मध्यप्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों में क्या वार्षिक ऑडिट किया जाता है यदि हाँ, तो किसके द्वारा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में मध्यप्रदेश के 09 विश्वविद्यालयों में जहाँ चिकित्सकीय पाठ्यक्रम MBBS, MD, MS संचालित हैं, के विगत दो वर्षों का ऑडिट कराया गया है? **(घ)** मध्यप्रदेश के 09 निजी विश्वविद्यालयों के चिकित्सकीय पाठ्यक्रम MBBS, MD, MS के किस प्रकार से क्या शुल्क समीक्षा प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच के लिए आयोग की शुल्क समीक्षा समिति का गठन क्या आयोग सभा की बैठक में हुआ है? समिति में कौन-कौन है? विवरण दें। (ङ) क्या मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा AFRC तथा MPPURC द्वारा निर्धारित चिकित्सा पाठ्यक्रमों की फीस में अंतर को लेकर कोई आपत्ति या अपील की है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *कुल 35 बैठकें आयोजित हुई।* ***(ख)*** *जी हाँ। प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के अधीन वार्षिक लेखा तैयार किया जाता है और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखों की संपरीक्षा की जाती है।* ***(ग)*** *जी हाँ।* ***(घ)*** *जी हाँ। आयोग द्वारा शुल्क समीक्षा समिति का गठन किया गया है। शेष* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ङ.)*** *जी हाँ।* ***जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **] (ङ.)** म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल द्वारा अपीलीय अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय को पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील क्रमांक 7/2025 दिनांक 23.07.25 पर निर्णय देते हुए उक्त अपील/आवेदन को अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। अपील क्रमांक 7/2025 दिनांक 23.07.25 के निर्णय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट का उपयोग

[उच्च शिक्षा]

27. अता.प्र.सं.138 (क्र. 2412) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीएम एक्सीलेंस कॉलेज), मंदसौर में दिनांक

01 जनवरी, 2025 से 30 जून, 2025 तक भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट से संबंधित केशबुक और स्टॉक रजिस्टर का विवरण क्या है? कृपया इस अवधि की केशबुक और स्टॉक रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराएँ। **(ख)** उक्त अवधि के दौरान भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट से खरीदी गई सामग्री, जैसे एयर कंडीशनर (एसी), फर्नीचर, सोफा आदि के संबंध में दस्तावेज खरीद हेतु तैयार की गई नोटशीट, टेंडर प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज, कोटेशन और तुलनात्मक पत्रक, भुगतान के बिल और वाउचर सहित संपूर्ण नस्ती की प्रमाणित प्रतियां देवें। **(ग)** भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बजट का उपयोग क्या केवल छात्रों की परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया गया, या इसका उपयोग अन्य कार्यों, जैसे प्राचार्य आवास के लिए सामग्री खरीद में भी किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या औचित्य और स्वीकृति थी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग)** प्राप्त बजट का उपयोग परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन के लिए निर्धारित PRORATA राशि से समन्वय प्रकोष्ठ के उन्नयन के लिए किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

माननीय न्यायालय के आदेशों की अवेहलना

[उच्च शिक्षा]

28. परि.अता.प्र.सं. 142 (क्र. 2489) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता का अता. प्रश्न क्र. 507 उत्तर दिनांक 01/07/2024 एवं तारा. प्रश्न क्र. 673 उत्तर दिनांक 16/12/24 के प्रति उत्तर में कला में हिन्दी और इतिहास दो विषयों में एम.ए. प्रारंभ करने के बारे में सदन में बयान दिया था? सदन में उत्तर दिनांक से प्रश्न दिनांक तक विभाग ने कब और क्या कार्यवाही की? प्रश्न दिनांक तक एम.ए. प्रारंभ नहीं होने पर विभागीय किस की जिम्मेदारी निर्धारित कर किसके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। आदेश, निर्देश, नियम सहित संपूर्ण जानकारी दें। कब तक एम.ए. प्रारंभ कर दिया जायेगा? निश्चित समय-सीमा बतायें। **(ख)** तारां. प्रश्न क्र. 364 उत्तर दिनांक 11/03/2025 के प्रश्नांश (घ) में सकारण आदेश जारी करना बताया जाकर मा. न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये आवेदिका को भुगतान नहीं किया गया। सकारण आदेश को परिभाषित करते हुये स्पष्ट करें कि विभाग ने आवेदिका को भुगतान क्यों नहीं किया? आवेदिका को कब और क्यों भुगतान किया गया? संपूर्ण जानकारी मय आदेश, निर्देश, आदेश की प्रति सहित दें। मा. न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर कब और किसकी जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। **(ग)** 20 मार्च 2020 से विभाग में एवं उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में कितने न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध हैं? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? प्रकरण में अधिवक्ताओं को पैरवी हेतु कब और कितनी राशि व्यय की गई है? प्रकरणवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। **(घ)** महाविद्यालयों में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? महाविद्यालयवार उनकी संख्या सहित समस्त जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। हिन्दी एवं इतिहास विषयों में एम.ए. प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गई है। मंत्रि परिषद् के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किया जाएगा। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ 3/1/2/0071/2025/sec.-1-38 (HED), भोपाल दिनांक 11.04.2024 के परिपालन में आवेदिका को समस्त प्रकार का भुगतान किया जा चुका है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार*** *है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही*** *है।* ***(घ)*** *प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध 4606 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। विस्तृत* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार*** *है।* **] (ग)** 20 मार्च, 2020 से विभाग में एवं उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में कुल दाखिल (पंजीबद्ध) न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या 4400 है। विभाग में पूर्व के तथा 20 मार्च, 2020 के पश्चात दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति – कुल निर्णित प्रकरण - 3733, कुल लंबित प्रकरण - 2526. एसएलपी प्रकरण क्र. 12946-12950/2017 मनीष गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध अध्यक्ष जनभागीदारी समिति एवं अन्य में एसएलपी में भारत सरकार के Solicitor General (वरिष्ठ अधिवक्ता) श्री के.एम. नटराज को म.प्र. शासन का पक्ष समर्थन किए जाने हेतु रू. 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है।

दिनांक 5 अगस्त, 2025

रेत के अत्यधिक खनन से पर्यावरण

[खनिज साधन]

29. अता.प्र.सं.3 (क्र. 237) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवास जिले में जन आस्था का केन्द्र माँ नर्मदा में म.प्र. की सीमा के अंतर्गत कितने स्थानों पर रेत खनन की अनुज्ञा प्रदान की गई है स्थानों का नाम, प्रतिवर्ष खनन की जाने वाली रेत की मात्रा (खदानवार) बतायें। **(ख)** विभाग को नर्मदा नदी में कुल कितने स्थानों पर अवैध उत्खनन की शिकायत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मिली एवं कितनी अवैध खदानों को बंद करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है स्थानों के नाम बताये। **(ग)** क्या नर्मदा नदी में से लगातार अत्यधिक उत्खनन के कारण नर्मदा जल की शुद्धता कम हुई है साथ ही पानी में पाये जाने वाले सूक्ष्म जीव मछली, सीप, शंख, घोंघा विलुप्त हो चुके हैं क्या विभाग समय-समय पर नर्मदा नदी के जल एवं पर्यावरण की स्थिति की जांच कराता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2023-24 में जांच में क्या तथ्य आये हैं?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *देवास जिले में वर्तमान में रेत खदानों में म.प्र. सिया/सेक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण, ओ.ए. क्रमांक 50/2024 माननीय एन.जी.टी. के समक्ष विचाराधीन होने से पर्यावरण स्वीकृतियाँ जारी नहीं की गई। वैधानिक अनुमति प्राप्त न होने से रेत खदानें संचालित नहीं हुई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *प्रश्नांश के प्रथम भाग अनुसार जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग समय-समय पर नर्मदा नदी के जल एवं पर्यावरण की स्थिति की जाँच नहीं कराता है। अत:*

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** प्रश्नांश अनुसार अवैध उत्खनन की शिकायत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित** है। देवास जिले में अवैध खदानें संचालित नहीं है। अत: अवैध खदानों को बंद करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है।

वॉटर कोर्स एवं फील्ड चैनल का निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

30. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 615) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विकासखण्ड पनागर जिला जबलपुर में गत 5 वर्षों में वॉटर कोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण कार्य किये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य किये गये? स्थान एवं व्यय सहित वर्षवार बताये? यदि नहीं, किये तो कारण बताये? **(ग)** क्या विभाग द्वारा निर्धारित वॉटर कोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण दरें प्रचलित बाजार दरों से बहुत कम होने के कारण कार्य नहीं किये गये?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश लागू नहीं। भारत सरकार की गाइड-लाइन दिसम्बर 2013 के अनुसार वॉटर कोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण की दरें रु. 835 प्रति मीटर है। वर्तमान में सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने से वॉटर कोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण किया जाना संभव नहीं है। निदेशक (प्रबोधन एवं पुनासा), केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 06/03/2023 द्वारा फील्ड चैनल निर्माण की दर रू. 835 प्रति मीटर की दर को बढ़ाकर रू. 1249.00 प्रति मीटर की दर पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (CADWM) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। **(ग)** जी हाँ।

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

म.प्र. में आबकारी विभाग में व्याप्त अनियमितायें

[वाणिज्यिक कर]

31. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 700) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संपूर्ण मध्यप्रदेश में शराब निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य 01 अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक बेची जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है उनकी जिलेवार संख्या बताएं। आबकारी विभाग की संलिप्तता होने एवं उनके द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विदिशा जिलों में कलेक्टर द्वारा दुकानों की जांच अन्य माध्यमों से करायी गयी है उनकी संख्या बताएं। क्या जबलपुर भोपाल सहित इंदौर संभाग में इंदौर, खरगोन, खण्डवा, दतिया, ग्वालियर, बुरहानपुर जिलों में शराब एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बेची जा रही है शिकायतों एवं दर्ज प्रकरणवार संख्या बताएं। क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों की अन्य विभाग के अधिकारियों से भी शराब एम.आर.पी. से ज्यादा दामों में बेचे जाने की जांच कराई गई थी? कृपया जिलों के नाम एवं प्रकरणों की संख्या दें। **(ख)** सी.एम. हेल्पलाइन अन्य माध्यमों से कौन-कौन सी दुकानों पर

ओवर रेटिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई। विस्तृत विवरण दें। इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई एवं क्यों तथा किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही की गई है बताएं। क्या उक्त जिलों में एम.आर.पी. से ओवर रेटिंग के प्रकरण में औपचारिक कार्यवाही के लिए छोटी कम लाइसेंस फीस वाली दुकानों के प्रकरण आबकारी विभाग द्वारा पुरानी तारीख में दर्ज किए है कृपया माहवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी दें। इन जिलों में ओवर रेटिंग पायी जाने पर संबंधित आबकारी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें? **(ग)** क्या इंदौर में संजय तिवारी उपायुक्त के कार्यकाल में इंदौर के सपना पेराडाईज लाइसेंसधारी बार में नकली जहरीली शराब पीकर जुलाई 2021 में अनेकों लोगों की मौत हुई थी। इनकी शराब माफिया से मिलीभगत के आधार पर तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा इनको इंदौर से हटाने की अनुशंसा दिनांक 25/05/2021 को की गई थी तथा धार जिले कुक्षी में शराब माफिया द्वारा आईएसएस अधिकारी पर हमला 13/09/2022 को हुआ था जब उसी कारण इनको इंदौर संभाग से हटाया गया था। क्या शासन द्वारा 2 प्रतिशत लाइसेंस फीस लेकर शराब दुकानों शराब पीने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? इंदौर सहित म.प्र. के उल्लेखित जिलों आबकारी अधिकारियों द्वारा शराब ठेकेदारों से मिलकर 1 प्रतिशत अवैध राशि लेकर शराब दुकानों में अवैध अहातों का संचालन किया जा रहा है तथा नाममात्र को ढाबे आदि दिखाकर फर्जी कार्यवाही की जा रही है। क्या संजय तिवारी को शासन द्वारा उपरोक्त सभी कारणों के बावजूद इस भ्रष्ट अधिकारी को बार-बार इंदौर क्यों पदस्थ किया जाता है?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** मध्यप्रदेश में शराब निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य से बेची जाने की शिकायतें 01 अप्रैल 2025 अद्यतन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** सी.एम. हेल्प लाइन एवं अन्य माध्यमों से निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने की प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। मध्यप्रदेश में निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी मदिरा दुकानों के माहवार दर्ज प्रकरणों का विवरण एवं प्रकरणों में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ग)** इन्दौर संभाग के अधीन जिला इन्दौर से प्राप्त जानकारी अनुसार जुलाई 2021 में सपना बार एवं पैराडाईज बार में 04 लोगों की मौत हुई थी। श्री संजय तिवारी तत्समय जिला इन्दौर में पदस्थ न होकर उपायुक्त आबकारी, सभागीय उड़नदस्ता, संभाग-इंदौर के पद पर पदस्थ थे। जिला धार से "पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 13.09 2022 को श्री नवजीवन विजय पंवार, एस.डी.एम. कुक्षी जिला धार एवं अन्य के द्वारा ग्राम बोल्या थाना कुक्षी में रामदेव ढाबे के पास अवैध मदिरा से भरे वाहन ट्रक क्रमांक MP69/H0112 को रोका गया। मौका पाकर ट्रक ड्रायवर व क्लीनर घटना स्थल से फरार हो गये थे। फरार आरोपी एवं अन्य के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध क्रमांक 864/2022 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।" जिला धार के कुक्षी में आईएएस अधिकारी पर हमला दिनांक 13-09-2022 की घटना पुलिस विभाग से संबंधित है।

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 दिनांक 22 फरवरी 2023 की कंडिका क्रमाक 11 से शराब दुकानों में शराब पीने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। शराब दुकानों में अवैध अहातों के संचालन के सबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। स्थानांतरण नीति तथा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आबकारी विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती है।

सिविल न्यायालय की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

32. अता.प्र.सं.24 (क्र. 1298) श्री अजय विश्नोई : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपनी अधिसूचना क्रमांक C/4866/तीन-10-47/ 78-सात दिनांक 11.11.2018 के माध्यम से मझौली नगर में सिविल न्यायालय की स्थापना के आदेश जारी किये हैं? **(ख)** क्या मझौली सिविल न्यायालय, भवन अनुप्लब्ध होने के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? **(ग)** यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो, जानकारी दे कि मझौली में सिविल न्यायालय के लिये आवश्यक भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी, हाँ। वर्तमान में मझौली, जिला जबलपुर में सिविल न्यायालय, भवन उपलब्ध नहीं है एवं न्यायालय भवन उपलब्ध न होने से तथा सिविल न्यायालय सीहोरा से मंझौली की दूरी 30 कि.मी. से कम होने से मंझौली में सिविल न्यायालय प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। **(ग)** उक्त प्रश्न के संबंध में निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है।

नियम विरूद्ध आयोजित बैठक की जांच

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

33. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 1334) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजनों हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और समाज के कामकाजी मदों के संबंध में राज्य सरकार के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये मध्यप्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के पालन में धारा 3 के अधीन जिला योजना समिति का गठन किये जाने के प्रावधान निहित किये गये। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला रीवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जिला योजना समिति का गठन कब-कब किया गया? इस बाबत् अधिसूचना कब जारी की गई प्रति देते हुये बतावें। समिति में किन-किन सदस्यों का निर्वाचन किया गया, निर्वाचन से संबंधित उपयोग किये गये दस्तावेज की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुसार अधिनियम के पालन में प्रश्नांश (ख) अनुसार गठित समितियों की बैठक रीवा जिले सहित विभिन्न जिलों में किनकी अध्यक्षता में कब-कब आयोजित की गई बैठक में कौन-कौन से निर्णय पारित किये गये कार्यवाही विवरण की प्रति देते हुये बतावें। इनमें से पारित संकल्पों/निर्णयों में कितने निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हुये उनके नाम एवं निर्वाचन की अवधि व तिथि क्या थी? इनका निर्वाचन

कब-कब कितने वर्षों के लिये किया गया। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आधारों पर यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया गया मनमानी तरीके से सचिव योजना समिति रीवा सहित अन्य जिलों के सचिवों द्वारा योजना समिति की बैठक हेतु संविलियन की सूचना जारी कर बैठक आयोजित कराकर नियम विरुद्ध तरीके से बगैर योजना समिति के गठन किये निर्णय व संकल्प पारित कराये गये इसके लिये उत्तर दायी सचिव एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? नियम विरुद्ध पारित संकल्पों/निर्णयों को निरस्त करने बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

उप मुख्यमंत्री, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *से* ***(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** रीवा जिले में जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ है, अपितु दिनांक 23.12.2024 एवं 17.04.2025 को जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 अंतर्गत उक्त संबंध में प्रावधान न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

34. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 2050) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्यमंत्री, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मप्र शासन,योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा संभागीय/जिला योजना सांख्यिकी कार्यालयों के लिए वर्ष 2010 में 50 जिलों में 1-1 एवं 2016 में 1 अन्य (आगर-मालवा नवनिर्मित जिलों के लिए) कुल 51 पद वेतनमान बैंड 5200-20200+2400 ग्रेड पे पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत किए गये थे। इन पदों पर प्रदेश के कितनें जिलों में नियुक्ति की गई थी? नियुक्त सभी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के नाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जिला की जानकारी प्रदाय करें। **(ख)** इनकी नियुक्ति वेतनमान में क्यों नहीं की गई? जबकि ये पद वेतनमान बैंड 5200-20200+2400 ग्रेड पे पर स्वीकृत है। **(ग)** वर्ष 2013 में संविदा वृद्धि के समय विषयांतर्गत संबंधित मूल नस्ती यो.आ.सां. विभाग में तथा संचालनालय में बहुत ढूंढ़ने पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं विधानसभा प्रश्न क्र. 740 (तारांकित प्रश्न) दिनांक 20/12/2022 के उत्तर में विभाग द्वारा गलत जानकारी प्रेषित करने का क्या कारण हैं? **(घ)** संचालनालय द्वारा वर्ष 2017 से संविदा वृद्धि एवं पद को विभागीय सेटअप में लेने संबंधित नस्ती क्र.45-क मि दिनांक 02.09.2021 को अनुमोदन हेतु संक्षेपिका संलग्न कर मूल नस्ती आपकी ओर प्रेषित की गई है इसे मंत्रि-परिषद् के समक्ष कब तक प्रस्तुत किया जायेगा? **(ड.)** संचालनालय द्वारा पत्र दिनांक 06-09-2019 के माध्यम से शासन द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सहायक ग्रेड-3 के पदों में संविलियन करने के लिए संबंधित जिलों से अर्हता संबंधी जानकारी मांगी गई है। इसे अनुमोदन हेतु नस्ती मंत्री परिषद् के समक्ष कब प्रस्तुत कि जायेगी? **(च)** नवनिर्मित कुल 51 पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत होने के बावजूद दिनांक 23/05/2016 में शासन द्वारा विभाग के लिपिक संवर्ग के पद के विरूद्ध इनकी संविदा वृद्धि करने का क्या कारण हैं? **(छ)** शासन द्वारा 2018 में संविदा वृद्धि न करने का हवाला देकर आयुक्त ने इनकों कार्य नहीं करने दिया। 2017 से संविदा वृद्धि न करने का मप्र शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय का आदेश की प्रति उपलब्ध

करें। **(ज)** संचालनालय द्वारा पत्र दिनांक 28-08-2017 के माध्यम से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं दैनिक वेतन भोगी की ईपीएफ कटोत्रा के लिए जानकारी मांगी गई। ईपीएफ की राशि कर्मचारी के यूएएन खाते में कब तक जमा कर दी जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी : [***(क) से (ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। इन पदों पर प्रदेश के 35 जिलों में नियुक्ति की गई थी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पदों की पूर्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार राशि रू. 10,260/- (प्रतिमाह) निश्चित वेतनमान में संविदा आधार पर नियुक्ति दी गई थी। **(ग)** मूल नस्ती संधारित है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** संविदा अवधि दिनांक 31.08.2017 को समाप्त होने से संचालनालय के आदेश दिनांक 10.08.2018 द्वारा दिनांक 01.09.2017 से डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं आगामी आदेश जारी होने तक नहीं लिए जाने का लेख किया गया था। संबंधितों को सेवा से पृथक हुये लगभग 08 वर्ष हो चुके हैं। प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(च)** विभागीय आदेश दिनांक 23.05.2016 द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत संविदा के आधार पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 50 पदों में से 21 पदों की संविदा अवधि में वृद्धि की गई थी एवं 29 रिक्त पदों पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की सेवाएं आउट सोर्सिंग से प्राप्त करने तथा तत्कालीन नवीन जिला-आगर मालवा में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय हेतु 02 वर्ष की संविदा नियुक्ति के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर का 01 पद निर्मित किया गया था, साथ ही आदेश की कंडिका-3 में उल्लेखित किया गया था - "विभाग में लिपिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति को स्थगित रखा जाए" अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ज)** संचालनालय द्वारा उक्त पत्र जारी नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पदोन्नति में आरक्षण नियम लागू किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

35. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2281) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पदोन्नति में आरक्षण नियम 1917 जिसे एडवोकेट मनोज गोरकेला द्वारा तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया गया था, अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है? क्या कारण है कि यह नीति अभी तक प्रभावी नहीं हुई है? **(ख)** क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस नियम के अभाव में अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग व सामान्य वर्ग के सभी अधिकारी/कर्मचारी समय पर पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं? सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या ठोस कदम उठा रही है? **(ग)** क्या विभाग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिये वर्ष 2023 तक नीति लागू की गई थी? यदि हाँ, तो कितने विभाग द्वारा मान्य नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? **(घ)** क्या वर्ष 2023 की संविदा नीति में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और कितने संविदा कर्मचारियों के

परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया गया है? **(ड.)** पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं में संविदा कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में उनके मानदेय में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, किस-किस विभाग द्वारा उक्त मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है? विभागवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** पदोन्नति में आरक्षण नियम 1917 का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। **(ख)** जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19.06.2025 को अधिसूचित किये गये है। **(ग)** जी हाँ। संविदा नीति 2023 शासन के समस्त विभागों पर लागू है। संविदा नीति 2023 की कण्डिका 11.5 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार "मध्यप्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम/मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय/आयोग/विकास प्राधिकरण/बोर्ड/परिषद् को प्रदान किये गये हैं। **(घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** संविदा नीति, 2023 की कंडिका 4.3 में प्रावधान अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत प्रगणित एवं अधिसूचित करने की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

36. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 2438) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बापूना एल्क्रोबू प्रायवेट लिमिटेड (रायरू शराब फैक्ट्री) के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में जिला प्रशासन को लिखे गये पत्र क्रमांक MLA/242 दिनांक 17.09.2024, MLA/243 दिनांक 17.09.2024, 280/2024/MLA दिनांक 14.10.2024, 324/2024/MLA दिनांक 18.01.2025 तथा 364/2024/MLA दिनांक 28.01.2025 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक/क्यू/एडीएम/स्टेनो/2025/209 ग्वालियर दिनांक 20.03.2025 के माध्यम से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त जांच तथ्यहीन एवं गोल-मोल तरीके से की गई तथा जांच प्रतिवेदन से सहमत न होने के कारण बजट सत्र 2025 के दौरान तारांकित प्रश्न क्रमांक 1988 के माध्यम से यह विषय सदन में उठाया गया, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में दिनांक 21.03.2025 को आश्वासन दिया गया कि, ''अनियमितताओं की जांच राज्य स्तर से आपको जांच समिति में सम्मिलित रखते हुए शीघ्र ही करवाई जावेगी''। प्रश्नांकित दिनांक तक उक्त संबंध में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार, संचालित शराब फैक्ट्री के विरूद्ध किसी भी प्रकार की राज्य स्तरीय जांच एजेन्सी से जांच एवं कार्यवाही नहीं की जाने से यह स्पष्ट है कि शासन/प्रशासन शराब निर्माताओं के पूरी तरह से बचाव में हैं, उक्त जांच एवं कार्यवाही लंबित रहने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** बजट सत्र 2025 के दौरान तारांकित प्रश्न क्रमांक 1988 श्री साहब सिंह गुर्जर, माननीय सदस्य के प्रस्तुत उत्तर से संदर्भित आश्वासन के संबंध में आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश

दिनांक 24 जुलाई 2025 द्वारा ग्वालियर में संचालित बापुना एलकोब्रू प्रायवेट लिमिटेड रायरू डिस्टलरी से संबंधित अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति मौका स्थल पर जांच कर, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नर्मदा सिंचाई परियोजना से वंचित ग्राम

[नर्मदा घाटी विकास]

37. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 2620) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सरदारपुर विधानसभा में नर्मदा सिंचाई परियोजना से कितने ग्राम वंचित हैं? उन ग्रामों को कब तक किस योजना में जोड़ा जाएगा? **(ख)** सरदारपुर विधानसभा से संबंधित विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री जी के द्वारा विभाग को कितने पत्र प्राप्त हुए? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त जानकारी प्रदान करें। **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र क्रमांक 2453/सी.एम.एस/एमएलए/196/2024 के पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? समस्त दस्तावेज एवं नोटशीट की प्रति देवें। **(घ)** दिनांक 19 मई 2025 को धार जिला प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विभाग को सरदारपुर विधानसभा के लिए कार्ययोजना तैयार कर भेजने हेतु आदेशित किया गया था। क्या जिला अधिकारी द्वारा कार्ययोजना तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी गई? यदि हाँ, तो कब तक इन गाँवों को नर्मदा का पानी मिलेगा? यदि नहीं, तो कार्ययोजना बनाकर कब तक उच्च स्तर पर भेजी जाएगी? **(ड.)** धार उद्वहन सिंचाई योजना में अन्य विधानसभा के गाँव जोड़े गए हैं। क्या उसी प्रकार उक्त योजना में सरदारपुर विधानसभा के ग्रामों को शामिल किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा-झाबुआ-पेटलाबाद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में 66 ग्राम (25,422 हेक्टेयर कृषि भूमि) सम्मिलित है। वंचित ग्रामों हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (घ)** वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित नर्मदा जल का पूर्ण आवंटन परियोजनाओं को किया जा चुका है। ऐसी दशा में नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है। **(ड.)** उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

जिला सत्र न्यायालय की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

38. अता.प्र.सं.117 (क्र. 2656) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग के द्वारा जिला निवाड़ी में जिला सत्र न्यायालय की स्थापना के संबंध में कोई

कार्यवाही प्रस्तावित है, हाँ अथवा नहीं, यदि हाँ, तो जिला सत्र न्यायालय की स्थापना निवाड़ी जिले में कब तक की जा सकेगी। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं, तो क्या कारण है कि जिला निवाड़ी के गठन के लगभग 06 वर्ष पश्चात् भी अभी तक जिला सत्र न्यायालय की स्थापना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कारण सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ, नवीन जिला निवाड़ी हेतु जिला न्यायालय की स्थापना भवन निर्माण होने तथा जिला न्यायालय की स्थापना हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यालय एवं कार्यों से सम्बंधित जानकारी

[खनिज साधन]

39. अता.प्र.सं.120 (क्र. 2660) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम, पदस्थापना दिनांक एवं कार्य विभाजन सहित विवरण उपलब्ध करायें। **(ख)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में कितने खनि पट्टा/उत्खनिपट्टा एवं अस्थाई अनुज्ञा पट्टा जारी किये गए? प्रकरण नस्ती की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। खनि पट्टों/उत्खनि पट्टों एवं अस्थाई अनुज्ञा पट्टों के पट्टाधारकों द्वारा खनित/उत्खनित मात्रा की मासिक एवं त्रैमासिक विवरणी तथा जमा की गई रॉयल्टी की जानकारी से सम्बंधित प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। **(ग)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले की कितनी खनिज पट्टा/उत्खनिपट्टा अस्थाई अनुज्ञा पट्टा एवं घोष विक्रय खदानों में पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत खनिज मात्रा से अधिक खनिज निकाला गया है? निकाली गई खनिज मात्रा, स्वीकृत खनिज मात्रा, खनिज निरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में खनिज विक्रय/भंडारण/परिवहन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण समस्त आवेदनों की (संलग्न समस्त सहपत्रों सहित) प्रतियां उपलब्ध करायें, कितनी अनुज्ञप्तियाँ जारी/नवीनीकृत की गईं? विवरण उपलब्ध करायें। **(ड.)** जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षकों एवं जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा अवैध खनन/उत्खनन, विक्रय/भंडारण/परिवहन के कितने मामलों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं "ब" पर दर्शित** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर दर्शित** है। **(ग)** प्रश्नांश अनुसार रीवा जिले की कितनी खनिज पट्टा/उत्खनिपट्टा अस्थाई अनुज्ञा पट्टा एवं घोष विक्रय खदानों में पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत खनिज मात्रा से अधिक खनिज निकालने से संबंधित प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर दर्शित** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई व "फ" पर दर्शित** है।

स्टॉम्प शुल्क के नाम पर नियमों के विपरीत कार्यवाही की जाना

[वाणिज्यिक कर]

40. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 2692) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के कितने पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय है? कार्यालय का नाम, पता, अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, मोबाईल नं., कब से एक ही स्थान पर पदस्थ, संपत्ति का विवरण, कितने प्रभार के कार्य देख रहे हैं, जानकारी का गौशवारा बनायें आदेश, एकल नस्ती दें। **(ख)** रजिस्ट्री हेतु कितने वेण्डर पंजीकृत है? फर्म, संचालक का नाम, पता, मोबाईल नं., लाइसेन्स की प्रति, योग्यता सहित गौशवारा बनायें। **(ग)** शास.-टू-शास. में रजिस्ट्री/नामातंरण के क्या नियम हैं? ई-रजिस्ट्री नं. MP059702024A1759033 की रजिस्ट्री किस वेण्डर द्वारा किस सब-रजिस्ट्रार द्वारा कितने स्टॉम्प ड्यूटी पर संपादित की? रजिस्ट्री की प्रति, नियम, आदेश बतायें। रजिस्ट्री में नियमों का पालन नहीं होने पर वेण्डर और सब-रजिस्ट्रार के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** इंदौर में 13.33 करोड़ की स्टॉम्प ड्यूटी चोरी में ई.ओ.डब्ल्यू. ने कब प्रकरण पंजीबद्ध किया? रजिस्ट्री की प्रति, संबंधितों के नाम, पदनाम, पते सहित बतायें। **(ड.)** भोपाल दिनांक 27 मई 15 को खसरा नं. 250, 251 कुल रकबा 1.02 (50 डेसीमल) की रजिस्ट्री रघुराज सिंह मीना एवं जसवंत सिंह मीना में संपन्न हुई है? कार्यालय की अंगूठा निशानी एवं उप पंजीयक के हस्ताक्षर की पंजी की प्रति, रजिस्ट्री की प्रति एवं कुल स्टॉम्प शुल्क की जानकारी दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करायें।

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : [***(क)*** *पंजीयन विभाग अंतर्गत 01 महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, 04 उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, 59 जिला पंजीयक कार्यालय एवं 234 उप पंजीयक कार्यालय हैं।* ***शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *रजिस्ट्री हेतु 7509 वेण्डर पंजीकृत है,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।*** *लाइसेन्स की प्रतियाँ* ***एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग को अंतरण के मामले में संपति के स्वामित्व परिवर्तन न होने के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन व केन्द्र शासन के मध्य रजिस्ट्री के मामले में भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के परन्तुक अनुसार स्टॉम्प शुल्क से छूट प्राप्त है, साथ ही शासन की अधिसूचना दिनांक 12-12-2014 अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन फीस प्रभार्य नहीं है। नामांतरण की जानकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित नहीं है। ई-रजिस्ट्री नंबर MP059702024A1759033 की रजिस्ट्री दिव्या नामदेव, लायसेंस क्रमांक SP010541604202101075 द्वारा सम्पादित की गई है तथा जिसका पंजीयन श्री अजमल सिंह मारण, उप पंजीयक भोपाल-2 द्वारा किया गया है। उक्त दस्तावेज पर स्टॉम्प शुल्क रूपये 17945747/- अदा किया गया है। दस्तावेज में प्रथम दृष्ट्या कर अपवंचन की स्थिति निर्मित होना परिलक्षित नहीं हुआ है। ई-रजिस्ट्री नंबर MP059702024A1759033 की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार*** *है।* ***(घ)*** *प्रश्नांश से संबंधित प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. ने दिनांक 05.07.2025 को पंजीबद्ध किया गया है।* ***शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.)*** *भोपाल जिले में अभिलेखागार के पंजीकृत दस्तावेज के ग्रन्थों में प्रश्नांश में वर्णित नाम से कोई दस्तावेज पंजीकृत होना नहीं*

पाया गया है। अंगुष्ठ छाप पंजी दिनांक 27 मई 15 की छायाप्रति ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।*** *शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **] (क)** पंजीयन विभाग अंतर्गत 01 महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय 04 उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, 59 जिला पंजीयक एवं 234 उप पंजीयक कार्यालय है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'एक' अनुसार है। (ख)** रजिस्ट्री हेतु 7509 वेण्डर पंजीकृत है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। लायसेंस की **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश से संबंधित प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. ने दिनांक 05.07.2025 को पंजीबद्ध किया गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार** है।

दर्ज एफ.आई.आर. 0480 दिनांक 11.10.2020 में गिरफ्तारी

[गृह]

41. परि.अता.प्र.सं. 107 (क्र. 2736) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भिण्ड जिले के भिण्ड शहर कोतवाली में दिनांक 11.10.2020 में एफ.आई.आर क्रमांक 0480 पर भा.दं.सं. की धारा 302 सहित अ.जा. अधिनियम की धारा 3 (1) (W) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? यदि नहीं, तो कब तक होगी, समयावधि बताएं। **(ख)** उक्त पंजीबद्ध अपराध में हत्या समेत अ.जा.अधिनियम की धारा 3 (1) (W) के तहत मुख्य आरोपी सतीश भदौरिया निवासी कुम्हरौआ, भिण्ड नामजद होने के बावजूद भी शासकीय कार्य में सेवारत है, यदि हाँ, तो इसकी गिरफ्तारी कब तक की जावेगी? समयावधि बताने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जी हाँ भिण्ड जिले के थाना सिटी कोतवाली में फरियादी अशोक पुत्र परसुराम जाटव, निवासी भीमनगर कुम्हरौआ रोड की रिपोर्ट पर से आरोपी (1) रविन्द्र शर्मा (2) साकेत भदौरिया (3) सौरभ आदिवासी (4) दीपू भदौरिया (5) सतीश भदौरिया (6) विजय चौरसिया के विरुद्ध अप. क्र. 480/20, धारा 302,294,506, 34 भादवि 3 (1) (डब्ल्यू), 3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) (व्हीए), 3 (2) व्ही, एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के आरोपी (1) रविन्द्र शर्मा को दिनांक 15.10.2020 को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी (2) साकेत भदौरिया को दिनांक 10.05.2021, आरोपी (3) सौरभ आदिवासी को दिनांक 04.06.2021 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी (4) दीपू भदौरिया की तलाश जारी है जिसकी गिरफ्तारी हेतु 5000/-रु. का ईनाम घोषित किया गया है। आरोपी (5) सतीश भदौरिया एवं आरोपी (6) विजय चौरसिया के द्वारा घटना घटित करने के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं। विवेचना जारी है।* ***(ख)*** *आरोपी सतीश भदौरिया सहायक ग्रेड-3 के पद पर जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में पदस्थ है। आरोपी के घटना में संलिप्त न होने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अनुसंधान करते हुए घटना स्थल पुतु मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं जगराम कोरकू समेत कुल 7 गवाहों ने कथन में आरोपी सतीश भदौरिया का घटना स्थल पर उपस्थित होना नहीं बताया है। वर्तमान में आरोपी सतीश भदौरिया के संबंध में धारा 173 (8) जा.फौ के तहत विवेचना जारी रखते हुए साक्ष्य* ***संकलित किये जा रहे हैं।*** *पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।* **] (क)** जिला भिण्ड द्वारा कोतवाली के अप.क्र. 480/20, धारा 302,294,506, 34 भादवि 3 (1) (डब्ल्यू) 3 (1) द. 3 (1) ध. 3

(2) (व्हीए), 3 (2) व्ही एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण के आरोपी रविन्द्र शर्मा को दिनांक 15.10.20 को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 03/21 दिनांक 12.01.21 एवं आरोपी साकेत भदौरिया को दिनांक 10.05.21 एवं सौरभ आदिवासी को दिनांक 04 06.21 को गिरफ्तार किया जाकर पूरक चालान क्र. 0/21 दिनांक 05.08.21 कता किया गया है। प्रकरण में आरोपी दीपू भदौरिया की तालश जारी है जिसकी गिरफ्तारी हेतु 5000 रूपये का इनाम घोषित किया गया है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है। **(ख)** प्रकरण का आरोपी सतीश भदौरिया जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में सहा ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ होकर वर्तमान में कार्यरत हैं। आरोपी के घटना में संलिप्त न होने के सबंध में वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लेखित तथ्यों के सबंध में अनुसंधान, करते हुये घटनास्थल पुत्तू मैरिज गार्डन में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज एवं जगराम कोरकू समेत कुल 7 गवाहों के कथन लिये। साक्षियों ने अपने-अपने कथनों में आरोपी सतीश भदौरिया का घटनास्थल पर उपस्थित होना नहीं बताया है। वर्तमान में आरोपी सतीश भदौरिया की घटनास्थल पर उपस्थिति के सबंध में धारा 173 (8) जाफौ के तहत विवेचना में है।

दिनांक 6 अगस्त, 2025

मान्यता बहाल कराने के साथ प्रवेश हेतु सीट में वृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

42. अता.प्र.सं.21 (क्र. 1353) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 978 उत्तर दिनांक 13.03.25 के उत्तर ''ग'' में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई, की जानकारी दी गई। जिन नर्सिंग कालेजों के संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन थे, उनके मान्यता बहाल किये जाने बाबत् शासन द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की गई, प्रति देते हुये बतावें? अगर कार्यवाही नहीं की गई, मान्यता बहाल नहीं हुई जिसके कारण जून-जुलाई 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा में सम्मिलित बालिकाओं/परीक्षार्थियों का प्रवेश सीट कम होने के कारण प्रभावित होगा, उसके लिये कौन जवाबदार होगा एवं इन कॉलेजों के मान्यता बहाल न होने की स्थिति में अन्य शास. कॉलेजों में प्रवेश हेतु सीट बढ़ाकर प्रवेश दिये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्या? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में वर्तमान में कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित है उनमें पिछले वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। न्यूनतम प्रवेश हेतु क्या अंक निर्धारित किये गये थे। **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार वर्ष 2022 में 1860 प्रवेश हेतु सीटें रिक्त की जानकारी दी गई एवं वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में इनकी संख्या कम कर 1340 कर दिया गया जबकि वर्ष 2022 में काउंसलिंग नहीं कराई गई थी जिससे प्रवेश नहीं दिये गये इस कारण भी प्रवेश हेतु सीट बढ़ाकर वर्ष 2024 में प्रवेश दिये जाने बाबत् कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा न करने से परीक्षार्थियों/बालिकाओं का नर्सिंग में प्रवेश प्रभावित हुआ। इस पर क्या निर्देश देंगे बतायें? जबकि

सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान एवं विकास की बात बार-बार की जाती है लेकिन उनके भविष्य को लेकर सरकार गंभीर नहीं है तो क्यों बतावें? **(घ)** प्रश्नाश 'क', 'ख एवं 'ग' अनुसार वर्ष 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा हेतु जिन कॉलेजों की मान्यता संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायायल में लंबित है, उनके स्थान पर संचालित शासकीय नर्सिंग कालेजों में सीट बढ़ाकर प्रवेश दिलाये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे बतायें? साथ ही पिछले वर्ष प्रत्येक कालेजों में रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्येक में 4-5 सीटें रिक्त थी क्यों? इस बाबत् क्या निर्देश देंगे? इन रिक्त सीटों पर वर्ष 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश बाबत् निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों? वर्तमान में संचालित शासकीय कॉलेजों में कितनी सीटें, किस वर्ग हेतु आरक्षित रखी गई है, का विवरण कॉलेजवार वर्गवार देवें, इनके बढ़ाने बाबत् निर्देश देंगे बतावें? नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं, प्रश्न क्रमांक 978 उत्तर दिनांक 13.03.2025 के उत्तरांश (ग) अनुसार किसी भी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की मान्यता समाप्त नहीं की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्तमान में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार,** वर्ष 2024 में आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेशित परीक्षार्थियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार,** प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग)** वर्ष 2022 में परीक्षा उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण काउंसलिंग नहीं करायी गयी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार,** वर्ष 2024-25 में प्रवेश से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। (घ)** वर्ष 2025 में आयोजित नर्सिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधित कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश के अनुरूप की गई, जी नहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिये गये अंतिम तिथि 31.01.2025 तक ही काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये गये है। अत: अंतिम तिथि पूर्ण होने व अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन चॉईस कम करने के कारण सीटे रिक्त रही। जी नहीं, वर्ष 2024 में सम्मलित परीक्षार्थियों को वर्ष 2025 में मेरीट के आधार पर प्रवेश देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। संचालित नर्सिंग कॉलेजों में आरक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार।**

बाणसागर के विस्थापितों को दी गई भूमि

[जल संसाधन]

43. अता.प्र.सं.26 (क्र. 1418) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बाणसागर बॉध के विस्थापितों को आदर्श ग्राम न्यू राम नगर, न्यू देवराज नगर, जष्ठहा, न्यू मिगरौती, अमिलिया में पुनर्वास शाखा में आवासी प्लाट आवंटित किये गये एवं आवंटन आदेश प्रमाण पत्र के रूप में दिये गये? इन भूमियों के क्या वैधानिक दस्तावेज राजस्व विभाग या उस विभाग ने भूमियों के आवंटन के प्रमाण पत्र प्रश्न तिथि तक आवंटियों को दिये गये? अगर हाँ तो किस-किस ग्राम में किस-किस नाम एवं पते वाले आवंटियों को कब-कब एक-एक प्रति दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवंटन प्रमाण पत्र पाने वाले पच्चीस हजार से ज्यादा लोग वैधानिक दस्तावेज आज

तक प्राप्त नहीं कर पाये हैं? अगर पा चुके हैं तो सूची उपलब्ध करायें। ग्रामवार/आदेशों की एक-एक प्रति दें? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन के ग्राम पंचायत रामगढ़ की शासकीय आराजी के 561/4 में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित होता था, पर प्रश्नतिथि तक हुये अवैध अतिक्रमण को प्रश्नतिथि तक नहीं हटाया गया है? कारण दें। **(घ)** ग्राम सरिया के किन-किन किसानों की भूमि नहर बनाये जाने तक प्रश्नतिथि तक कितनी-कितनी अधिग्रहीत की है? प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम एवं पते के किस-किस किसानों को कितनी-कितनी भूमि पर अधिग्रहण होने पर कितनी-कितनी राशि का मुआवजा किस दर पर किस नियमों एवं मापदण्डों के आधार पर कैलकुलेट (गणना) कर दिया गया है? अगर नहीं किया गया है तो क्यों? कारण एवं नियम दें।

जल संसाधन मंत्री : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी हाँ। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख)** भू-अर्जन अधिकारी द्वारा आवंटित प्लाटों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग)** विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन के ग्राम पंचायत रामगढ़, बाणसागर परियोजना द्वारा अर्जित किए गए ग्रामों की सूची में नहीं है। अत: शेष प्रश्न लागू नहीं। **(घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-1" अनुसार है।**

शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भौतिक चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

44. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 2117) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या (MPPSC) के माध्यम से राज्य के शासकीय अस्पतालों तथा शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भौतिक चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो कुल कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? विषयवार एवं संस्थानवार संख्या बतावें। यदि नहीं तो क्यों? इस विषय में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना क्या है? **(ख)** आज दिनांक तक मध्यप्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञों की कितनी नियुक्तियां की गई हैं? फिजियोथैरेपी से संबंधित विषयवार विशेषज्ञों की संख्या उनके कार्यरत संस्थान और पदनाम सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** NHM के अंतर्गत मल्टी वर्कर रिहेबिलिटेशन (MWR) के पदों पर वर्तमान में कितने भौतिक चिकित्सक कार्यरत हैं? जिलावार एवं परियोजनावार इनकी संख्या एवं कार्यस्थल की जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या 5 जनवरी 2023 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज सहित मध्यप्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम शुरू किये जाने घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के अंतर्गत दिनांक 30.04.2024 को जारी अनुसूची 1-ब तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सह-चिकित्सकीय संवर्ग में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना, सिवनी, मन्दसौर, नीमच, सिंगरौली एवं श्योपुर हेतु फिजियोथैरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक) के प्रति महाविद्यालय 02

पद स्वीकृत होकर कुल 12 पद वेतनमान 42,700/- लेवल-10 स्वीकृत है। वर्तमान में सतना, सिवनी, मन्दसौर एवं नीमच चार ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित होने से 08 पदों पर एवं शासकीय अस्पतालों में स्वीकृत 41 पदों की भर्ती हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजा जा चुका है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार**। **(ख)** भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञ के 10 पद स्वीकृत है, जो कि शत्-प्रतिशत पदोन्नति के व रिक्त है। भर्ती नियम/स्वीकृत पद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार**। **(ग)** NHM के अंतर्गत रिहेबिलिटेशन वर्कर के पद पर वर्तमान में कुल 110 कर्मचारी कार्यरत है, जिनकी जिलावार, संस्थानवार, परियोजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार**। **(घ)** जी हाँ। शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित फिजियोथैरेपी कोर्स की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार।**

चिकित्सा देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

45. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 2601) श्री आरिफ मसूद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चिकित्सा देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति किस नियम के अंतर्गत दी जाती है? नियम की प्रति प्रदान करें। **(ख)** जनवरी, 2023 से मार्च, 2025 तक की अवधि में ज्वाइंट डायरेक्टर, हेल्थ, ग्वालियर के समक्ष मेडिकल से संबंधित कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रकरण/आवेदन पंजीबद्ध हुए। सूची प्रदान करें। **(ग)** उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में ज्वाइंट डायरेक्टर, हेल्थ ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की? स्वीकृति आदेश सहित सूची प्रदान करें। **(घ)** उक्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते समय प्रकरणवार कितनी-कितनी राशि का कटौत्रा किस-किस शीर्ष में किया गया? कटौत्रा के नियम की प्रति प्रदान करें। **(क)** सूची अनुसार लम्बित प्रकरणों की जानकारी प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *चिकित्सा देयकों पर कार्योत्तर स्वीकृति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। नियम की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)*** *जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर के समक्ष मेडिकल से संबंधित कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कुल 4413 प्रकरण/आवेदन पंजीबद्ध हुए हैं, जिसकी* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** उक्त प्रकरणों में से क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर द्वारा जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि में की गई 1958 कार्योत्तर स्वीकृति की वर्षवार सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** तथा स्वीकृति आदेशों की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (घ)** उक्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते समय प्रकरणवार एवं शीर्षवार कटौत्रा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार**। प्राप्त चिकित्सा देयकों में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के नियम 9 (1) अनुक्रम में भोपाल शहर के लिए विहित सी.जी.एच.एस. दरों की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की गई है एवं अधिक दावा राशि का कटौत्रा

किया गया है। कटौत्रा संबंधी जारी विभागीय निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार**।

कारम डेम का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

46. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 2781) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कारम डेम की विभागीय प्रक्रिया व विभागीय स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम-1 के क्लास 4.9.1 के अनुसार कोर व सेल जोन को एक साथ उठाया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं उठाया गया? **(ख)** विभागीय मापदंड अनुसार क्या ट्रंकेटेड सेक्शन में मिट्टी के बाँध का काम जा सकता है? **(ग)** (ट्रंकेटेड) बाँध के कोर जोन में काली मिट्टी लूज डंप कर की गई, जो गुणवत्ताहीन अमानक कार्य कराने से बांध की क्षति होने की संभावना बनी? **(घ)** बांध का कार्य डिज़ाइन प्रोफाइल अनुसार नहीं किये जाने पर एजेंसी को कोई निर्देश दिए है? **(ङ)** दिनांक 30-5-2022 तक नाला क्लोज़र किया जाना था, तो एजेंसी से कार्य क्यों नहीं किया जा सका? अधिकारियों ने कार्य की समीक्षा नहीं की। यदि की तो क्या उचित निर्णय लिया था? **(च)** क्या गुणवत्ताहीन, अमानक स्तर से कार्य करने वाले अधिकारयों को बहाल कर दो से तीन प्रभार दिए गए, क्या विभाग में अनुमति अधिकारी नहीं है? **(छ)** बाँध का निर्माण राशि 99.86 करोड़ से किया जाना है? बाँध क्षतिग्रस्त होने के पूर्व एजेंसी को राशि रूपये 87.00 करोड़ का भुगतान कर किया गया है जबकि बाँध का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत ही हुआ है? क्या विभाग द्वारा एडवांस भुगतान किया गया? अनुबंध की किस क्लास अंतर्गत किया गया है?

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। कार्य पूर्ण करने हेतु पर्याप्त मेन/मशीनरी नहीं लगाने के कारण कोर व सेल जोन को एक साथ नहीं उठाया जा सका। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी हाँ। **(ङ)** जी हाँ। वर्षाकाल प्रारंभ हो जाने से निर्धारित प्रोग्राम अनुसार कार्य संपादित नहीं किया जा सका तथा बांध का कार्य डिजाइन प्रोफाइल में नहीं किये जाने पर मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्य की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया जाना प्रतिवेदित है। **(च)** परियोजना के निर्माण कार्य पर तत्समय पदस्थ (संलग्न) निलंबित किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान में विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु निलंबन से बहाल किया जाकर अन्य संरचनान्तर्गत पदस्थ करते हुए प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे संचालित योजनाओं का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। वर्तमान में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न लागू नहीं। **(छ)** जी हाँ। बांध क्षतिग्रस्त होने के पूर्व मिट्टी/कांक्रीट/गेट सप्लाई के वास्तविक सम्पादित कार्यों के विरुद्ध लगभग राशि रू. 87.37 करोड़ का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। जी नहीं। शेष प्रश्न लागू नहीं।

नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

47. अता.प्र.सं.128 (क्र. 2827) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला बालाघाट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो शासन के किस नियम के अनुसार मानव संसाधन की भर्ती की गई थी एवं भर्ती के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया गया था? **(ख)** बालाघाट जिले में कितने कोविड-19 मानव संसाधन की भर्ती की गई थी कैडरवार जानकारी नाम, पता सहित उपलब्ध कराये। **(ग)** स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भर्ती किए गए कोविड-19 मानव संसाधन को क्यों और कब निकाला गया? क्या प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य राज्यों (उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) की तरह कोविड 19 मानव संसाधन कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने की कार्य योजना बनाई जा रही है क्या? यदि हाँ, तो कब तक निकाले गए सभी कोरोना महामारी के दौरान वाले अधिकारियों को वापस लिया जाएगा? **(घ)** वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने नियमित संविदा एवं आउटसोर्स के पद खाली हैं कैडर अनुसार जानकारी उपलब्ध कराये? विभाग अंतर्गत कुल कितने औषधि निरीक्षकों, वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *जी हाँ। संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 21/3/2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 मानव संसाधन नियोजित किया गया था।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार।*** *संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के परिपत्र 288 दिनांक 25/03/2020 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश को जिलों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन प्रत्यायोजित किये जाने हेतु* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार।*** *दिशा-निर्देश जारी किये गये।* ***(ख)*** *बालाघाट जिले में कोविड 19 मानव संसाधन की भर्ती की कैडरवार जानकारी, नाम, पता सहित* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (ग)*** *स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र क्र. 14506 दिनांक 28/3/2022 एवं परिपत्र क्रमांक 1548 दिनांक 2/3/2022 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को कोविड 19 अन्तर्गत अस्थायी मानव संसाधन पर होने वाले आहरण हेतु बजट आवंटन उपलब्धता नहीं होने के कारण सेवाऐं समाप्त की गयी जो कि* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार।*** *जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(घ) जानकारी वृहद स्वरूप की है जो एकत्रित की जा रही है।*** **]**
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नियमित संविदा पद नहीं है एवं आउटसोर्स के पद आवश्यकतानुसार एजेन्सी के माध्यम से रखे जाते है। औषधि निरीक्षकों, वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

कोविड-19 के दौरान अस्थाई से नियोजित स्टॉफ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

48. परि.अता.प्र.सं. 148 (क्र. 2929) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा कोविड-19 महामारी

की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ इत्यादि को अस्थायी रूप से नियोजित करने के आदेश प्रसारित किये गये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 01-04-2022 तक नियोजित प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं प्रदेश में चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी के बावजूद उनकी सेवाऐं किन कारणों से समाप्त कर दी गई? **(ग)** क्या विभाग उपरोक्त पदों पर चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ जो कोविड-19 महामारी में सेवाऐं दिये थे उनको पुन: संविदा/अस्थाई/नियमित रूप से कार्य करने के आदेश प्रसारित करेंगे? **(घ)** विभाग में चिकित्सकों के संवर्गवार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ रिक्त चिकित्सकों की जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *जा हाँ।* ***(ख)*** *कोविड- 19 के अंतर्गत अस्थायी मानव संसाधन पर होने वाले मासिक मानदेय हेतु बजट आवंटन की उपलब्धता न होने के कारण भविष्य में मासिक भुगतान नहीं किये जा सकने संबंधी निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र क्रमांक 14506 दिनांक 28.03.2022 समस्त कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पत्र क्रमांक 1548 दिनांक 02.03.2022 को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को दिये गये हैं।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"अनुसार।*** *नर्सिंग संवर्ग के नियमित पद स्टॉफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर 1001 स्टॉफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर को नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार।*** ***(ग)*** *जी नहीं।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

छात्रवृत्ति की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

49. अता.प्र.सं.185 (क्र. 3016) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में एस.टी. तथा 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में एस.सी. एवं ओबीसी के बी.एस.सी. नर्सिंग जी.एन.एम. पोस्ट बी.एस.सी. में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली है? कारण बतावें, कौन जिम्मेदार है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार किस वर्ग के किस कक्षा के कितने छात्र/छात्राएं हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? संस्थावार, छात्र संख्यावार, छात्रवृत्ति की राशि एवं वर्गवार गणना के आधार पर कुल राशि की जानकारी वर्षवार दें। **(ग)** किस-किस संस्था में किस-किस वर्ग के, कितने-कितने विद्यार्थी, किस-किस कक्षा में, कौन-कौन से वर्ष में अध्ययनरत थे, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? विद्यार्थीवार जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** नर्सिंग महाविद्यालयों की सी.बी.आई जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने के कारण छात्रवृत्ति आवेदनों पर अस्थायी रोक लगायी गयी थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

50. अता.प्र.सं.188 (क्र. 3026) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड काल में गुना जिला में कितने ऑक्सीजन प्लांट कितनी क्षमता के कितनी लागत के किन माध्यम से किन स्थानों पर लगाये है? वर्तमान में कितने संचालित हैं और कितने आउट ऑफ आर्डर हो गये है? संपूर्ण जानकारी बतायें। **(ख)** गुना जिले में डायलिसिस मशीन किन चिकित्सालय के पास हैं? वह स्वंय की है अथवा अनुबंधित है? उसके संचालन हेतु स्वंय का तकनीकी स्टॉफ है अथवा अनुबंधित? अनुबंधित होने की स्थिति में फर्म का नाम, पता, अनुबंधक की अवधि, अनुबंध अवधि में कितना भुगतान किस मद से किया गया है? कितने मरीजों को कब और कितनी बार मशीन की सुविधा प्रदान की गई? मरीजों से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है? **(ग)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक एन.एच.एम. अन्तर्गत कितने संविदा, नियमित नर्सिंग स्टॉफ, सीएचओ पदस्थ किये गये हैं? जानकारी दें। कितने कर्मचारियों को नोटिस कब और क्यों दिये गये, किस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किये गये? उनका नाम, पदनाम, नोटिस का उत्तर सहित संपूर्ण जानकारी बतायें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार।*** ***(ख)*** *जिला चिकित्सालय गुना में कुल 06 डायलिसिस मशीन संचालित है। डायलिसिस मशीन शासन के स्वामित्व की है। डायलिसिस सेवाओं के संचालन हेतु अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा डायलिसिस तकनीशियन, स्टाफ नर्स एवं हाउस कीपिंग स्टाफ के माध्यम से डायलिसिस सेवाएं प्रदाय की जाती है।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र"ब" अनुसार। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]**
(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

दिनांक 7 अगस्त, 2025

दोष सिद्ध होने के बाद भी कार्यवाही न करना

[लोक निर्माण]

51. अता.प्र.सं.53 (क्र. 2662) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्री शफीउल्ला खान पिता अब्दुला खान लोक निर्माण उप संभाग चुरहट जिला सीधी से वर्ष 2006 के पूर्व एस.डी.ओ. पद से सेवानिवृत्त हुऐ थे? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या जनवरी 2006 में बुढ़ार जिला शहडोल निवासी सिन्ट छावड़ा ने प्रश्नांश (क) में वर्णित रिटायर एस.डी.ओ. द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित रूपये 05 करोड़ की चल अचल सम्पत्ति की 15 बिन्दुओं की शिकायत जाँच हेतु डी.जी.पी. E.O.W.. पुलिस भोपाल में की गई थी? यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन डीजीपी E.O.W. पुलिस भोपाल द्वारा पुलिस अधिक्षक E.O. रीवा से वर्ष 2007 में उक्त वर्णित भ्रष्टाचार की जाँच कराई गई थी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो क्या पुलिस अधीक्षक E.O.W. रीवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन क्रमांक 484 दिनांक 02/08/2007 भ्रष्टाचार के 15 बिन्दुओं के आरोप में बिन्दुओं के क्रमांक 1,2,4,6 के आरोप सही पाए गये? यदि हाँ, तो संबंधित मामले में की

गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो क्या आर्थिक अपराध क्रमांक 24/06 के बिन्दु क्रमांक 1,2,4 एवं 6 के सत्य पाए जाने पर आरोपी शफीउल्ला खान रिटायर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही व भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति राजसात की जाएगी यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

उज्जैन संभागांतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

52. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 3143) श्री दिनेश जैन बोस : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर परिषदों में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी किस दिनांक से कार्यरत हैं? नगर पालिका एवं नगर परिषद्वार कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी देवें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3/1/2/0022/2025-GAD-8-01, दिनांक 28.02.2025 के अनुसार विभाग/निकाय द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने संबंधी क्या कार्यवाही की गई? कितने कर्मचारियों को विनियमित हेतु पात्र माना गया है? निकायवार कर्मचारियों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक विनियमित/नियमित किया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नगर पालिका/नगर परिषदों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का श्रम विभाग के आदेश अनुसार पी.एफ. जमा किया जाता है? निकायवार बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ख) में दिये आदेश का पालन समय-सीमा में किये जाने हेतु आदेशित किया गया है? समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *उज्जैन संभाग की कुल 64 निकायों में कुल 6738 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में पत्र क्र. एक/05/284/2025/10187 से संबंधी* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *जानकारी उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये पत्र की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार*** *है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।* ***(ग)*** *कुल 64 निकायों में से 17 निकायों में पी.एफ. जमा हो रहा है। शेष 47 निकायों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से पी.एफ. जमा नहीं हो रहा है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार*** *है।* ***(घ)*** *जी हाँ। प्रश्नांश "क" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के अनुक्रम में दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी* ***संकलित की जा रही है।*** *शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **]** **(ख)** उज्जैन संभाग की 64 नगर पालिका/नगर परिषदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" (पृष्ठ 1 से 224) अनुसार** है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 2232/आर-512/नियम/चार दिनांक 22.12.2025 की कंडिका (5) द्वारा सभी कार्मिकों को

सांख्येतर घोषित करते हुये भविष्य में उनके स्थान पर अन्य को कार्य पर नियोजित नहीं किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिससे प्रश्नांकित विषय के संबंध में आगामी कार्यवाही नहीं की जाना है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिसम्बर, 2025

दिनांक 1 दिसम्बर, 2025

व्यय राशि का भुगतान की जानकारी
[श्रम]

1. अता.प्र.सं.79 (क्र. 309) श्री सुनील उईके : क्या श्रम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित रही, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना अंतर्गत प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में प्रदान किये गये प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार सूची प्रदान करें। **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत प्रदान किये गये प्रशिक्षण पर किये गये व्यय, प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों एवं प्रशिक्षण की दरों की जिलेवार एवं ट्रेडवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय की गई राशि के भुगतान की जानकारी जिलेवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(घ)** प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो तो दस्तावेज भी प्रदान करें। **(ड.)** उक्त योजना के प्रशिक्षण में क्या-क्या मापदंड निर्धारित किये गये थे, क्या प्रदेश में योजना की संचालन अवधि के दौरान इनका पालन हुआ है? यदि नहीं, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

श्रम मंत्री : *[**(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।**]* **(क)** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित हो रही म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना अंतर्गत प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में प्रदान किये गये प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक (पेनड्राईव) अनुसार** है। केवल जिला मंडला से प्राप्त जानकारी में अभिलेख संलग्न नहीं है। **(ख)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो (पेनड्राईव) अनुसार** है। **(ग)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो (पेनड्राईव) अनुसार** है। **(घ)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो (पेनड्राईव) अनुसार** है। **(ड.)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन (पेनड्राईव) अनुसार** है। प्रदेश में योजना की संचालन के संबंध में प्राप्त जानकारियों में कुछ जिलों से जानकारी में त्रुटि/अस्पष्टता/कमी पाए जाने पर संबंधित जिलों के कलेक्टर को उक्त संबंध में तथ्यात्मक जांच कर पुष्टि किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

सचिवों की कमी की पूर्ति करने बावत्
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.115 (क्र. 419) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां कार्यरत् हैं, उन मण्डियों में कितने सचिव पदस्थ हैं, कितने मण्डी निरीक्षकों को सचिव

का प्रभार सौंपा गया है? **(ख)** क्या म.प्र. में जिन मण्डी इंस्पेक्टरों को प्रभारी सचिव बनाया गया है, संभागवार एक इंस्पेक्टर पर कितनी मण्डियों के चार्ज हैं? **(ग)** कई मण्डी समितियों में एक इंस्पेक्टर के पास 05-05 मण्डी समितियों के अतिरिक्त प्रभार है? क्या यह संभव है कि एक इंस्पेक्टर 05-05 मण्डियों में सचिव का कार्य कर सकता है, जबकि शासन की महत्वपूर्ण योजना भावांतर लागू है? क्या इससे कृषकों को सही लाभ मिल पायेगा? **(घ)** क्या शासन के द्वारा समस्त विभागों में प्रमोशन न होने से उच्च प्रभार पद देकर प्रमोशन किये जा रहे हैं, तब म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा उच्च प्रभार देने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे सहायक उप निरीक्षक के पद पर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक कोई प्रमोशन न देकर रिटायर्ड होते चले जा रहे हैं और मण्डियों में एक इंस्पेक्टर को 05-05 मण्डियों का प्रभार दिये हुए हैं, इससे कर्मचारियों एवं कृषकों में असंतोष व्याप्त है, जबकि उच्च प्रभार की नस्ती शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, इस संबंध में कब तक उच्च प्रभार देने की कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री : *[**(क)** म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत कुल 259 कृषि उपज मण्डी समितियों कार्यरत है। मण्डी समितियों में कुल 49 सचिव पदस्थ है एवं 138 मण्डी निरीक्षकों को कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। **(ख)** जी हाँ। संभागवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियों में सचिवों एवं मंण्डी निरीक्षकों को भावांतर भुगतान योजना एवं मण्डी समितियों के कार्य संचालन को दृष्टिगत रखते हुये रिक्त सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जानकारी प्रश्नांश (ख) के परिशिष्ट में उल्लेखित है। **(घ)** जी नहीं। कतिपय विभागो में उच्च पद प्रभार दिये गये है। उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। सहायक उपनिरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अनुसार सेवा संबंधी **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]*
(क) म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत कुल 259 कृषि उपज मण्डी समितियां कार्यरत हैं। मण्डी समितियों में कुल 49 सचिव पदस्थ हैं एवं 138 मण्डी निरीक्षकों को कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। **(ख)** जी हाँ। संभागवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियों में सचिवों एवं मंण्डी निरीक्षकों को भावांतर भुगतान योजना एवं मण्डी समितियों के कार्य संचालन को दृष्टिगत रखते हुये रिक्त सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में उल्लेखित है। **(घ)** जी नहीं। कतिपय विभागों में उच्च पद पर प्रभार दिये गये हैं। उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। सहायक उपनिरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अनुसार सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जा रही है। तत्पश्चात उच्च पद का प्रभार दिये जायेंगे।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

रिक्त पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.118 (क्र. 427) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और मंत्रालय में, वर्तमान में प्राध्यापक, अधिकारी वर्ग, लिपिक वर्ग और अन्य सभी पदों के लिए, कितने रिक्त पद हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में रिक्त पदों को भरने की विभाग की क्या कार्य योजना है?

उच्च शिक्षा मंत्री : *[**(क)** बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से **जानकारी प्राप्त की जा रही है,** शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।]* **(क)** बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

शासकीय महाविद्यालयों में खरीदी

[उच्च शिक्षा]

4. परि.अता.प्र.सं. 129 (क्र. 573) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उच्च शिक्षा विभाग अर्न्तगत जनवरी 2025 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय महाविद्यालयों में जिला रायसेन, जिला पाढुंर्णा, जिला सागर एवं जिला मुख्यालय छतरपुर के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की खरीदी में की गई निविदाओं में म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है, नियमावली के साथ की गई प्रक्रिया के दस्तावेज उपलब्ध करायें। क्या म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किये जाने से उक्त टेंडरों/निविदाओं को निरस्त किया जाकर पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतायें, नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना के संचालक का पद राज्य प्रशासनिक सेवा का है? यदि हाँ, तो कब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थ करा दिया जावेगा। यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्तमान में जिन अधिकारियों के पास प्रभार है, उन पर विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं, लोकायुक्त, इ.ओ.डब्ल्यू. (पुलिस अपराध अनु.) में शिकायतें होकर प्रकरण पंजीबद्ध है, यदि हाँ, तो इनको उक्त प्रभार से कब तक मुक्त कर दिया जावेगा। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** विभाग अर्न्तगत रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना के द्वारा दिसम्बर 2024 से अक्टूबर 2025 तक विभिन्न प्रकार की क्रय की गई सामग्री से संबंधित क्रय समिति एवं क्रय शर्तों नियमों एवं किन-किन फर्मों को क्रय आदेश जारी किये गये विवरण देवें, इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री : *[**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी नहीं। वर्तमान में आयुक्त, उच्च शिक्षा ही परियोजना संचालक है। अभिलेखों के अनुसार परियोजना संचालक के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** जी हाँ। सभी महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार क्रय प्रक्रिया में मध्यप्रदेश

भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। प्रक्रिया के दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।**

शासकीय राशि का दुरूपयोग एवं अवैध भूमि पर निर्माण
[सहकारिता]

5. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 902) श्री शिवनारायण सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित जैतहरी के स्वत्व की भूमि खसरा नं. 554 केन्द्रीय सहकारी बैंक में ऋण के विरूद्ध गिरवी है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देंवे। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) वर्णित भूमि पर नगर परिषद जैतहरी ने सामुदायिक भवन निर्माण कराकर खनिज मद प्रतिष्ठान निधि का दुरूपयोग एवं अवैध भूमि पर निर्माण किया है? यदि हाँ, तो राशि से अवैध भूमि में निर्माण के दोषीजनों का नाम, पद तथा इनसे कब तक राशि वसूली की जायेगी, की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या किसी संस्था की भूमि पर अवैधानिक ढंग से कोई भी स्थाई भवन निर्माण वैध है? यदि नहीं, तो कलेक्टर अनूपपुर खनिज मद प्रतिष्ठान से स्वीकृत राशि के दुरूपयोग एवं अवैध भूमि पर निर्माण के लिये दोषी जनों से राशि वसूली के साथ ही अपराधिक प्रकरण कायम किया जायेगा? यदि नहीं, तो वैधानिक स्वीकृत निर्माण के पूर्व भूमि का संस्था से स्वत्व हस्तांतरण किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है, उनके नाम एवं पद अनुसार जानकारी दें। **(घ)** क्या तत्कालीन सहकारिता निरीक्षक ने सी.एम.ओ. नगर परिषद जैतहरी को अवैध निर्माण रोके जाने के लिये पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए सहकारिता विभाग या नगरीय प्रशासन द्वारा समय-सीमा में अपराधिक प्रकरण कायम कराते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** क्या श्री कैलाश सिंह मरावी एवं श्री अनिल कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों को पुन: जांच हेतु आग्रह किया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर विशेष जांच दल गठित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतायें।

सहकारिता मंत्री : *[**(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** यह सही है कि प्रश्नांश 'क' में वर्णित संस्था भूमि पर नगर परिषद जैतहरी द्वारा अवैध रूप से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। शेष प्रश्नांश का उत्तर जांच के निष्कर्षाधीन। **(ग)** जी नहीं। शेष उत्तरांश "ख" अनुसार जांच उपरांत जांच निष्कर्षों के आधार पर। **(घ)** जी हाँ, संस्था के तत्कालीन प्रशासक द्वारा कलेक्टर अनूपपुर एवं अध्यक्ष/नगर पालिका अधिकारी जैतहरी को संस्था की भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने हेतु पत्र लिखा गया था, पत्र की **प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**, शेष जांच निष्कर्षाधीन। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(ड.)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है,** प्रकरण के संबंध में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा जांच समिति गठित की जाकर जांच कराई गई है तथा जांच में दोषी पाये गये श्री राममिलन तिवारी, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद जैतहरी एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद जैतहरी दोषी पाये गये हैं, जिनके विरूद्ध संचालनालय, नगरीय

प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल से क्रमशः आदेश क्रमांक/शि./06/लो.ज.प्र.0081/2021/18246, दिनांक 22.08.2025 एवं क्रमांक/शि./06/लो.ज.प्र. 0081/2021/18248, दिनांक 22.08.2025 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पृथक वितरित उत्तर

दिनांक 2 दिसम्बर, 2025

इंदौर आबकारी विभाग में अनियमितता की जाँच
[वाणिज्यिक कर]

6. परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 56) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर जिले में वर्ष 2015 से 2017 के बीच हुए आबकारी विभाग के लगभग ₹40 करोड़ के चालान घोटाले की राशि बढ़कर ₹70 करोड़ हो गई थी, तो वर्तमान में यह वास्तविक राशि कितनी है? **(ख)** क्या इस घोटाले में शामिल आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों को संशोधित आरोप पत्र जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा संशोधित गणना पत्रक तैयार होने के बाद शासन या जांच अधिकारी को संशोधित आरोप पत्र हेतु कोई पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या वर्ष 2017 में शासन द्वारा गठित विभागीय जांच के दौरान ही बिना शासन स्वीकृति के आबकारी आयुक्त द्वारा मुख्यालय ग्वालियर में एक आंतरिक जांच समिति गठित की गई थी? इस समिति में कौन-कौन अधिकारी थे और उसकी रिपोर्ट क्या थी? **(ड.)** क्या यह आंतरिक समिति घोटाले के प्रमुख आरोपी तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से गठित की गई थी? यदि नहीं, तो समिति गठन की आवश्यकता क्या थी? **(च)** आबकारी आयुक्त एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा घोटाला करने वाले अधिकारी को बचाने के लिए शासन के नियम विरुद्ध जो कार्य किये हैं, क्या उस हेतु दोनों पर कार्रवाई की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर : *[(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** इंदौर जिले में कतिपय मदिरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालयीन चालानों में कूटरचना एवं हेराफेरी कर शासकीय राजस्व को क्षति पहुचानें के संबंध में, आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के आदेश क्रमांक-53, दिनांक 09.08.2017 से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि में कुल राशि रूपये 41,65,21,890/- कम जमा होना आंकलित की गई थी। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।** आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के आदेश पृ.क्र. 678, दिनांक 27.04.2023 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन** के अनुपालन में नवीन मापदण्डों अनुसार परिगणित खिसारा राशि रूपये 68,80,04,557/- आंकलित हुई है। जो **(पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।** उक्त राशि रूपये 68,80,04,557/- में से संबंधित लाईसेंसियों से राशि रूपये 22,16,06,432/- की वसूली पश्चात् वर्तमान में राशि रूपयें 46,63,98,125/- की वसूली हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 के प्रावधानातंर्गत आर.आर.सी. जारी की गई है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है। (ख)** शासन पत्र दिनांक 27.01.2026 द्वारा श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र जारी किया गया है। शेष

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। **(ग)** उक्त प्रकरण में शासन से प्राप्त नवीन निर्देशों के परिपालन में वित्त अधिकारियों द्वारा खिसारा राशि की पुनर्गणना कर कुल 14 लायसेंसियों के विरूद्ध खिसारा राशि रूपये 68,80,04,557/- (अरसठ करोड, अस्सी लाख, चार हजार पांच सौ सत्तावन) की पुष्टि की गई है। उक्त प्रकरण में नवीन परिगणित राशि के संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.05.2025 से जांचकर्ता अधिकारी को अवगत कराया गया है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार है। (घ)** कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र क्रमांक-6698, दिनांक 08.08.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार इंदौर जिले में कतिपय लायसेंसियों द्वारा कूटरचित चालानों के माध्यम से शराब दुकानों के संचालन हेतु कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर में प्रस्तुत ट्रेजरी चालानों में कूटरचना एवं हेराफेरी कर जमा राशि को बढ़ाकर एन.ओ.सी. प्राप्त की गई है, उपरोक्त प्रतिवेदन में दर्शायी गई परिस्थिति पर विस्तृत जांचकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के आदेश क्रमांक 53, दिनांक 09.08.2017 से समिति गठित की गई, जिसकी सूचनार्थ प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की गई। प्रकरण में उक्त समिति का गठन विभागीय जांच संस्थित होने की दिनांक 23 जून, 2018 के पूर्व किया गया है। **जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार है।** अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडनदस्ता, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक- क्यू/1, दिनांक 19 अगस्त, 2017 के माध्यम से समिति द्वारा जांच रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-आठ अनुसार है। (ड.)** यह कहना गलत है कि समिति का गठन किसी अधिकारी को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से किया गया था। बल्कि इंदौर जिले के कतिपय लायसेंसियों द्वारा वर्ष 2015 से 2017 के दौरान प्रस्तुत किये गये कूटरचित चालानों से शासन को हुई राजस्व हानि के निर्धारण एवं गणना हेतु समिति गठित की गई थी। **(च)** यह कहना सही नहीं है कि आबकारी आयुक्त एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को बचाने का कार्य किया जा रहा है, उक्त प्रकरण में शासन स्तर पर संयुक्त विभागीय जांच संस्थित की गई है, जिसमें नियमानुसार विभागीय जांच की कार्यवाही की गई है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

वनमंडलों में हुए व्यय की जानकारी

[वन]

7. अता.प्र.सं.28 (क्र. 451) सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वन विभाग जिला बुरहानपुर अंतर्गत समस्त वन मंडलों में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक लगाये गये पौधों एवं उनमें जीवित पौधों की संख्या तथा उन पर खर्च की गई राशि की जानकारी वर्षवार दीजिए। समस्त व्यय के भुगतान की जानकारी भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम, राशि सहित जानकारी वनमण्डलवार, वर्षवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन भुगतानों में जी.एस.टी. नहीं काटा गया है, उनकी जानकारी कारण सहित देवें। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम बताएं एवं इसके लिए उन पर क्या कार्यवाही कब तक होगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में रोपित पौधों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पौधे जीवित है? उपरोक्त अवधि में किस कक्ष क्रमांक पर कितने पौधों का रोपण किया गया, की जानकारी वनमंडलवार वर्षवार देवें। जानकारी संबंधित अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन की तिथि सहित देवें।

(घ) जिला बुरहानपुर में विभाग की तेंदुपत्ता की कौन-कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्रियान्वित योजनाओं में किये गये कार्यों एवं लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध करावें। किन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा, कारण सहित जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, वन : *[**(क)** वन मण्डल वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक लगाये गये पौधे, जीवित पौधे एवं उस पर व्यय की गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक वृक्षारोपण के समस्त व्यय के भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति/फर्म को भुगतान की प्रति व्यक्ति/फर्म की जानकारी वृहद स्तर की होने के कारण **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** उत्तरांश (क) के संदर्भ में किये गये ई भुगतानों में जी.एस.टी. कटौत्रा नियमानुसार किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है।]* **(क)** वनमंडल बुरहानपुर अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक लगाये गये पौधे, जीवित पौधे एवं उस पर व्यय की गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक समस्त व्यय के भुगतान की जानकारी भुगतान प्राप्तकर्ता व्यकित/फर्म का नाम राशि सहित भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अ अनुसार** है।

व्यवहार न्यायालय की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

8. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 456) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं हुई है, जबकि जिले की अन्य तहसीलों में व्यवहार न्यायालय चल रहे हैं? नरवर तहसील के अंतर्गत थाना सीहोर पुलिस चौकी मगरोनी पुलिस चौकी सुनाटी तथा नरवर तहसील के अंतर्गत 61 ग्राम पंचायत तथा 128 ग्राम हैं, जिनके सिविल व फौजदारी के प्रकरण करैरा में प्रचलित है। करैरा से नरवर की दूरी 35 कि.मी. है। **(ख)** क्या नरवर तहसील में व्यवहार न्यायालय होने से आम व्यक्तियों की समय व अनावश्यक रूप से व्यय की बचत नहीं होगी तथा कम खर्च में सुलभ न्याय मिल सकेगा? **(ग)** तहसील नरवर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना कब तक की जावेगी? **(घ)** क्या पूर्व में तहसील नरवर में व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रचलित की गई थी, परन्तु प्रश्न दिनांक तक स्थापना नहीं की गई? क्या शासन की मंशानुसार प्रत्येक तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है?

मुख्यमंत्री : *[**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क)** शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग तहसील नरवर क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्या कम होने तथा अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण ज्ञापन क्रमांक ए/4644, दिनांक 30.10.2025 द्वारा नस्तीबद्ध की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ, विभाग द्वारा तहसील नरवर में व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रचलित की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक ए/4644, दिनांक 30.10.2025 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है।

परिशिष्ट - "तीन"

न्यायालय भवन निर्माण की स्वीकृति

[विधि एवं विधायी कार्य]

9. अता.प्र.सं.47 (क्र. 620) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र खुरई अन्तर्गत खुरई में स्थित सिविल न्यायालय भवन निर्माण हेतु विभाग की क्या योजना है? क्या खुरई स्थित न्यायालय भवन काफी पुराना होने के साथ ही जीर्णशीर्ण स्थिति में है? यदि हाँ, तो कब तक नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री : *[**जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* तहसील खुरई, जिला सागर स्थापना पर कुल 06 न्यायालय एवं कुल 06 अनुभाग संचालित है। सभी न्यायालय कक्ष एवं अनुभाग कक्ष सामान्य अवस्था में है, कोई भी न्यायालय कक्ष एवं अनुभाग कक्ष जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

लोकतंत्र सेनानी के सम्मान निधि की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

10. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 675) श्री अजय विश्नोई : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 452/2017/1/13, दिनांक 03/07/2017 के द्वारा मीसा बंदियों के दिवंगत होने पर उनकी पत्नी/पति को सम्मान निधि स्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया है? **(ख)** क्या म.प्र. के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 831463/2022/1/13 भोपाल दिनांक 27.09.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि मीसा बंदी के जीवित रहते हुये उनकी पत्नी/पति का नाम पी.पी.ओ. में अंकित कर लिया जाये ताकि उनके दिवंगत होने पर पत्नी/पति को सम्मान निधि मिलने में विलम्ब नहीं हो? **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेशों का पालन किस-किस जिले में कर लिया गया है और किस-किस जिले में नहीं किया गया है? जिन जिलों में इसका पालन नहीं हुआ है, उनमें इसका पालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जावेगा?

मुख्यमंत्री : *[**(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(ग)** उक्त दोनों आदेशों का प्रदेश के समस्त जिलों में पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

टेण्डर हेतु असत्य दस्तावेजों का प्रयोग

[गृह]

11. परि.अता.प्र.सं. 128 (क्र. 997) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विश्वास सेल्स एंड सर्विसेज भोपाल के विरूद्ध टेन्डरों में असत्य दस्तावेज उपयोग करने के कारण शा. कन्या महाविद्यालय श्योपुर, शास. राजीव गांधी महा. मन्दसौर एवं शास. महा. जैतवारा जिला सतना में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज है, क्या इनकी अग्रिम जमानतें भी मा. न्यायालयों के द्वारा खारिज की जा चुकी है। यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। क्या थाना प्रभारियों/अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी में विलम्ब किया जा रहा है। **(ख)** क्या पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारायें भी बढ़ाई गई है? विवरण देवें। क्या आरोपी की मा. जिला न्याया. श्योपुर के द्वारा अग्रिम जमानत

निरस्त हो जाने के बाद भी संबंधित थाना अधिकारी द्वारा प्रश्न दिनांक तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? कारण सहित विवरण देवें। **(ग)** साइंस लैब उपकरण टैस्ट रिपोर्ट/एवं टर्न ओवर की असत्य रिपोर्ट देने वाली कम्पनियों एटमांस इंटरप्राइसेस, अम्बाला, लेबट्रोनिक्स चंडीगढ़, एम.के. ऑप्टिकल्स के रिपोर्ट/प्रमाण पत्र लगाये हैं, क्या वह भारत सरकार द्वारा अधिकृत है? यदि नहीं, तो इन पर एवं आरोपी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी।

मुख्यमंत्री : *[**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

<u>दिनांक 4 दिसम्बर, 2025</u>

कार्बाइड गन दुर्घटनाओं से बच्चों की दृष्टि हानि
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

12. ता.प्र.सं. 12 (क्र. 476) श्री आरिफ मसूद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 से 25 अक्टूबर, 2025 की अवधि में राज्य में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने बच्चों की एक अथवा दोनों आंखों की दृष्टि प्रभावित/समाप्त हुई है? **(ख)** इन प्रभावित बच्चों में से कितनों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया है और प्रत्येक प्रकरण में मुआवजे की राशि कितनी निर्धारित की गई है? **(ग)** क्या राज्य सरकार ने इन बच्चों के लिये दीर्घकालिक उपचार, कृत्रिम दृष्टि उपकरण के लिये कोई विशेष योजना तैयार की है? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या है? **(घ)** क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की जांच के लिये गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं क्या हैं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : *[**(क)** दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 से 25 अक्टूबर, 2025 की अवधि में राज्य में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं में कुल 284 व्यक्ति प्रभावित हुये हैं, जिसमें बच्चें भी सम्मिलित हैं। इनमें प्रभावितों में से किसी भी बच्चें की आँखों की दृष्टि प्रभावित/समाप्त नहीं हुई है। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** राज्य सरकार द्वारा उक्त घटना की जांच हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "पांच"</u>

आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

13. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 651) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय पन्ना में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टॉफ को भर्ती करने के लिये कौन-कौन सी आउटसोर्स एजेंसियों ने कार्य किया? वर्तमान में आउटसोर्स से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? नामवार जानकारी देवें। वर्तमान में कार्यरत एजेंसी का अनुबंध कब तक का है? कार्यदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** जिला चिकित्सालय पन्ना में आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारियों के खातें में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि अंतरित की गई तथा कर्मचारियों का इ.पी.एफ., एस.आई.सी. में कितना राशि जमा की गई है? नामवार वर्षवार जानकारी देवें। इ.पी.एफ. पासबुक, कर्मचारियों को किये गये भुगतान के दस्तावेज की छायाप्रति एवं उक्त अवधि में आउटसोर्स एजेंसियों के निविदा की प्रक्रिया की नोटशीट की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : *[**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** जिला चिकित्सालय पन्ना में माह फरवरी 2019 से मार्च 2024 तक मेसर्स कामथैन सिक्योरिटी सर्विस इन्दौर द्वारा कार्य किया गया तथा अप्रैल 2024 से वर्तमान दिनांक तक मेसर्स स्काईबुल सिक्योरिटी सर्विस इन्दौर द्वारा सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टॉफ को भर्ती करने के लिए कार्य किया गया। वर्तमान में आउटसोर्स से कुल 168 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा नामवार विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" (पेनड्राईव) अनुसार**। वर्तमान में कार्यरत एजेंसी का अनुबंध मार्च 2026 तक का है, कार्य आदेश की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" (पेनड्राईव) अनुसार**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" (पेनड्राईव) अनुसार**। उक्त अवधि में आउटसोर्स एजेंसी की निविदा की प्रक्रिया का कार्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना द्वारा किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" (पेनड्राईव) अनुसार**।

उर नहर परियोजना
[जल संसाधन]

14. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1185) श्री प्रीतम लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछोर विधानसभा में उर नहर परियोजना कब तक पूर्ण होगी? इसमें कितने हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी? इस परियोजना का स्वीकृत बजट कितना है? मदवार जानकारी दें। **(ख)** किन-किन एजेंसियों को क्या-क्या कार्य टेंडर के माध्यम से प्रदाय करवाया गया? कितनी-कितनी राशि का कार्य दिया गया, क्या इन एजेंसियों के ऊपर भ्रष्टाचार या अत्यधिक राशि निकालने की जांच हुई? इस जांच में किसी कंपनी में एम.डी. पर कोई पुलिस केस हुआ? कितनी एक्स्ट्रा राशि का भुगतान करवाया गया? **(ग)** उर नहर परियोजना हेतु टेंडर के समय स्वीकृत राशि के उपरांत नयी राशि स्वीकृत हुई? यदि हाँ, तो कितनी एवं किस-किस कार्यों हेतु स्वीकृत की गई?

जल संसाधन मंत्री : *[**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]* **(क)** पिछोर विधानसभा अन्तर्गत लोअर ओर नहर परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 26-11-2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। लोअर ओर वाहक नहर 1,10,400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इस वृहद सिंचाई परियोजना

का कार्य (23/4700 मद मे) राशि रु.3426.39 करोड स्वीकृत है। **(ख)** मेसर्स मन्टेना कंस्ट्रक्शन कम्पनी हैदराबाद को लोअर ओर नहर का निर्माण कार्य राशि रूपये 1650.00 करोड़ लागत का आदेश दिनांक 18.07.2018 को जारी किया गया है। एजेंसियों के ऊपर भ्रष्टाचार आदि से संबंधित प्रकरणों की जाँच प्रक्रियाधीन है। इस जांच में किसी कम्पनी के M.D. पर कोई पुलिस केस होने की जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं है। एक्स्ट्रा राशि के भुगतान के संबंध में वर्तमान स्थिति में कार्य की भौतिक प्रगति प्रदाय आवंटन के अनुरूप पाया जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं।

<u>दिनांक 5 दिसम्बर, 2025</u>

बंगलों के रख-रखाव संधारण एवं मरम्मत पर व्यय
[लोक निर्माण]

15. अता.प्र.सं.99 (क्र. 1206) श्री महेश परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मंत्री एवं विधायक निवासों के नवीनीकरण, रख-रखाव तथा सौंदर्यीकरण कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया? उसका वर्षवार एवं मदवार विवरण, साथ ही निवास परिसरों एवं बाहरी सड़कों की मरम्मत पर हुए व्यय की पृथक जानकारी दी जाये। **(ख)** वर्ष 2021-22 से अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक मंत्री एवं विधायक निवास (बंगला) के अनुसार किये गये कार्यों का विवरण—जिसमें संबंधित मंत्री/विधायक का नाम, कार्य की प्रकृति (नवीनीकरण/रंगरोगन/फर्निशिंग/सड़क मरम्मत/भवन विस्तार) एवं व्यय की गई राशि का उल्लेख हो की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2024–25 में सरकारी बंगलों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत ₹250 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय कितना हुआ तथा किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया? इसका कार्यवार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है/]* **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ-1' एवं 'स' अनुसार** है।